सयानी कन्यासे

लेखक
नरहरि परीख

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन

सयानी कन्यासे

लेखक
नरहरि परीख
अनुवादक
काशिनाथ त्रिवेदी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद
सर्वोदय साहित्य मन्दिर
हुसेनीअलम रोड, हैदराबाद (दक्षिण).

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाओी देसाओी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

पहली बार : प्रति २,०००
दूसरी बार : प्रति ५,०००

अेक रुपया

दिसम्बर, १९४८

प्रकाशककी ओरसे

अपने दायित्वको समझनेवाले अेक संस्कारी, प्रेमल और पवित्र पिताने अपनी पुत्रीके नाम और पुत्रीके साथ रहने तथा पढ़नेवाली और अपने साथ पुत्रीवत् सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कन्याओंके नाम ये पत्र लिखे हैं। अिन कन्याओंको जिस समय अिस महत्त्वपूर्ण विषयका ज्ञान देनेकी जरूरत थी, अुस समय लेखक जेलमें थे। अिसलिअे पत्रोंके सिवा दूसरे किसी तरीकेसे वे अुन्हें यह ज्ञान दे नहीं सकते थे। गुजरातीमें अिन पत्रोंकी पहली आवृत्तिका गुजरातकी जनताने अच्छा स्वागत किया है। दूसरी आवृत्तिके समय लेखकने अिनमें बहुत परिवर्तन किया है, और प्रायः सारी पुस्तक नये सिरेसे लिखी गअी है। आशा है, अिन परिवर्तनोंके कारण ये पत्र अधिक अुपयोगी सिद्ध होंगे। अिसके साथ श्री० महादेवभाअीने भी चार पत्र लिखकर भेजे हैं, जिनके कारण अिस पुस्तकका महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है।

लेखकने अपने पहले पत्रके आखिरी हिस्सेमें अपने हेतुका और अिस प्रकारकी चर्चाकी मर्यादाका विवेचन अितने सुन्दर ढंगसे किया है कि अुसपर और कुछ लिखना आवश्यक नहीं रह जाता। मैं अिस श्रद्धाके साथ यह पुस्तक जनताकी सेवामें अुपस्थित करता हूँ कि जिस शुद्ध भावसे लेखकने यह सब लिखा है, मातापिता अुसी शुद्धभावसे अिस पुस्तकको अपनी कन्याओंके हाथमें देंगे और कन्यायें अिसका अुचित अुपयोग करेंगी।

गुजराती भाषामें अिसकी चौथी आवृत्ति निकल चुकी है। हिन्दुस्तानीमें यह दूसरी आवृत्ति पाठकोंकी सेवामें पेश की जा रही है। अिस आवृत्तिमें गांधीजीके दो नये पत्र दिये गये हैं। अेक तो अुन्होंने बालकोंको लिंग सम्बन्धी ज्ञान देनेकी जरूरतके सम्बन्धमें सलाह देते हुअे लिखा था। और दूसरा अिस पुस्तकको पढ़कर अुसकी टीकाके रूपमें लिखा था। दूसरे पत्रमें हमें विवाह प्रथाके सम्बन्धमें गांधीजीके आजके

विचार जाननेको मिलते हैं। गांधीजीके अिन दो पत्रोंके अलावा अिसमें श्री काकासाहबके दो पत्र भी दिये गये हैं, जो अुन्होंने अिस पुस्तककी पूर्तिके रूपमें लिखे हैं। हमारे देशमें जो अेक साम्प्रदायिक गुत्थी पैदा हो गयी है, अुसे सुलझानेके अनेक तरीकोंमेंसे अेक अिन पत्रोंमें पाठकोंको मिलेगा।

'बापूके आजके विचार'से लेकर शेष हिस्सेका अनुवाद भाअी खुशालसिंहजीने किया है।

सूची

सयानी कन्यासे

खण्ड १

१

तारुण्य का अुदय

लड़कियोंके लिअे तेरहचौदह सालकी अुम्र और लड़कोंके लिअे पन्द्रहसोलह सालकी अुम्र अेक अैसी अुम्र है, जब वे अपने अन्दर बिलकुल ही नये विचारों और भावोंका अेक अजीबसा अनुभव करते हैं। अिन दिनों शरीर पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक गतिसे बढ़ता है और अुसमें बहुतसे परिवर्तन भी होते हैं। शरीरमें अेक तरहकी बिजली-सी पैदा हो जाती है। हृदयमें मानो अेक नये ही ढंगका जोश अुत्पन्न होता है, और नयेनये साहस और पराक्रम करनेकी आकांक्षायें जाग अुठती हैं। मन यह संकल्प करने लगता है कि जो काम आज बड़ेबूढ़ोंसे नहीं हो सकते, अुन्हें हम समय आनेपर और मौक़ा मिलनेपर ज़रूर कर डालेंगे। अिस अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंमें वे सब काम करनेकी अुमंग पैदा होती है, जिनमें संकट सहने, जोखिम अुठाने और निडर रहनेकी ज़रूरत पड़ती है, और जिन्हें करते हुअे बड़ेबूढ़े सोचमें पड़ जाते हैं। मसलन, आजकी हमारी अिस लड़ाअीमें बहुतेरे बड़ेबूढ़े यही सोचने लगते हैं कि अगर वे सत्याग्रहमें शामिल हुअे, तो अुन्हें जेल जाना पड़ेगा, जायदाद गँवानी पड़ेगी, परिवारवालोंसे अलग होना पड़ेगा, वग़ैरा वग़ैरा। नौजवानोंको ये विचार नहीं आते। अिसीलिअे अिस लड़ाअीमें बुजुर्गोंके मुक़ाबले नौजवान ही ज़्यादा शामिल होते हैं। अिसी तरह समाज और जातपाँतके कुछ मूर्खतापूर्ण बन्धनोंको — जैसे, अिसके साथ खाया जा सकता है, और अुसके साथ नहीं खाया जा सकता; अिसे छू सकते हैं, अुसे नहीं छू सकते; यह अूँच है, वह नीच है; आदि समाजमें प्रचलित अनेक झूठी धारणाओंको — तोड़फोड़ डालनेके लिअे अुनका मन अधीर हो अुठता है। मनमें अुनके यह विचार भी अुठता है कि अिन धारणाओंको मिथ्या समझनेके बाद भी लोग क्यों नहीं अपने व्यवहारको बदलते? किसलिअे गुरुजन अिन्हें निबाहे

चले जाते हैं ? अपने तो जो सच मालूम होगा, वही कहेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे — अेक वार, दो टूक । देर कैसी ? मतलब यह कि जहाँ जहाँ कुछ नया करनेकी बात आती है, अुसके लिअे त्याग करने, बलि चढ़ाने, विरोध करने या लड़नेका मौक़ा आता है, वहाँ वहाँ नौजवान ही हमेशा आगे बढ़ते हैं ।

तुम आज जिस अुम्रमें हो, अक्सर अुसी अुम्रमें अिन सब विचारोंका अुदय होने लगता है । दुनियामें महान् बनकर जिन्होंने यश कमाया है, पराक्रम किये हैं, दुनियाकी सेवा की है, लोगोंको जीवनका सच्चा मार्ग दिखाया है, अुन्होंने अपने अिन महान् कार्योंके सपने अिसी छोटी अुम्रमें देखे हैं । हमारे सामने संसारके बड़ेसे बड़े पुरुष पूज्य गांधीजीका दृष्टान्त मौजूद ही है । ढेढ़ और भंगीसे न छूनेकी परम्परा हमारे देशमें अधिक नहीं, तो तीन हज़ार बरस पुरानी तो है ही । अितने पुराने समयसे जो बुराअी चली आ रही है, अुसे अेक ही पीढ़ीमें मिटा देना कोअी मामूली बात नहीं है । फिर भी गांधीजीने अिसका बीड़ा अुठाया है, और अिसके लिअे कअी बार अपने प्राणोंको भी संकटमें डाला है । ठेठ बचपनसे गांधीजी हिन्दुओंमें करने योग्य अिस सुधारके सपने देखा करते थे । कभी किसी ढेढ़भंगीसे छू जानेपर जब माताजी नहानेको कहतीं, तो ठेठ दस बरसकी अुम्रमें भी गांधीजीको यह चीज़ अखरती थी । अुस वक़्त अुन्होंने मन ही मन यह ठान लिया था कि बड़ेपनमें स्वतंत्र होनेपर वे खुद अिस अन्यायपूर्ण प्रथाका पालन नहीं करेंगे । अस्पृश्यतानिवारण सम्बन्धी गांधीजीका वर्तमान आन्दोलन अुनके अिसी संकल्पका परिणाम माना जा सकता है ।

बचपनसे ही गांधीजीके मनमें यह बात बैठ गअी थी कि हमें अपने देशको स्वतंत्र बनाना चाहिअे, और अुसे स्वतंत्र बनानेके लिअे हमें अंग्रेज़ोंकी तरह तन और मनसे हट्टेकट्टे बनना चाहिअे । साथ ही अुनके दिमाग़में यह खयाल पैदा हो गया था, या किसीने पैदा कर दिया था, कि ताक़तवर बननेके लिअे मांस खाना ज़रूरी है । अिसलिअे चौदह या पन्द्रह सालकी अुम्रमें अुन्होंने सशक्त बननेके विचारसे मांस खानेका प्रयोग शुरू किया था । लेकिन चूँकि मातापिता वैष्णव थे, मांस

लुकछिपकर ही खाया जा सकता था, और अुसके लिअे माताजीको धोखेमें रखना ज़रूरी था, अिसलिअे गांधीजीने यह प्रयोग छोड़ दिया। वैसे अुनका यह खयाल भी ग़लत तो था ही कि मांस खानेसे ही आदमी ताक़तवर बन सकता है। यह मिसाल तो मैंने अिसीलिअे दी है कि तुम जान सको कि तुम्हारी अिस अुम्रमें तुम्हारे समान लोगोंको कैसे कैसे विचित्र साहस करनेके विचार आते हैं। गांधीजीमें सत्यका आग्रह भी ठेठ बचपनसे पाया जाता है, सो तो 'सच्चे मोहन' वाली घटनासे तुम जानती ही हो।

अन्याय, अत्याचार और असत्यके खिलाफ़ बालकों और नौजवानोंके हृदय बड़ोंके मुक़ाबिले जल्दी अुबल पड़ते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे, तो आजकलके बुजुर्गोंकी तरह चुप नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि सीधे सच्चे बनकर अन्याय और अत्याचारसे लड़ेंगे और सत्ययुगकी ही स्थापनाका प्रयत्न करेंगे। फिर, ज़्यादातर बुजुर्गोंमें परस्पर, मनुष्य मनुष्यके बीच, अमीरग़रीब, अूँचनीच, छोटेबड़े और अपनेपराये वग़ैराका जो भेद पाया जाता है, वह भी छोटे बालकोंमें नहीं होता, या बहुत ही कम होता है। अुनमें समानता और न्यायकी प्रबल आकांक्षा होती है। आजसे १६ साल पहले रूसमें ज़ार (रूसका बादशाह ज़ार कहलाता था) का राज्य था। अुसके जमानेमें सारे देशके अन्दर मज़दूरों और किसानोंके अूपर सरकारी अफ़सर और अमीरअुमराव बहुत अत्याचार करते थे। रूसकी अिस ज़ारशाहीको अुलटकर अुसकी जगह किसानों और मज़दूरोंका राज्य क़ायम करनेवाले लेनिनका नाम तुमने सुना होगा। लेनिनके बड़े भाअीको राजद्रोहके अपराधमें फाँसीकी सज़ा दी गअी थी। अुस वक़्त लेनिनकी अुम्र पन्द्रह या सोलह सालकी थी। लेनिनके जीवन पर अिस घटनाका बहुत गहरा असर हुआ। ज़ारके अन्यायों और अत्याचारोंसे अुसका दिल तिलमिला अुठा और अुसी समय अुसने संकल्प किया कि वह रूससे ज़ारशाहीको नष्ट कर देगा और अुसकी जगह अेक नअी, न्याय और समानतावाली समाजव्यवस्थाकी स्थापना करेगा। वह मानता था कि हरअेक मनुष्यको मज़दूरी करनी चाहिअे, और अिस भावनापर कि मज़दूरी करनेवाले सब बराबर हैं, अेक नअी समाजव्यवस्था रची

जानी चाहिअे। अपने अिस संकल्पके कारण ही अुसने रूसमें विप्लव करवाया, और अपने नेतृत्वमें वहाँ आजके मज़दूर राज्यकी स्थापना की।

कुछ बालक धनवान, कीर्तिमान और सत्तावान बननेके सपने भी देखते हैं। लेकिन अुनके अिन सपनोंमें भी अेक तरहकी अुदात्तता और कुलीनता तो होती ही है। धनवान बननेका विचार करनेके साथ ही बालक यह भी सोचते हैं कि वे आजकलके धनवानोंकी तरह अनुदार और स्वार्थी नहीं, बल्कि अुदार और परोपकारी धनिक बनेंगे। सत्ताधारी बननेकी महत्त्वाकांक्षाके साथ अुनकी दूसरी महत्त्वाकांक्षा यह भी होती है कि वे अुस सत्ताका अुपयोग अच्छे कामोंमें करेंगे। हालाँकि अिस खयालमें भी अेक दोष तो है ही, और वह यह कि धन और सत्ताके ज़रिये सेवा करना बहुत कठिन है : असंभव है। ग़रीबोंकी सेवाके लिअे स्वेच्छापूर्वक ग़रीबीको अपनाना ज़रूरी है।

अन्यायका विरोध करने, आत्मबलिदान करने, अुदार बनने, त्याग करने, बड़ेबड़े सुधार करने, खूब नाम कमाने, और सेवा आदिके विचार तो सभी बालकोंके मनमें अुठते हैं, लेकिन अितने ही से सभी बालक महापुरुष नहीं बन जाते। बहुतेरे बालक तो बड़े होकर दुनियादारीकी झंझटोंमें अिस बुरी तरह फँस जाते हैं कि बचपनके सारे सपने धरे रहे जाते हैं, और बड़ोंकी तरह वे भी पुरानी लीकपर चलने लगते हैं। अिसकी खास वजह तो यह होती है कि बचपनके सपनोंको सच साबित करनेके लिअे जिस सुरुचि, योग्यता, कुशलता, परिश्रम, धैर्य और साहसकी ज़रूरत होती है, अुसे वे अपने अन्दर बढ़ा नहीं पाते। बचपन और जवानीका समय जहाँ बड़ेबड़े सपने देखनेका है, तहाँ अुन सपनोंको सच बनानेकी ताक़त कमानेका भी है। जो अपने सपनों और आकांक्षाओंको बराबर ध्यानमें रखकर अपनी शक्तियोंका विकास करनेमें लगे रहते हैं, वे ही संसारमें महान् स्त्रीपुरुषके रूपमें मशहूर होते हैं। तुम्हारी यह अुम्र अैसी ही तैयारीकी अुम्र है।

तैयारीके अिस कालमें शरीरको सुदृढ़, सुगठित, कष्टसहिष्णु और लोहेकी तरह मज़बूत बनाना चाहिअे। बुद्धिका विकास भी अितना कर लेना चाहिअे कि जिससे वह सब बातोंको भलीभाँति सोच और समझ

सके। साथ ही मनोबल और चरित्रबल भी अितना बढ़ाना चाहिअे कि जिससे सत्य और न्यायपर दृढ़ रहनेकी शक्ति प्राप्त होती रहे। शरीरके विकासके लिअे व्यायाम, बुद्धिके विकासके लिअे अुद्योग और अक्षरज्ञान, तथा चरित्रके विकास और अुसकी दृढ़ताके लिअे सदाचारी और चरित्र-शील मनुष्योंका सहवास आवश्यक है।

साहस और पराक्रमके बड़ेबड़े काम करनेकी अिच्छाके साथ ही अिस अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंके अन्दर अेक दूसरी अिच्छा या वासनाका भी अुदय होता है। महज़ अेक झूठी शरमके कारण ही घरके बड़ेबूढ़े बालकोंके साथ कभी अिस सम्बन्धकी बातचीत नहीं करते। अिससे बालकोंको अक्सर बड़ी परेशानी और हानि अुठानी पड़ती है। अिन पत्रोंमें मैं तुम्हें अिसी विषयपर कुछ लिखा चाहता हूँ।

× × ×

जैसे जैसे तुम मेरे अिन पत्रोंको पढ़ोगी, तुम्हें विश्वास होता जायगा कि यह सारा ज्ञान आवश्यक ही है। बचपनमें हम तुम्हें दातुन करना, नाककान साफ़ रखना, चबाचबाकर खाना और अच्छी तरह नहाना सिखाते थे। ये सब काम जितने आवश्यक हैं अुतना ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण मेरे अिन पत्रोंका विषय भी है। अिस विषयमें झूठी शरम रखनेकी कोअी वजह नहीं मालूम होती। जो शरीर अीश्वरने हमें दिया है, अुसकी ठीक ठीक सारसँभालके अुपाय जाननेमें शरम कैसी! अिस विषयके अज्ञानके कारण अनेक कन्यायें कुटेवोंमें फँस जाती हैं। जिस समय अिस सारे ज्ञानकी आवश्यकताका अनुभव होने लगता है, अुस समय कन्यायें अिस विषयमें मातापिताओंसे कुछ पूछनेकी हिम्मत नहीं कर पातीं। अिस विषयको गन्दा समझकर घरमें कोअी अिसकी चर्चा भी नहीं करता। नतीजा यह होता है कि जवान लड़कियाँ परस्पर मज़ाक ही मज़ाकमें अनेक तरहकी बातें करती हैं, अधपके ज्ञानका आदान-प्रदान करती हैं, और कभी कभी दुष्ट प्रकृतिवाले लोग अुन्हें ये सारी बातें समझानेका ढोंग करके अुनके दिमाग़में चाहे जैसी कल्पनायें ठूँस देते हैं।

अिसका अुत्तम अुपाय यही है कि कन्यायें अिस विषयका आवश्यक ज्ञान अपने मातापितासे अथवा मातापिताके समान ही प्रौढ़ और पूज्य

गुरुजनोंसे प्राप्त कर लें। कुछ पूछनेकी ज़रूरत मालूम पड़े, तो अुन्हींसे बिना किसी संकोचके पूछें। मुँहसे न पूछ सकें, तो पत्र लिखकर पूछें। कोअी बात गले न अुतरे, मनमें शंका रह जाय, तो अुसे छिपाकर न रक्खें।

अगर तुम सब मिलकर मेरे अिन पत्रोंको पढ़ो, तो मैं अुसमें कोअी बुराअी नहीं देखता। यह सोचना ही गलत है कि अिसमें किसी प्रकारकी गन्दगी या शरम है। हाँ, जिस आदमीकी शुद्धता और पवित्रताके बारेमें शंका हो, अुस आदमीके साथ अैसे प्रश्नोंकी चर्चा न करनी चाहिअे। चर्चाके आनन्दके लिअे भी चर्चा करना ठीक नहीं। जब सचमुच ही दिलमें अिस सम्बन्धकी शंका अुठे, मन परेशान रहने लगे, कुछ विशेष जाननेकी अिच्छा हो, गंभीर भावसे पिताके साथ अथवा अपने किसी श्रद्धेय व्यक्तिके साथ अिसकी चर्चाकी जा सकती है। जैसे अिस विषयका अज्ञान हानिकारक है, वैसे ही अिस विषयकी चर्चा या विचारमें रमे रहना भी हानिकारक है।

२

सजीव और निर्जीवका भेद

पिछले पत्रमें मैंने लिखा था कि अेक खास अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंके अन्दर साहस और पराक्रमकी अिच्छाके साथ दूसरी अेक अिच्छा या वासना भी अुत्पन्न होती है। यह वासना युवतीके तअिं युवकके और युवकके तअिं युवतीके आकर्षण या खिंचावकी वासना है। प्राणिमात्रमें — वनस्पति जगत्में भी — नर और मादाका भेद मौजूद है, और प्रकृति या कुदरतने अिन दोनोंके बीच ज़बर्दस्त आकर्षण रख छोड़ा है। यह आकर्षण प्रकृतिका अेक महान् बल है। प्रकृतिके अिस बलसे प्रेरित होकर नर और मादा अेकदूसरेके संपर्कमें आते हैं और अिस संपर्कके कारण नअी सन्ततिका, यानी बच्चों या बालकोंका जन्म होता है। प्रत्येक प्राणी अेक खास अुम्रमें पहुँचनेके बाद ही अिस तरहका संपर्क

स्थापित करनेके लायक बनता है। अिस अुम्रको युवावस्था, जवानी या तारुण्य कहा जाता है। अिस अवस्थामें प्राणियोंके शरीरमें कअी तरहके हेरफेर होते हैं। लड़कों और लड़कियोंके शरीरमें अिस समय जो परिवर्तन होते हैं, अुनका ठीक ठीक ज्ञान अुन्हें न होनेसे वे मन ही मन परेशान रहने लगते हैं। यदि वे अिस परिवर्तनके कारणों और महत्त्वको नहीं समझते हैं, तो अिस समय शरीरकी जैसी हिफ़ाजत करनी चाहिअे और मनको जैसा मोड़ना चाहिअे, वैसा वे मोड़ नहीं पाते। यदि तुम अिस चीज़को ठीकसे समझ लो तो तुम्हें अैसी किसी परेशानीका सामना न करना पड़े।

मैं अूपर कह चुका हूँ कि वनस्पतिमें भी नर और मादाके दो भेद होते हैं। यही क्यों, शायद तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि वनस्पति जगत्के पेड़, पौधों और लताओं वग़ैरा में भी प्राण होते हैं। यहाँ यह समझ लेनेकी ज़रूरत है कि कौन चीज़ जानदार या सजीव और कौन बेजान या निर्जीव है।

जब हम गेहूँ या दूसरा कोअी अनाज बोते हैं, तो वह पौधेके रूपमें अुगता है और अुसमेंसे बोये हुअे अेक बीचके अनेक बीज अुत्पन्न होते हैं। आमकी गुठली बोने पर अुसमेंसे आमका पेड़ खड़ा होता है और अुसमें अमिया या आम लगते हैं। हरअेक आमके अन्दर अेक अेक गुठली होती है, जिसे बोनेपर आमका नया पेड़ खड़ा हो सकता है। हमारी पाली हुअी गायोंके बछड़े और बछियायें होती हैं। किन्तु यदि हम लकड़ीका टुकड़ा या पत्थर बोयें अथवा अुसे रख छोड़ें तो अुसमेंसे नया कुछ अुगता या बनता नहीं। घरमें बरतनभाँडे या मेजकुर्सी वग़ैराको अरसे तक रख छोड़ने पर भी अुनमेंसे दूसरे बरतन या दूसरा फर्नीचर पैदा नहीं होता। अनाज या फल सड़ जाता हैं, गाय बूढ़ी होकर मर जाती है, लेकिन बरतन या घरका दूसरा सामान अिस तरह मरता नहीं। यह दूसरी बात है कि बरसोंके अुपयोगसे वे घिस जाते हैं, टूटफूट जाते हैं, या जंग चढ़नेसे निकम्मे हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। ठीकसे सँभालकर रखनेपर वे अरसे तक बने रहते हैं। अिनमें पहली चीजोंको सजीव या चेतन और दूसरीको निर्जीव या जड़ कहा

जाता है। संसारके सभी पदार्थोंके निर्जीव और सजीव ये दो भेद किये जा सकते हैं।

पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना आदि निर्जीव वस्तुयें हैं। बेजान चीज़ोंके अलग अलग कामोंके लिअे हाथ, पैर, कान, नाक आदि अिन्द्रियाँ नहीं होतीं। अुन्हें भूख भी नहीं लगती। वे अपने आप बढ़ती या बड़ी नहीं होतीं। जब हम अुनमें दूसरी चीज़ोंको शामिल करते हैं, तभी वे बढ़ती हैं। अनाजके पौधेसे जिस तरह अनाज पैदा होता है, फलवाले पेड़पर फल लगते हैं, और गायके बछड़े या बछियायें होती हैं, अुस तरह ये पदार्थ अपनी जातिके दूसरे पदार्थोंको जन्म नहीं देते, और न बूढ़े होकर मर ही जाते हैं।

सजीवका विशिष्ट लक्षण यह है कि वह पोषण पाकर बढ़ सकता है, अपनी जातिके दूसरे जीवोंको जन्म दे सकता है, और समय पाकर मर जाता है।

हर साल ढेरों घासपात और भाँति भाँतिके फूल पौधे पैदा होते, मुरझाते और नष्ट हो जाते हैं। फिर भी अुनकी जाति हमेशाके लिअे नष्ट नहीं होती। क्योंकि वे अपनी ही जातिके दूसरे घासपात और फूलपौधोंको जन्म देनेके लिअे अपने बीज पीछे छोड़ जाते हैं। फलवाले पेड़ हमें जो फल देते हैं, अुन फलों ही में अुनके बीज भी रहते हैं, जिनको बोनेसे पहलेका-सा फलका झाड़ फिर अुग आता है।

प्रत्येक जीवमें अपनी जातिके दूसरे जीवको जन्म देनेकी जो शक्ति मौजूद है, वह जननशक्ति (सं० जन्=जन्म देना) कहलाती है। यदि जीवोंमें यह शक्ति न हो तो कुछ ही वर्षोंमें पृथ्वीतलकी समूची जीवसृष्टिका अन्त हो जाय। यानी घासपात अेक बार सूखकर फिर न अुगे, फूलोंवाले पौधोंके अेक बार मर जाने पर दुबारा वैसे फूल न लगें, फलोंवाले पेड़ोंके सूखकर या बूढ़े होकर मर जानेपर हमें दुबारा फल न मिलें। और, फिर आदमी तो पैदा हों ही क्यों ? अिस वक़्त दुनियामें मनुष्यको मिलाकर जितने प्राणी कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, चिड़िया, तोता, कौआ, कबूतर, गाय, घोड़े वग़ैरा हैं, अुन सबके मरनेपर समूची सजीव सृष्टिका अन्त ही हो

जाय । अिसलिअे अिस जीवसृष्टिके क्रमको बनाये रखनेकी गरज़से कुदरतने अैसा बन्दोबस्त किया है कि जितने सजीव मरते हैं, अुनसे कहीं ज़्यादा पैदा होते हैं । यही वजह है कि दुनियामें प्रकृति और प्राणी परस्पर अेक दूसरेका अितना संहार करते हैं, तो भी प्रायः प्रत्येक जीवकी बस्ती पृथ्वीपर बढ़ती ही जाती है ।

अिसमें खास ध्यान देनेकी और महत्त्वकी बात तो यह है कि हर जीव **अपनी जातिके** जीवको ही जन्म देता है । आमकी गुठली बोने पर आम ही अुगता है, नीमकी निबौरी बोनेसे नीम ही पैदा होता है, और अिमलीका चीयाँ बोनेसे अिमली ही अुगती है । खेतमें जुवार, बाजरी या गेहूँ, जो भी बोया जाता है, वही अुगता है । घासका बीज बोकर हम अच्छे धानकी आशा नहीं रख सकते; अिमलीका चीयाँ बोकर आमकी अुम्मीद नहीं कर सकते । अिसी तरह कुतियाके कुत्ते, बिल्लीके बिलाव, बँदरियाके बन्दर और मनुष्यके मनुष्य ही होते हैं । अगर अैसा न हो, तो दुनियामें बड़ी गड़बड़ मच जाय ।

अेक जीवसे दूसरे जीवका जन्म होनेपर अुसे **जनन** अथवा कभी कभी **प्रजनन** भी कहते हैं, और जन्मकी अिस क्रिया या व्यापारको जनन-क्रिया या जनन-व्यापार कहते हैं । यह क्रिया प्राणियोंके शरीरमें बहुत ही गूढ़ और अद्‌भुत रीतिसे होती है । अिसका अभ्यास बहुत ही रसिक और बोधप्रद होता है । अिसीसे हमें यह भी मालूम होता है कि हमारा अपना जन्म किस तरह हुआ था और क्यों व कैसे हमें अपने शरीरकी सारसँभाल रखकर अुसे स्वस्थ और सुदृढ़ बनाये रखना चाहिअे ।

३

जननव्यापार (वनस्पति)

पहले हम वनस्पतिके जननव्यापारका विचार करेंगे। वनस्पति यह व्यापार अपने फूलों द्वारा करती है।

यह जाननेके लिअे कि फूलों द्वारा वनस्पतिमें जननक्रिया किस तरह होती है, हमें किसी अच्छे खिले हुअे फूलके अन्दरकी सारी बनावटकी जाँच करनी चाहिअे। धतूरे और लिलि नामके फूलोंमें यह रचना बहुत ही स्पष्ट रीतिसे देखी जा सकती है। आगे अिन फूलोंकी जो आकृति दी है, (देखिये आकृति १–२) अुसमें फूलको ठीक बीचसे काटकर अुसका अेक हिस्सा अिस तरह दिखाया गया है कि जिससे फूलके अन्दरकी समूची रचना भलीभाँति समझी जा सके।

फूलके बिलकुल निचले हिस्सेमें अेक गोल आकारका बीजकोष (क) है। यह बीजकोष बहुत ही बारीक रजकणोंसे भरा होता है। अिस बीजाशयसे अेक पोली नली या डण्डी (ख) निकली हुअी है, जो ठेठ फूलके सिरे तक पहुँचकर फूलसे कुछ बाहर निकल आअी है। अिस नलीके सिरेपर अेक गुच्छ-सा (ग) है। अिस समूची नलीको जिसके अेक सिरेपर गुच्छ और दूसरे सिरेपर आदिबीजोंवाला बीजाशय है, स्त्रीकेसर कहा जाता है। आदिबीजको अुत्पन्न करना और अुन्हें सुरक्षित रखना ही बीजाशयका काम है। अिस स्त्रीकेसरकी बगलमें अुससे सहज पतली कुछ दूसरी नलियाँ होती हैं। अिन नलियोंके सिरोंपर छोटी छोटी गाँठे (घ) होती हैं। ये गाँठे अतिशय सूक्ष्म रजकणोंकी होती हैं, जो पराग कहलाती हैं। गाँठोंको परागकोष कहा जाता है। परागकोषवाली समूची नली पुंकेसर कहलाती है। जब स्त्रीकेसरके बीजाशयवाले आदिबीज परिपक्व होते हैं, तब अुसके सिरेपर पाया जानेवाला गुच्छभाग, जिसे हम स्त्रीकेसरका मुख कहेंगे, स्त्रीकेसरकी नलीके अन्दरसे निकलनेवाले अेक तरहके रससे चिकना बन जाता है। पुंकेसरके परागकोषका पराग जब पूरी तरह पक जाता है, तो वह कोष

फट जाता है, और परागरज अलग होकर बिखरने-सी लगती है। यह परागरज अितनी महीन होती है कि हवाके अेक हलके झोंकेसे भी यह झड़ पड़ती है और हवाके साथ अुड़ जाती है। जब यह परागरज अुड़ती अुड़ती किसी परिपक्व स्त्रीकेसरके मुँहके पास पहुँचती है, तो वहाँ वह अुसके चिकने भाग पर चिपक जाती है, और फिर वहाँसे स्त्रीकेसरकी

धतूरेका फूल आकृति १

नलीकी राह ठेठ बीजाशयमें पहुँचकर बीजाशयवाले आदिबीजके साथ मिल जाती है। बीजाशयके ये आदिबीज वनस्पतिका मादातत्त्व हैं, और परागकोषका पराग नरतत्त्व है। परागके साथ आदिबीजोंके संयोगकी अिस क्रियाको आदिबीजके फलित होनेकी क्रिया कहते हैं। अिस प्रकार फलित होनेपर आदिबीज धीमेधीमे बढ़ने लगते हैं, और वही पक जानेपर बीज कहलाते हैं। अिस बीजमें मूल वनस्पतिके समान ही नअी वनस्पतिके जन्म देनेकी शक्ति आ जाती है। यदि हम बीजको अुसके अनुकूल ज़मीनमें बोयेंगे तो वह जिस वनस्पतिका बीज होगा, अुसमेंसे वैसी ही नअी वनस्पति पैदा होगी।

आकृति २

पेड़ों, पौधों और लताओंको अुनकी पुख्त अुम्रमें फूल लगने शुरू होते हैं। अगर फूल कच्ची अुम्रमें लगने लगें, तो अुनमेंसे अच्छे बीज पैदा न हों, और पेड़ पौधे या लतायें कमज़ोर भी पड़ जायँ। अिसलिअे जब किसी समय किसी पेड़ या पौधेको वक़्तसे पहले फूल लगने लगते हैं, तो समझदार माली या किसान अुन्हें तोड़ डालते हैं।

नये बीजोंको जन्म देना फूलोंका खास काम है। कुछ पेड़ोंके फूल बौर या मौर कहलाते हैं। जैसे, आम या नीमके बौर। लेकिन ध्यान रहे कि ये भी फूल ही हैं। जब अन्दरसे बीज पक जाता है, तो फूल मुरझा जाता है। खिले हुअे फूलोंको हम अपने शौक़के लिअे तोड़ते तो हैं, लेकिन हमें अुस वक़्त यह खयाल नहीं रहता कि अैसा करके हम वनस्पतिकी वंशवृद्धिके अतिशय महत्त्वपूर्ण काममें रुकावट डालते हैं।

जब फले हुअे आदिबीज पकने लगते हैं, तो अुनके साथ अुनके आसपासका आवरण अर्थात् बीजाशय बढ़ने लगता है। कअी पेड़ों या पौधोंके बीजाशय बढ़कर गूदेवाले बन जाते हैं, और अुनसे अनेक बीजों-वाला अेक सुन्दर खाने लायक फल तैयार हो जाता है (जैसे, अंगूर, अंजीर, अमरूद, सेव)। कुछ फलोंके अन्दर अेक ही बीज होता है। अिसे हम गुठली कहते हैं, और अिसके आसपासका बीजाशय गूदेवाले फलका रूप धारण करता है (जैसे, जामुन, बेर)। आम भी अैसा ही अेक फल है। कुछ में अेक ही बीज होता है और वही खाया जाता है (जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट)। अिनके अूपरका छिलका लकड़ीकी तरह कड़ा होता है। कुछ अैसे भी होते हैं, जिनमें अिस कड़े छिलकेके अिर्दगिर्द खाद्य फल तैयार होता है (जैसे, जरदालू)। कुछ में बीजायश फली या छीमीका रूप धारण करता है। अुसमें बीजोंकी कतार होती है (जैसे, मटर, सेम)। अिस प्रकार फूलोंके अन्दरके बीज और बीजाशय पकते पकते और बढ़ते बढ़ते जो रूप धारण करते हैं, अुनकी विविधताका कोअी अन्त नहीं। लेकिन अेक बात सभी वनस्पतिमें आमतौर से पाअी जाती है, और वह यह कि बीजके आसपासका पदार्थ अर्थात् बीजाशय और बीज स्वयं, फिर वह खाने लायक हो या न हो, अुस वनस्पतिका बीज है और वह फूलोंमें पाये जानेवाले नरतत्त्व और मादातत्त्वकी संयुक्त

जननशक्तिका परिणाम है। अुसीके ज़रिये वनस्पतिकी वंशवृद्धि होती रहती है।

निरीक्षणके लिअे हमने जो फूल चुना है, अुस अेक ही फूलमें स्त्री-केसर अर्थात् मादाकी जननेन्द्रिय और पुंकेसर अर्थात् नरकी जननेन्द्रिय, दोनों, हैं। लेकिन सब फूलोंमें अैसा नहीं होता। कुछ वनस्पतिमें स्त्री-केसर और पुंकेसरवाले फूल अर्थात् स्त्रीपुष्प और नरपुष्प अलग अलग होते हैं। ये फूल या तो वनस्पतिकी अेक ही डालपर अलग अलग होते हैं, या अलग अलग डालियोंपर भी होते हैं। कुछ वनस्पति तो अैसी भी है, जिसके स्त्रीपुष्प और नरपुष्प बिलकुल अलग अलग पेड़ों पर ही लगते हैं। पपीतेकी जातमें अैसा ही होता है। नरपुष्पवाले पपीतेको नर पपीता कहते हैं और स्त्रीपुष्पवालेको मादा पपीता कहते हैं। नर पपीतेमें फल नहीं लगते; लेकिन मादा पपीतेके फूलगत बीजोंको फलित करनेके लिअे अुसकी ज़रूरत रहती है।

यहाँ यह याद रखनेकी ज़रूरत है कि किसी भी फूलके स्त्रीकेसरके बीजके साथ अुसी फूलके पुंकेसरकी परागरजका संयोग प्रायः होता नहीं। आमतौर पर अेक ही फूलके पुंकेसर और स्त्रीकेसर अेक साथ परिपक्व भी नहीं होते। और कअी फूलोंमें तो पुंकेसरकी रचना और अुसका स्थान ही कुछ अैसा होता है कि अुन पर पाअी जानेवाली परागरज अपने फूलके स्त्रीकेसरके मूल तक पहुँच नहीं सकती।

हम यह देख चुके हैं कि हवा परागको स्त्रीकेसरके मुँह तक ले जानेका काम करती है। लेकिन कुदरतने अिस कामके लिअे अकेली हवाका ही सहारा नहीं लिया। प्रायः सभी फूलोंके अन्दर अेक प्रकारका मीठा रस — शहद — रहता है। तितलियों, मधुमक्खियों वगैराकी वह अेक खुराक है, और वे अुससे आकर्षित होती हैं। भौंरे, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ खिले हुअे फूलोंपर बैठकर अुनका रस चूस लेती हैं, और कभी कभी रस चूसनेके लिअे वे फूलोंके अन्दर भी पैठती हैं। अुनके पंखोंकी फड़फड़ाहटसे पुंकेसरकी परागरज बिखरती और अुनके शरीरसे चिपक जाती है। कभी कभी अुनके पैरोंमें भी चिपकती है। मधुमक्खियाँ तो अपने छोटे बच्चोंकी खुराकके लिअे अिस परागरजको

अपने पिछले पैरोंकी दोनों जाँघोंपर जो टोकरीनुमा जगह बनी रहती है, अुसमें भर लेती हैं। जब ये जन्तु अुड़कर दूसरे फूलपर बैठते हैं, तब अगर अुस फूलका स्त्रीकेसर परिपक्व हुआ, तो अुनके शरीरपर चिपकी हुअी परागरज अुस स्त्रीकेसरके मुखसे चिपक जाती है, और अुसकी नलीकी राह बीजाशय तक पहुँचकर अन्दरके आदिबीजोंको फलित करती है। तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, भौंरे वगैरा फूलोंके आसपास अुड़ते और गुनगुनाते तो फूलोंके रसके लिअे ही हैं, लेकिन अपने स्वार्थके साथ साथ वे अुन्हें मधुर रस देनेवाले फूलोंका अितना मित्रकार्य भी कर देते हैं।

अगर तुम किसी फूल-फलवाले बगीचेमें या साग-सब्ज़ीवाली बाड़ीमें जाकर फूलोंका निरीक्षण करोगी, तो तुम्हें कअी तरहके फूलोंमें बीचोबीच स्त्रीकेसर और आसपास पाँच-छः या अुससे भी अधिक पुंकेसरकी रचना दिखाअी देगी। स्त्रीकेसरकी नली पुंकेसरकी नलीके मुकाबले हमेशा मोटी होती है, और वह नीचेके बीजाशयवाले भागके आसपास ज्यादा चौड़ी होती है। जो वनस्पति बीज बोनेपर अुगती है, अुसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसरकी यह बनावट साफ़ तौरसे पाअी जाती है। लेकिन जो पेड़ या पौधे कलम करनेसे अुगते हैं, अुनके फूलोंमें, मसलन, बगीचोंमें पाये जानेवाले मोगरे या गुलाबमें, स्त्रीकेसर और पुंकेसरकी यह रचना अितनी सफ़ाअीके साथ पाअी नहीं जाती। वनस्पति-जीवनका विशेष गहराअीके साथ अध्ययन करनेवालेको अुसके जनन-व्यापारके अितने विविध और अद्भुत प्रकार नज़र आते हैं कि अुसे सानंद आश्चर्य होता है और अुसमें अुसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। अिस संक्षिप्त वर्णनसे भी तुम देख सकोगी कि प्राणी-जीवनके साथ वनस्पति-जीवनका कितना साम्य है।

४

जनन-व्यापार (सूक्ष्म जन्तु, मछली आदि)

वनस्पतिसे सहज अूँचे प्रकारकी जीवनसृष्टिमें सूक्ष्म जन्तुओं, कीड़ों, अिल्लों, वग़ैराकी गिनती होती है। कअी तरहके सूक्ष्म जन्तुओंमें यह पाया जाता है कि अेक खास क़द तक पहुँचनेके बाद वे फट जाते हैं, अुनके दो हिस्से हो जाते हैं, और ये दोनों हिस्से स्वतंत्र जन्तु बन जाते हैं। जब ये दो जन्तु काफी बड़े हो लेते हैं, तो फटकर फिर बँट जाते हैं। अिस प्रकार अेकके दो, दोके चार, यों अिनकी तादाद बढ़ती ही जाती है। फिर अिन जन्तुओंको बढ़नेमें और फटकर दो होनेमें बहुत देर भी नहीं लगती। अिसलिअे देखते-देखते अिन जन्तुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती है।

कुछ कीड़े अैसे भी होते हैं, जिनके शरीरका कोअी भाग अचानक टूट जाय, या काट डाला जाय, तो वह टूटा या कटा हुआ भाग मर नहीं जाता, बल्कि बढ़ने लगता है, और धीरेधीरे ख़ुद नये कीड़ेके रूपमें बदल जाता है।

कुछ जीवोंमें अिस तरह अेकके दो हिस्से तो नहीं होते, परन्तु अुनके शरीरपर छोटे-छोटे चिह्न दीखने लगते हैं। ये चिह्न घुअियों या आलूकी गाँठोंपर पाअी जानेवाली आँखोंकी तरह होते हैं, अिसलिअे हम अिनको भी आँख कह सकते हैं। बड़े होनेपर अिन जीवोंके शरीरपर अैसी जितनी आँखें होती हैं, वे सब जीवके मूल शरीरसे अलग हो जाती हैं, और अेक स्वतंत्र जीवकी तरह अपना जीवन शुरू कर देती हैं।

समुद्रके अन्दर पत्थरों या चट्टानोंपर अक्सर अमुक तरहके जीव चिपके हुअे पाये जाते हैं। अुनके शरीरपर भी अैसी ही आँखें निकलती हैं, और वे शरीरसे अलग होकर अपना नया जीवन शुरू करती हैं। अिसी समय असल जीव मर जाता है। लेकिन अुस मरे हुअे जीवका शरीर पत्थरसे चिपका ही रहता है। और नये जीव अुसके शरीरसे चिपके रहकर ही अपना जीवन शुरू करते हैं। अिस प्रकार अिन जीवोंका

जनन-व्यापार लगातार चलता रहता है, जिससे अेक ही जगह कभी कभी पीढ़ियोंके अवशेष अेकत्र होते रहते हैं। समुद्रमें पाये जानेवाले प्रवाल और समुद्रसोख अिसी जातिके जीव हैं। समुद्रके अन्दर प्रवालोंके जो बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं, वे अैसे ही अनगिनत जीवोंके मुर्दा शरीरसे बनते हैं। लेकिन अिस तरहकी जनन-क्रिया तो अुन्हीं जीवोंमें पाअी जाती है, जिनका ठीक ठीक विकास नहीं हुआ होता। अिन जीवोंमें मूलतः अेक ही तरहके जीवके शरीरसे दूसरे नये जीव अुत्पन्न होते हैं। दूसरे, अिनमें जनन-व्यापारका खास काम करनेवाला अवयव, जो लिंग कहलाता है, वह भी नहीं होता।

खास तौरसे विकसित जीवोंमें — वनस्पतिमें और अन्य प्राणियोंमें — नर और मादा नामके दो अलग अलग जीव होते हैं। अिन दोनोंके शरीरकी बनावट कुछ कुछ मिलती हुअी और कुछ भिन्न होती है। दोनोंके शरीरमें नये जीवको जन्म देनेवाले तत्त्व या बीज मौजूद रहते हैं। अिन दो तत्त्वोंका संयोग होनेपर, जैसा कि हम वनस्पतिके जनन-व्यापारवाले पत्रमें देख चुके हैं, मादाके शरीरगत बीजके साथ नरके शरीरगत बीजके मिलनेपर, अुसमेंसे अुसी जातिका नया बीज अुत्पन्न होता है। हम फूलोंकी बाबत यह देख चुके हैं कि ज़्यादातर फूलोंमें अेक ही फूलके अन्दर नर और मादा, दोनों तत्त्व होते हैं। कुछ निचली श्रेणीके प्राणियोंमें भी नर और मादाके ये दोनों तत्त्व अेक ही शरीरमें पाये जाते हैं। 'काल्लू' मछली अैसा ही अेक प्राणी है। अुसके शरीरमें फूलके स्त्रीकेसरवाले बीजाशयकी जगह जो अवयव होता है, अुसमें बहुत ही सूक्ष्म अण्डे अुत्पन्न होते हैं। अुसके अेक दूसरे अवयवमें अेक प्रकारका चिकना प्रवाही पदार्थ अिकट्ठा होता रहता है। अुस पदार्थमें अुन अण्डोंसे भी अधिक सूक्ष्म जन्तु पाये जाते हैं। अुक्त चिकने प्रवाही पदार्थको वीर्य कहते हैं, और अुसमें रहनेवाले जन्तु वीर्यजन्तु कहलाते हैं। यह 'काल्लू' मछली कड़ी सीपके अन्दर रहती है। अुसका अण्डा अुसके अपने शरीरमें पाये जानेवाले वीर्यजन्तुसे फलित होनेके बाद ही सीपके बाहर निकलता है, और पानीमें तैरता हुआ किसी चट्टान या वैसे ही किसी कठिन पदार्थसे लिपट जाता है। वहाँ वह अपने अन्दरसे रस

निकालकर अुसके द्वारा अपने आसपास सीपके आवरणका निर्माण करता है। यह आवरण अुसकी रक्षा भी करता है और अुसका कारागृह भी बनता है।

बीरबहूटी या अिन्द्रगोपके शरीरमें भी नरतत्त्व और मादातत्त्व दोनों होते हैं, लेकिन अुसमें और 'कालू' मछलीमें फ़र्क़ यही है कि अेक ही बीरबहूटीके अण्डोंका अुसके वीर्यजन्तुके साथ संयोग नहीं होता, बल्कि अेकके वीर्यजन्तुका संयोग दूसरीके अण्डेके साथ होता है।

प्राणियोंके जिस अवयवमें अण्डे अुत्पन्न होते हैं, अुसे अण्डाशय कहते हैं और जिस अवयवमें वीर्य या वीर्यजन्तु पैदा होते हैं, अुसे वीर्याशय कहते हैं।

समुद्र, नदी या तालाबोंमें पाअी जानेवाली साधारण मछलियोंमें अण्डाशय और वीर्याशयके दोनों अवयव अलग-अलग शरीरमें होते हैं, यानी नर और मादाके शरीर पृथक्-पृथक् पाये जाते हैं। मादा मछलीके अण्डाशय बहुत बड़े होते हैं। कुछ मछलियोंके अण्डाशयमें तो अितने ज़्यादा अण्डे होते हैं कि देखकर दाँतो तले अँगुली दबानी पड़ती है। कॉड नामक मछलीके शरीरमें अेक साथ डेढ़से लेकर दो करोड़ तक अण्डे पाये गये हैं। सभी प्रकारकी मछलियाँ अितने अण्डे नहीं देतीं, फिर भी मछलीमात्रके शरीरमें अण्डोंकी संख्या विपुल तो होती ही है। अेक खास ऋतुमें ये अण्डे पकते हैं। अिसलिअे अुस ऋतुमें मछलियोंके दलके दल गहरे और खुले समुद्रको छोड़कर खाड़ियों, मुहानों और नदियोंमें आ रहते हैं। वे अपने परिपक्व अण्डोंको छिछले पानीमें शरीरसे बाहर निकालती हैं। चूँकि ये अण्डे बेशुमार होते हैं और अेक दूसरेसे मिले रहते हैं, अिसलिअे पानीकी सतह पर अिनकी अेक पतली चादर-सी बिछ जाती है। लेकिन वे सब फले हुअे नहीं होते, यानी यदि वे अैसे के अैसे रहें, तो अुनमेंसे नये बच्चे (मछलियाँ) पैदा नहीं हो सकते। अिसलिअे जब मछलियाँ अिस प्रकार अण्डे रखनेके लिअे जगह बदलती हैं, तो नर मच्छ अुनके पीछे-पीछे जाते हैं और मछलियोंके शरीरसे निकले हुअे अण्डों पर वे अपने शरीरका चिकना प्रवाही पदार्थ तैरते-तैरते फेंकते

चलते हैं । अिस चिकने पदार्थमें नरके वीर्यजन्तु होते हैं । ये जन्तु पानीमें फैले हुअे अण्डोंमें प्रवेश करके अुन्हें फलित करते हैं ।

मेंढकोंमें मादा मेंढक अपने शरीरसे अपने आप अण्डे बाहर नहीं निकालती, बल्कि नर मेंढक मादाकी पीठ पर बैठकर अुसका पेट धीरे-धीरे दबाता है, जिससे अण्डे मादाके पेटसे बाहर निकलते हैं । फिर नर मेंढक नीचे अुतरकर अुन अण्डों पर अपने शरीरका चिकना प्रवाही पदार्थ छिड़कता है । अिस पदार्थके वीर्यजन्तुसे वे अण्डे फलते हैं ।

मछलियोंके जनन-व्यापारकी यह विशेषता ध्यानमें रखने लायक है कि अुनके अण्डोंकी फलन-क्रिया मादाके शरीरके बाहर होती है । दूसरे, अिस क्रियाके बाद नर या मादामें से कोअी फले हुअे अण्डोंकी ज़रा भी सार-सँभाल नहीं करता । वे अिन अण्डोंको छोड़कर चले जाते हैं । यह भी नहीं होता कि मादाके अण्डाशयसे निकले हुअे सभी अण्डोंको नरके वीर्यजन्तु मिल जाते हैं । अिसलिअे बहुतेरे अण्डे तो यों ही बरबाद हो जाते हैं । कुछ दूसरी मछलियाँ अिन अण्डोंको खा भी जाती हैं । चुनाँचे बच्चे सिर्फ़ अुन्हीं अण्डोंमें से पैदा होते हैं, जो फलकर भी दूसरी मछलियोंके हमलेसे बच जाते हैं । कहा जाता है कि मादा मछलियाँ जितने अण्डे देती हैं, अुन सबमेंसे बच्चे पैदा हों, तो पानीमें पैर रखनेको भी जगह न मिले ।

५

जनन-व्यापार (भौंरी, मधुमक्खी वगैरा)

वनस्पतिके जनन-व्यापारमें हम यह देख चुके हैं कि फूल अपनी परागरजको चारों ओर मनमाने तरीक़ेसे अुड़ने देता है। अुसको अिसका कोअी पता नहीं रहता कि हवा या तितली और शहदकी मक्खी वगैरा अुस परागको कहाँ ले जायेंगे। अिसी तरह नरपुष्प या स्त्रीपुष्प अथवा पुंकेसर या स्त्रीकेसरको अिस बातका कोअी आग्रह नहीं रहता कि अमुक फूलके स्त्रीकेसर पर ही वह अपनी परागरज डाले या स्त्रीकेसर अमुक पुंकेसरके परागरजको ही ग्रहण करे। मछलियोंमें भी अक्सर यही होता है। नर मछली यह नहीं सोचती कि वह किस मछलीके अण्डोंको अपने वीर्यजन्तुसे फलित करे, और न मादा मछली ही यह सोचती या चाहती है कि वह अमुक नरके वीर्यजन्तुसे ही अपने अण्डोंको फलित होने दे। लेकिन जैसे-जैसे हम अधिक विकसित प्राणियोंके जनन-व्यापारका विचार करेंगे, हमें पता चलेगा कि अुनमें नर और मादा सहज ज्ञानपूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, और अिस संयोगके फलस्वरूप जो बच्चे अुन्हें होते हैं, अुनकी रक्षा भी वे करते हैं। अिन प्राणियोंमें नर और मादा दोनों अपनी पसन्दके अनुसार यह तय करते हैं कि कौन किस मादाके अण्डोंको अपने वीर्यजन्तुसे फलित करे और कौन किस नरके वीर्यजन्तुसे अपने अण्डोंको फलित होने दे। प्राणी जितना ही अूँचे दर्जेका यानी जितना विशेष विकसित होता है, अुतना ही वह अपने साथीको चुनने, अपने बच्चोंकी हिफ़ाजत करने, अुनका पालन-पोषण करने और अुनके तअीं प्रेम और कर्त्तव्यकी भावना रखनेको अधिक अुत्सुक होता है: ये तत्त्व अुसमें अुतनी ही प्रबल मात्रामें पाये जाते हैं। अुच्च कोटिके प्राणियोंमें नर किसी मादाके पास नहीं जाता, न मादा किसी नरको अपने पास आने देती है; बल्कि वे अपने साथीका चुनाव अपनी पसन्दके अनुसार कर लेते हैं। और चूंकि मनुष्यके अन्दर भले-बुरेका विचार करनेकी ताक़त और अपने निश्चयोंको अमली जामा पहनानेका संकल्प खास तौर

से पाया जाता है, अिसलिअे अुसने तो अिस बारेमें अपने लिअे अनेक नियम भी बना रक्खे हैं। आगे चलकर हम अिन नियमोंका विचार करेंगे। अभी तो अिसी विषयको आगे देखें।

मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी, चींटी वग़ैरा जीव, वैसे मछलियोंके मुक़ाबले बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अिनकी जननेन्द्रियकी बनावट मछलीके बनिस्बत ज़्यादा विकसित होती है। पहली बात तो यह है कि अिनमें जनन-व्यापारके लिअे नर और मादाका प्रत्यक्ष संयोग होता है। दूसरे, मादाके अण्डाशयमें अुत्पन्न होनेवाले अण्डे फलने से पहले मादाके शरीरसे बाहर नहीं निकलते, बल्कि फलने लायक होनेके बाद अण्डाशयसे निकलकर अुसके पासवाले अेक थैली-जैसे अवयवमें जा पड़ते हैं। नरके वीर्यजन्तुसे अुनके फलित होनेकी क्रिया अिस अवयवमें होती है। नरके वीर्यजन्तुको अिस अवयवके अन्दर ठीकसे पहुँचानेके लिअे नरके शरीरमें अेक लम्बी नली-जैसी अिन्द्रिय होती है, जो मादाके शरीरमें प्रवेश करती है। यह अिन्द्रिय शिश्न कहलाती है। नर मक्खी या नर तितलीका शिश्न मादा मक्खी या मादा तितलीके शरीरमें पाये जानेवाले अेक खास छेदमें प्रवेश करता है। मादाके शरीरवाली अुस थैलीकी रचना कुछ अैसी है कि नरके शिश्न द्वारा अुसका वीर्य थैलीमें जा पहुँचता है, और वह वहाँ पाये जानेवाले अण्डोंको फलित करता है। अिस तरह फले हुअे अण्डोंको मादा अपने शरीरसे बाहर निकालती है। अिन अण्डोंमेंसे असली जीवकी तरह नया जीव या जन्तु पैदा होनेसे पहले अुसके दो तीन रूपांतर और होते हैं। ये जीव अपने अण्डोंको चाहे जहाँ नहीं रखते, बल्कि अपनी पसन्दके किसी पदार्थ विशेषमें ही रखते हैं। अिसमें अुनके दो हेतु होते हैं। अेक तो यह कि अण्डे दूसरे किन्हीं प्राणियोंसे अथवा सर्दी, गर्मी, बारिश जैसी कुदरती आफ़तोंसे सुरक्षित रहें। दूसरे, अण्डोंके विविध रूपांतरोंको आवश्यक पोषण मिलता रहे, और अुनमेंसे सम्पूर्ण जीवके जन्म लेने पर अुसे अुसकी ख़ुराक बराबर मिलती रहे।

साधारण मक्खी अपने अण्डे किसी मुर्दा शरीरके मांसमें रखती है। अिससे अुन अण्डोंके विविध रूपान्तरोंको और अन्तमें बच्चोंके तैयार हो जानेपर अुन्हें भी अपने पोषण और संवर्धनके लिअे अुसमेंसे आहार

मिलता रहता है। कुछ जीव ज़मीनके अन्दर गड्ढे खोदकर अपने अण्डे अुन गड्ढोंमें रखते हैं। वहाँ वे मिट्टीमें पाये जानेवाले सूक्ष्म जन्तुओंसे अपना पोषण करते रहते हैं। कुछ दूसरे जीव पेड़की छाल या पत्तोंमें छेद गिराकर अुनमें अपने अण्डे रखते हैं। अिस तरह सभी रूपान्तरोंसे गुज़रकर बच्चोंके तैयार होने तक वे वहाँ वनस्पतिके कोमल भागसे अपना पोषण किया करते हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे घरकी दीवारों पर या खिड़कियों और दरवाज़ों पर और कभी-कभी हमारी पुस्तकों या अैसी ही दूसरी चीज़ों पर भौंरियाँ मिट्टीके छोटे-छोटे घर बनाती हैं। वे अेक तरहके लम्बे कीड़ेको पकड़कर ले आती हैं, और अुसे अपने अिस घरमें क़ैद करके रखती हैं। भौंरियाँ अिस कीड़ेके शरीरमें अपने अण्डे रखती हैं। अण्डोंमें से बच्चे तैयार होने तक और बच्चोंके बड़े होकर अुड़ने और बाहर निकलने लगने तक वे अुस कीड़ेके शरीरसे अपनी .खुराक प्राप्त करते रहते हैं। अिसके कारण लोगोंमें अेक अैसी धारणा प्रचलित हो गअी है कि भौंरी द्वारा क़ैद किया हुआ कीड़ा अिस डरसे कि भौंरी आयेगी और मुझे मार डालेगी, रातदिन भौंरीका ही विचार किया करता है। नतीजा यह होता है कि धीरे-धीरे वह .खुद ही भौंरा या भौंरी बन जाता है।

ये जीव अपने बच्चोंके लिअे सुरक्षित स्थान और आवश्यक .खुराकका प्रबन्ध करके वहाँ अण्डे रख देते हैं। अिसके बाद वे अपने बच्चोंकी कोअी सार-सँभाल नहीं रखते। वे अपनी अन्तःप्रेरणासे यह समझ जाते हैं कि अण्डोंसे निकलनेके बाद अुनके बच्चे स्वतंत्र रूपसे अपना जीवन बिता सकेंगे।

कुछ जीव तो अपने बच्चोंको देख ही नहीं पाते। क्योंकि मादाके शरीरमें रहे हुअे अण्डोंको फलित करनेकी क्रियाके बाद नर, और फले अण्डोंको अपने शरीरसे बाहर निकालनेके बाद मादा, दोनों तुरन्त ही मर जाते हैं। कअी जीव अपनी सन्तानको जन्म देनेके लिअे ही अिस तरह अपनी जानकी कुर्बानी करते हैं। लेकिन यह माननेकी कोअी वजह नहीं मालूम होती कि वे यह कुर्बानी सोच-समझकर करते हैं।

६

जनन-व्यापार (पक्षी)

जिन जीवोंका विचार हम पिछले पत्रमें कर चुके हैं, अुन्हींकी तरह पक्षियोंके अण्डे भी मादाके शरीरके अन्दर ही फलित होते हैं, और अिसके लिअे नर और मादाका संयोग आवश्यक होता है। पक्षियोंमें नरकी जननेन्द्रियकी रचना तो जीव-जन्तुओंकी तरह ही होती है। लेकिन मादाकी जननेन्द्रियकी रचनामें थोड़ा फ़र्क़ होता है। जीव-जन्तुओंमें मादा अपने अण्डोंको फलनेके बाद तुरन्त ही बाहर निकाल डालती है, जब कि पक्षियोंमें फले हुअे अण्डे मादाके शरीरके अन्दर ही बढ़ते हैं, और पूरी तरह बड़े होनेपर ही बाहर निकलते हैं। अिन अण्डोंपर अेक कठिन आवरण तैयार होता है, जो अण्डेका 'छिलका' कहा जाता है। अिसका हेतु अन्दरके सजीव पदार्थकी रक्षा करना है। मादाके शरीरसे अण्डोंके बाहर निकलनेकी क्रिया अण्डे देनेकी क्रिया कही जाती है। जिस तरह जीव जन्तु किसी पदार्थको ढूँढ़कर अुसमें अपने अण्डे रखते हैं, अुसी तरह पक्षी अपने अण्डोंके लिअे पहलेसे घोंसला बनाकर रखते हैं। लेकिन जीव जन्तुओंमें और पक्षियोंमें फ़र्क़ यह है कि अुनमें नर भी घोंसला बनानेमें मदद करता है। अण्डोंको घोंसलेमें रखनेके बाद जबतक अण्डोंके अन्दरका सजीव पदार्थ बच्चोंका रूप धारण नहीं करता और वे बाहर निकलने लायक नहीं होते, तबतक अुन अण्डोंको गरम रखकर अन्दरके बच्चोंको गर्मी पहुँचानेके लिअे मादा अण्डोंपर बैठती है। यह क्रिया अण्डा सेनेकी क्रिया कही जाती है। तुमने अपने घरकी छतमें या दूसरी किसी अनुकूल जगहमें घोंसला बनाकर रहनेवाली चिड़िया या कबूतरको अण्डोंपर बैठते और अुन्हें सेते देखा होगा। अण्डे सेनेके काममें नर भी मदद करता है। नर मादाके लिअे दाना चुगकर लाता है और अुसके पास बैठकर मीठे मीठे गीतों द्वारा अुसका मनोरंजन करता है। जब मादा घोंसलेमें बैठी-बैठी अूब जाती है, तब नर अण्डोंपर बैठकर अुन्हें सेता है और मादा कुछ देर बाहर जाकर खुली हवामें घूम

आती है। जिस तरह किसी दिन दिनभर घरके अन्दर ही बैठे रहनेके बाद हम ताज़गीके लिअे बाहर खुलेमें घूम आते और पैरोंको हलका करते हैं, अुसी तरह पक्षियोंमें भी मादा अपने पंख फड़फड़ाकर हलकी हो आती है। बच्चा जब अण्डेके अन्दर होता है, तो अुसके लिअे .खुराक अण्डेके अन्दर ही मौजूद रहती है। बादमें जब वह बाहर आने लायक होता है, तब मादा अपनी चोंचसे अण्डेके छिलकेको बड़ी सावधानीके साथ फोड़ती है, और बच्चा अुसमेंसे बाहर निकलता है। अिसके बाद भी नर और मादा यानी बच्चोंके माँ बाप अुनकी सार-सँभाल रखतेहैं, अुनके लिअे दाना चुगकर लाते और अुन्हें खिलाते हैं, अुनको अुड़ना सिखाते हैं और दूसरे प्राणियोंसे अुनकी रक्षा करते हैं। वह दृश्य कितना सुन्दर और आकर्षक होता है, जब भूखे बच्चे दानोंकी तलाशमें निकले हुअे अपने माता पिताकी राह देखते हुये बैठे रहते हैं, माता पिताको देखते ही चोंच खोलकर आगे बढ़ते हैं, और माता पिता अपनी चोंचमें लाये हुअे दानोंको अेक अेक करके अुन बच्चोंके मुँहमें डालते हैं! अबतक हमने जिन प्राणियोंका विचार किया, अुनमें और पक्षियोंमें महत्त्वका फ़र्क़ यही है कि अुन प्राणियोंमें अण्डे देनेके बाद माता पिता अुन अण्डोंकी कोअी परवा नहीं रखते, जब कि पक्षी तबतक अपने बच्चोंकी सार-सँभाल रखते हैं, जबतक वे अपने आप अुड़ना, फिरना, दाना चुगना और भयसे अपनी रक्षा आप करना सीख नहीं जाते। और यह सारा काम बच्चोंके माँ बाप दोनों मिलकर करते हैं।

७

जनन-व्यापार (आँचलवाले प्राणी)

पिछले पत्रमें हमने पक्षियोंके जनन-व्यापारकी जो चर्चा की, अुसमें तुमने यह देखा होगा कि पक्षियोंके छोटे-छोटे बच्चे अपने माता पिता द्वारा चुगकर लाया गया दाना ही खाते हैं; यानी अुनका आहार प्रायः बड़े पक्षियोंके समान ही होता है। अब हम कुछ असे प्राणियोंकी चर्चा करेंगे, जिनके नवजात बच्चोंको अुस समय तक अपनी माताके शरीरसे आहार मिलता है, जबतक बड़े होकर वे खुद दूसरी तरहका आहार लेने नहीं लगते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि अिसी श्रेणीके प्राणी हैं। लेकिन अिनकी चर्चा करनेसे पहले हम पक्षियों और अिन पशुओंके बीचकी श्रेणीके अेक दूसरे प्राणीकी चर्चा कर लें।

अिस श्रेणीके प्राणियोंमें अुनके शरीरके बाहरी हिस्सेमें पेटके पास अेक थैली-सी होती है। वे अपने बच्चोंको अिसी थैलीमें रखते हैं। दूसरे किसी देशकी अपेक्षा आस्ट्रेलियामें असे प्राणी अधिक पाये जाते हैं, और अुनमें कंगारूका नाम बहुत मशहूर है। अिन प्राणियोंमें अण्डोंके फलनेकी क्रिया पेड़ूके अन्दर पाये जानेवाले गर्भाशयमें ही होती है, और अुसके लिअे नर और मादाका संयोग भी आवश्यक होता है। अिनके अण्डे पक्षियोंके अण्डोंकी तरह न तो कड़े आवरणवाले बनते हैं, न घोंसलोंमें रक्खे और सेये जाते हैं। अिनके अण्डोंका पोषण गर्भाशयके अन्दर ही होता है। लेकिन बच्चे बहुत ही छोटी, अधूरी और दुर्बल दशामें गर्भाशयसे बाहर निकल आते हैं। कंगारू माता अुन्हें अपने अगले पंजों द्वारा तुरंत ही अुठा लेती, और पेटवाली थैलीमें रख देती है। अिस थैलीमें रहते समय शिशु कंगारूके ओठ माँके आँचलसे जुड़ जाते हैं, और ओठोंसे निकलनेवाले अेक तरल पदार्थ द्वारा भलीभाँति चिपक जाते हैं। शिशु कंगारूमें माँके स्तनको चूसकर पोषण पानेकी शक्ति नहीं होती, अिसलिअे माताके स्तनोंके आसपास रहे हुअे स्नायुओंके सकोच-विकोच द्वारा ही दूधके समान अेक प्रवाही पदार्थ अुनमेंसे निकलता है,

और वह बच्चोंके पेटमें पहुँचता रहता है। अिस प्रकार बच्चे पेटवाली अिस थैलीमें रहकर ही बढ़ते और पुष्ट होते हैं। जब बच्चे काफ़ी बड़े और बलवान हो जाते हैं, तो जिस तरह पका हुआ फल अपने डण्ठलसे अलग होकर गिर पड़ता है, अुसी तरह वे भी अपनी माँके स्तनोंसे अलग हो जाते हैं, और थैलीके बाहर निकलकर अिस दुनियामें प्रवेश करते हैं। लेकिन बाहर निकलनेके बाद भी जबतक वे पूरी तरह स्वावलम्बी नहीं हो जाते, तबतक, यानी कअी हफ़्तों तक, वे अपने रक्षण, पोषण और आरामके लिअे माताकी पेटवाली थैलीका ही आश्रय लेते हैं। बच्चोंके सम्पूर्ण स्वतन्त्र बन जाने पर माताके पेटकी यह थैली सिकुड़कर बिलकुल छोटी हो जाती है, और जब दुबारा बच्चोंके पैदा होनेका समय आता है, तब फिर बढ़कर बड़ी हो जाती है।

अब हम अैसे प्राणियोंका विचार करें, जो जनन-व्यापार और शिशु-संगोपनमें सबसे अधिक आगे बढ़े हुअे हैं। अिन्सान अिनमें सबसे आगे माना जाता है। ये आँचलवाले या स्तनी प्राणी कहलाते हैं। क्योंकि अिनके आँचलों अथवा स्तनोंमें नवजात शिशुके लिअे दूध अुत्पन्न होता है और जबतक शिशुके दाँत नहीं आते या वह दूसरी .खुराक लेने लायक़ नहीं हो जाता, ये अुसे दूध पिलाते और अुसका पोषण करते हैं। नर और मादाके संयोगके फलस्वरूप मादाके अण्डाशयके अण्डे अुसके शरीरके अन्दर ही गर्भाशय नामक अवयवमें फलित होते हैं। लेकिन अिन अण्डोंका विकास गर्भाशयमें ही अेक खास तरहसे होता है, जिसका अब-तकके बयानमें कहीं ज़िक्र नहीं आया है। न सिर्फ़ गर्भाशयके अन्दर अण्डेका सेवन होता है, बल्कि अण्डा बच्चेकी शकल भी गर्भाशयके अन्दर ही धारण करता है, और माताके शरीरसे अपने लिअे पोषण पाता और बढ़ता हुआ हफ़्तों या महीनों तक वहीं रहता है। बादमें जब बच्चा सब तरहसे अपने माता पिताके समान शरीरवाला बन जाता है, तो गर्भाशयकी अलग-बगलके स्नायुओंके सिकुड़नेसे वह मादाकी योनिकी राह बाहर आता है। बाहर आने पर ये बच्चे बड़े प्राणियोंकी तरह अेकदम खाना शुरू नहीं कर सकते, अिसलिअे अिनके पोषणके लिअे माँके स्तनोंमें दूध भर आता है, जिसे पीकर बच्चे बड़े होते हैं।

चूहों और गिलहरियोंके समान छोटे-छोटे प्राणियोंसे लेकर ठेठ हाथी जैसे बड़े प्राणी भी अिसी वर्गमें आते हैं। खरगोश, हिरन, बाघ, शेर, सियार, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली और गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, अूँट ये सभी अिस वर्गके प्राणी हैं। समुद्रमें रहनेवाली सबसे बड़ी व्हेल नामक मछली भी स्तनी प्राणियोंमें है।

भिन्न-भिन्न प्राणियोंके बच्चोंको माताके गर्भाशयमें पुष्ट होनेके लिअे भिन्न-भिन्न समय लगता है। माताके अण्डाशयसे निकले हुअे अण्डोंके नरके वीर्यजन्तुसे फलित होनेके बाद अर्थात् गर्भाधानके पश्चात्, चुहिया बीस दिनमें, खरगोश अेक महीनेमें, गाय-भैंस साढ़े नव या दस महीनोंमें, घोड़ी ग्यारह या बारह महीनोंमें और हथिनी बीस महीनोंमें बच्चेको जन्म देती है।

बिल्ली, कुत्ते और अिनके समान दूसरे छोटे-छोटे प्राणी अेक साथ कअी बच्चोंको जन्म देते हैं। क्योंकि अुनके गर्भाशयमें कअी अण्डे अेक साथ फलते हैं। लेकिन गाय, भैंस, घोड़ा और स्त्री अेकबारमें अेक ही बच्चेको जन्म देती है। मनुष्योंमें जब अेक साथ दो अण्डे फलित हो जाते हैं, तो कभी कभी जुड़वाँ बालक भी पैदा होते हैं।

जनन-व्यापार (मनुष्य जाति)

मानव जातिके जनन-व्यापारका विचार हम कुछ अधिक विस्तारके साथ करेंगे। जनन-क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्रीके अवयव अुसके पेड़ूवाले प्रदेशमें होते हैं। अिन अवयवोंमें दो अण्डाशय और अेक गर्भाशय मुख्य हैं। अण्डाशय चपटी बादामके समान क़द और आकारवाले होते हैं और गर्भाशयका क़द छोटे अमरूदके बराबर होता है।

जननेन्द्रियके अवयव

क गर्भाशय
ख गर्भाशय-अन्दरसे
घ रजवाहिनी
घ' रजवाहिनी
(काटकर दिखाअी गअी)
प अण्डाशय
प' अण्डाशय (काटकर दिखाया गया)
ग योनिमार्ग
इ योनिद्वार

जब लड़कीकी अुम्र तेरह या चौदह सालकी होती है, तब अुसके अण्डाशयोंमें अण्डोंका जन्म होने लगता है। अुसमें सैकड़ों अण्डे न्यूनाधिक पक्व दशामें रहते हैं। हर अट्ठाअीसवें या तीसवें दिन अिनमेंसे अेक, और कभी-कभी दो अण्डे पूरी तरह पकते हैं। जब अण्डा अण्डाशयके अन्दर पकनेको होता है, तब गर्भाशयके अन्दरके भागमें सूजन आ जाती है और अुसमें खून अिकट्ठा होने लगता है। अण्डेके भली-भाँति पककर अण्डाशयसे अलग होने पर गर्भाशयके आसपास जमा हुआ लहू बहने

लगता है। अिस तरह यह लहू तीनसे लेकर सात दिन तक बहता है, लेकिन आमतौर पर अिस रक्तस्रावकी मुद्दत चार दिनकी ही मानी गअी है। बोलचालकी भाषामें अिसे कपड़ेसे आना कहते हैं। यही स्त्रियोंका मासिक धर्म कहलाता है। मासिक धर्मके कारण गर्भाशय अच्छी तरह धुलकर साफ़ हो जाता है। अिस बीच अण्डाशयसे निकला हुआ अण्डा अण्डाशयको गर्भाशयसे जोड़नेवाली रजवाहिनी नामक नलीके द्वारा धीरे-धीरे गर्भाशयकी ओर आता है। माना यह जाता है कि अिस तरह पके हुअे अण्डेको अण्डाशयसे गर्भाशय तक आते-आते तीनसे पाँच दिन लग जाते हैं। यह अण्डा गर्भाशयमें आनेके बाद कुछ दिन वहीं रहता है और फिर योनि-मार्गसे बाहर निकल जाता है। लेकिन चूँकि यह अतिशय सूक्ष्म होता है, अिसलिअे पता नहीं चलता कि यह कब बाहर निकल जाता है। (सभी अण्डे अेकसे नहीं होते। अिन अण्डोंका व्यास अेक अिञ्चके अेक सौ बीसवें भागसे लेकर दो सौ चालीसवें भाग तक होता है।) लेकिन जब यह गर्भाशयके अन्दर होता है, अुस समय यदि स्त्रीके साथ पुरुषका संयोग हो और पुरुषका वीर्य जन्तु अिससे आ मिले, तो अण्डा फल जाता है। मतलब यह कि स्त्रीके अण्डेमें जो अेक बहुत ही सूक्ष्म जीवबीज होता है, अुसके साथ पुरुषके वीर्यजन्तुमें पाया जानेवाला जीवबीज मिल जाता है, और अिन दो जीवबीजोंके मिलनेसे अेक नया जीव अुत्पन्न होता है, जो बढ़नेकी शक्ति रखता है। न तो अकेला स्त्रीके अण्डेवाला जीवबीज और न पुरुषके वीर्यजन्तुवाला जीवबीज अपने आपमें बढ़नेकी ताक़त रखता है। स्त्रीके अण्डेवाले जीवबीज और पुरुषके वीर्यजन्तुवाले जीवबीजके मेलसे गर्भ रहता है। यह गर्भ मासिक धर्म द्वारा स्वच्छ बने हुअे गर्भाशयमें रहता है। जब यह हो जाता है, तो कहा जाता है कि स्त्रीने गर्भ धारण किया है। अिस तरह स्त्रीके गर्भवती होने पर गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है और मासिक धर्म रुक जाता है।

पहले दिन तो गर्भ अेक अिञ्चके क़रीब दो सौवें हिस्सेके बराबर होता है। अेक महीनेके बाद गर्भ गुठली मारकर बैठी हुअी अिल्लीके बराबर हो जाता है। दूसरे महीनेके अन्तमें यह अेक अिंचसे कुछ बड़ा रहता है। तीसरे महीनेमें गर्भके हाथ, पैर आदि अवयव पहचाने जा सकते

हैं। वह बढ़कर क़रीब चार अिंच लम्बा हो जाता है। अिस महीनेके अन्तमें बढ़ते हुअे गर्भको भरपूर पोषण मिलनेकी दृष्टिसे गर्भाशयके अन्दरके भागमें बड़े समुद्रसोख या सूआबादलके समान अेक पिण्ड तैयार होता है। अिस पिण्डमेंसे निकलनेवाली अेक लम्बी नली गर्भकी नाभिमें प्रवेश करती है। अिस नलीके ज़रिये गर्भको माँके शरीरका ख़ून मिलता रहता है। पैदा होनेके बाद बालककी नाभि या तुंदीके साथ जुड़ी हुअी यह नली — नाल — काट डाली जाती है। वह सूआबादल-जैसा पिंड भी बाहर निकल आता है, जो जरायु कहलाता है। आँचलवाले सभी प्राणियोंमें गर्भके पोषणका यही तरीक़ा पाया जाता है। चौथे महीनेके बाद गर्भका हृदय धड़कने लगता है और वह हिलना-डुलना शुरू कर देता है। गर्भका यह हलन-चलन और अुसका फड़कना अुसकी वृद्धिका अचूक प्रमाण है। गर्भ धारणके क़रीब ४० हफ़्तों या २८० दिनके बाद बालकका जन्म होता है।

अूपरके वर्णनसे तुम यह तो समझ सकी होगी कि बालकका जन्म अकेली माता द्वारा नहीं होता। बल्कि माता-पिता दोनोंके संयोगसे होता है। माता बच्चेको पेटमें धारण करती और जन्म देती है, अिसलिअे वह **जननी** कहलाती है, और पिता बालकके जन्मका कारण बनता है, अिसलिअे वह **जनक** कहलाता है।

हमारे शरीरका आरम्भ दो बहुत ही सूक्ष्म जीवबीजोंके परस्पर संयोगके कारण होता है। दो जीवबीज मिलकर अेक सूक्ष्म जीवकोषका निर्माण करते हैं। हमारा शरीर अैसे असंख्य जीवकोषोंसे बना है। शरीरमें जितने जीवकोष होते हैं, अुनमेंसे हरअेकका आधा भाग माँकी ओरसे और आधा पिताकी ओरसे प्राप्त होता है। नीचे दी हुअी आकृतियों और अुनके परिचयसे यह चीज़ अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

स्त्रीके अण्डाशयवाले अण्डे

पुरुषके वीर्यजन्तु

वीर्यजन्तुके प्रवेश और जीवकोषका परिचय करानेवाली आकृति

क ख

ग घ

४८ जीवकण २४ जोड़

४८ जीवकण २४ जोड़

क. बड़ा वृत्त माँके शरीरवाले अण्डेका सूचक है। लम्बी पूँछ और चपटे सिरवाली आकृति नरका वीर्यजन्तु है। अण्डेके अन्दरवाले वृत्तमें मातावाला जीवबीज है। वीर्यजन्तुका सिरवाला अंश पिताका जीवबीज है। अण्डेवाले जीवबीजमें चौबीस सूक्ष्म कण हैं, जो अिस आकृतिमें दिखाये गये हैं। वीर्यजन्तुके जीवबीजमें भी चौबीस सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन वे यहाँ अलगसे दिखाये नहीं गये हैं। ये कण कदमें अेकसे नहीं होते। अिस आकृतिमें यह दिखाया गया है कि वीर्यजन्तु अण्डेमें प्रवेश करनेकी तैयारीमें है।

ख. वीर्यजन्तु अण्डेके अन्दर घुस चुका है। अुसका सिर और पूँछ अलग-अलग हो गये हैं। सिर बढ़कर अण्डेके जीवबीजके समान ही गोल बन गया है। चित्रमें सिरके चौबीस कण भी दिखाये गये हैं।

ग. वीर्यजन्तुका जीवबीज अण्डेवाले जीवबीजके साथ मिल चुका है, और दोनोंका मिलकर संयुक्त जीवबीजवाला अेक जीवकोष बन गया है। अुसमें सूक्ष्म कणोंकी २४ जोड़ियाँ या ४८ कण हैं। हर जोड़में अेक कण अण्डेवाले जीवबीजका यानी माँका है, और अेक वीर्यजन्तुवाले जीवबीजका अर्थात् पिताका है। वीर्यजन्तुकी पूँछ घिसघिसाकर नष्ट होने लगी है।

घ. अूपर कहे गये ढंगसे बना हुआ जीवकोष अब टूटकर दो कोषोंमें बँट गया है। प्रत्येकमें अेक-अेक संयुक्त जीवबीज है। अुन ४८ कणोंमेंसे भी हरअेकके दो-दो भाग हो गये हैं, अर्थात् प्रत्येक जीवकोषके बीजमें ४८ कण अथवा कणोंकी २४ जोड़ियाँ मौजूद हैं। हरअेक जोड़का अेक कण माँकी ओर का और दूसरा बापकी ओर का है।

ये दो जीवकोष जब पककर बड़े हो जाते हैं, तो फिर बँट जाते हैं। दोके चार, चारके आठ, यों अिनका सिलसिला ज़ारी रहता है। हमारा शरीर अैसे असंख्य जीवकोषोंसे बना है। शरीरके बढ़नेका मतलब है, जीवकोषोंकी संख्याका बढ़ना। हम रोज़ जितनी शक्ति खर्च करते हैं, अुतने जीवकोष नष्ट होते हैं। लेकिन शरीर तभी बढ़ता है, जब नष्ट होनेवाले जीवकोषोंकी तुलनामें नये जीवकोषोंका निर्माण अधिक

होता है। बचपनमें और जवानीमें जीवकोष बड़ी तेज़ीके साथ बढ़ते हैं। यही वजह है कि अिस अुम्रमें हमारा शरीर बढ़ता रहता है। यह याद रखना चाहिअे कि शरीरके प्रत्येक जीवकोषके बीजमें ४८ कण रहते हैं। सिर्फ माँके अण्डेवाले जीवबीजमें और वीर्यजन्तुके जीवबीजमें चौबीस चौबीस कण होते हैं। हमारे शरीरका हरअेक जीवकोष माता-पिताके संयुक्त जीवबीजवाला अर्थात् ४८ कणोंवाले जीवबीजका होता है। माँकी ओरके चौबीस कण बालकको माताके कुलके लक्षण और पिताकी ओरके चौबीस कण पिताके कुलके लक्षण प्रदान करते हैं। हाल ही में यह बात सप्रमाण सिद्ध हुअी है कि मनुष्योंमें अुनकी परम्परागत विशेषतायें अिन जीवकणों द्वारा ही संक्रान्त होती हैं।

अिन आकृतियोंमें वीर्यजन्तुकी, अण्डेकी और अुसके अन्दरके जीवबीजोंकी आकृति अुनकी वास्तविक आकृतिसे बहुत बढ़ाकर दिखाअी गअी है। दर असल ये सब अितने सूक्ष्म होते हैं कि सिर्फ आँखोंसे देखे नहीं जा सकते। माँके अण्डेका व्यास अेक अिंचके अेकसौ बीसवें भागके समान होता है, और पिताके वीर्यजन्तुकी लम्बाअी अेक अिंचके छहसौवें भागके बराबर होती है।

अूपरके अिस वर्णनसे स्पष्ट ही यह पता चलता है कि हरअेक प्राणीके बालकोंमें माता और पिता दोनोंकी शक्ति और अशक्ति, गुण और दोष पाये जाते हैं। यदि माँका अण्डा भलीभाँति पका हुआ हो, और पिताका वीर्यजन्तु भी परिपक्व व बलवान हो, तो दोनोंके संयोगके परिणाम-स्वरूप अुत्पन्न होनेवाला बालक नीरोग और बलवान होता है। हरअेक प्राणीके वय-प्राप्त होने पर ही अुसके अण्डे और वीर्यजन्तु परिपक्व और बलवान होते हैं। अिसलिअे अुमर लायक होनेसे पहले किसी भी प्राणीमें जनन-व्यापार न होना चाहिअे।

प्राणी जितना ज़्यादा विकसित होता है, अुसके बच्चे जन्मके समय अुतने ही परावलम्बी दशामें रहते हैं, और अुनका बचपन भी लम्बा होता है। अुन्हें बालिग होते देर लगती है। लेकिन कम विकसित प्राणियोंमें बच्चा जन्मके समयसे ही बहुत कुछ स्वावलम्बी होता है। अुसका बचपन थोड़े समयका होता है। पक्षी छह से लेकर आठ

महीनोंके अन्दर बालिग हो जाते हैं और जन्मके बाद संयोगकी दूसरी ऋतु आने पर वे अपना जनन-व्यापार चलाने लायक बन जाते हैं। बिल्लीके बच्चे और कुतियाके पिल्ले आठ-दस दिनमें दौड़ने-फिरने लगते हैं। बकरीका बच्चा और गायका बछड़ा तो जन्मके बाद तुरन्त ही खड़ा रह सकता है और दो-तीन दिनमें चलने भी लगता है। फिर ये प्राणी कुछ ही सालोंमें बालिग या जवान हो जाते हैं। लेकिन मनुष्यके बच्चोंको खड़े होकर चलना सीखनेमें ही लगभग अेक साल लग जाता है। माता-पिताको अुनकी सार-सँभाल अर्से तक करनी पड़ती है। अपने आप अपना आहार प्राप्त करके अपना निर्वाह करनेकी शक्ति मनुष्यमें बड़ी देरके बाद आती है। हालाँकि, आखिरकार अुसका विकास दूसरे प्राणियोंके मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे प्राणी जब अपनी खुराक .खुद पा लेने और भयस्थानोंसे भाग खड़े होने लायक हो जाते हैं, तो अुन्हें माता-पिताके आश्रयकी आवश्यकता नहीं रह जाती। अपना गुज़ारा करने और बालिग होने पर वंशविस्तार कर सकनेके सिवा अुनकी और कोअी ज़रूरतें या हाज़तें होती नहीं। लेकिन मनुष्यकी ज़रूरतें तो अिनसे कहीं ज़्यादा हैं। मनुष्यको सिर्फ़ खाने-पीने, भोग भोगने और मौज-शौकके साथ ज़िन्दगी बितानेसे कभी पूरा संतोष नहीं होता। लेकिन मानव-जीवनका हेतु सिर्फ़ यही नहीं है। अुसमें भले-बुरेका विवेक करनेकी बुद्धि है। अतअेव अुसे शांति और संतोष तो तभी होगा, जब अुसे मिलनेवाली सुख-सुविधायें सारे समाजके हितकी विरोधिनी न होंगी और अुनके कारण समाजका द्रोह न होता होगा। अिनके सिवा, मनुष्यमें नाम, यश आदिकी कामनायें भी होती हैं। अिस दुनियामें पाये जानेवाले अनेक पदार्थों और विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेकी अिच्छा भी मनुष्यमें पाअी जाती है। अुसकी बड़ीसे बड़ी जिज्ञासा तो अिस विश्वकी पहेलीको बूझने और अपने सच्चे स्वरूपको पहचाननेकी होती है। शरीर, मन और हृदयकी शक्तियोंका ठीक-ठीक विकास होनेपर ही मनुष्य यह सब कर सकता है। नीरोग शरीर, निर्मल और तेजस्वी बुद्धि, तथा पवित्र, शुद्ध और दृढ़ चरित्रके बिना यह कार्य हो नहीं सकता। मनुष्यको अपने भावी जीवनके लिअे यह सारी तैयारी करनी पड़ती है,

अिसलिअे दूसरे सब प्राणियोंकी अपेक्षा वह बहुत बड़ी अुम्रमें बालिग होता है। मासिक धर्म शुरू होनेके बाद लड़की गर्भधारण तो कर सकती है, लेकिन यह मान लेना कि अुस अुम्रमें वह गर्भधारण करने लायक बन जाती है, अेक भयंकर भूल है। मासिक धर्मके आरम्भ हो जानेके बाद भी स्त्रीके गर्भधारण करने और बालकको जन्म देनेवाले अवयवोंको भलीभाँति विकसित और पुष्ट होनेमें कमसे कम पाँच छह वर्ष तो लग ही जाते हैं। स्त्री बीस-अिक्कीस वर्षकी अुम्रमें और पुरुष चौबीस पच्चीस वर्षकी अुम्रमें वयःप्राप्त या बालिग माना जाता है। अिस बीचका बचपन और प्रारम्भिक यौवन या तारुण्यका समय अुन्हें विद्याभ्यासमें अर्थात् शरीर, बुद्धि और चारित्र्यके विकासमें बिताना चाहिअे। अिसके लिअे शुद्ध आहार-विहार और नियम-संयमका पालन आवश्यक है।

अबतकके अिस विवेचन परसे तुम सब यह समझ सकी होंगी, कि प्रजननका प्रश्न गन्दा, घिनौना या असभ्य नहीं है। बल्कि शरीर और मनकी अुचित सार-सँभाल और समुचित विकासके लिअे अिसका ज्ञान आवश्यक है। अिसका विचार हमेशा पवित्र बुद्धिके साथ और प्रकृतिकी गूढ़ योजनाओंके प्रति आदरभाव रखते हुअे करना चाहिअे।

९

रजोदर्शन

हम अूपर देख चुके कि तेरह या चौदह सालकी अुम्रमें कन्याको जो मासिक धर्म शुरू होता है, वह क्या चीज़ है, और अुसका हेतु क्या है। हम यह भी देख चुके कि अिस समय कन्याके शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंके साथ साथ अुसके मनमें नये नये विचार और नअी नअी भावनायें भी अुत्पन्न होती हैं। अिस समय शरीर कभी-कभी भारी-भारी-सा लगने लगता है, शरीरमें थकान-सी मालूम होती है, कुछ अुत्तेजित मनोदशाका अनुभव होता है, और नकुछ से कारणपर रुलाअी आ जाती है। यह अेक अैसा समय है, जब कन्याके साथ प्रेम और सावधानीका व्यवहार करनेकी बड़ी आवश्यकता होती है। यदि कन्या अिन सब परिवर्तनोंका कारण समझ ले, तो अुसके लिअे घबराने या अधीर होनेकी कोअी ज़रूरत न रह जाय। वह समझ जाय कि अुसमें स्त्रीत्वका अुदय होने लगा है, वह स्वयं तारुण्यमें प्रवेश कर रही है।

जो लड़कियाँ मासिक धर्मके विषयमें पहलेसे कुछ नहीं जानतीं, वे खूनको देखते ही घबरा अुठती हैं और मान लेती हैं कि अुन्हें कोअी भयंकर रोग हो गया है। फिर वे अपने गुरुजनोंसे अिसकी चर्चा करते भी शरमाती हैं। जो चीज़ अुन्हें अजीब-सी और अबूझ-सी मालूम होती है, अुसका अिलाज खुद कर लेनेकी कोशिशमें वे कुछ का कुछ कर बैठती हैं। कअी लड़कियाँ अपने खूनसे भरे कपड़ोंको चुपचाप धो डालती हैं और फिर अुन्हीं गीले कपड़ोंको अन्दर पहने रहती हैं। अिससे प्रायः अुन्हें सर्दी लग जाती है। अिसको वजहसे अक्सर अुनका मासिक धर्म बन्द हो जाता है, और वे हमेशाके लिअे अपने शरीरको नुकसान पहुँचा लेती हैं।

मासिक धर्म या रजोदर्शन दरअसल तो तारुण्यमें प्रवेश करने, स्त्रीत्वको प्राप्त होनेका अेक प्रारंभिक बाह्य चिह्न है। माता बन सकनेकी यह अेक शारीरिक तैयारी है। लेकिन अिसका यह मतलब नहीं कि

कन्या अिस छोटी अुम्रमें माता बनने लायक हो जाती है। अिसका अर्थ तो सिर्फ़ अितना ही है कि जननेन्द्रियके अवयव अब अितने विकसित हो चुके हैं कि अुनमें अपने विशिष्ट कार्यको करनेकी शक्ति आने लगी है। लेकिन अभी अुनकी दशा फूलकी कच्ची कलीके समान है : अुनका सम्पूर्ण विकास होनेमें अभी बरसोंकी देर है।

रजोदर्शन शरीरका अेक धर्म है। स्वस्थ शरीरमें यह बिना किसी कष्टके होना चाहिअे। यदि अिस समय किसी तरहका दर्द या पीड़ा होती है, तो समझना चाहिअे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अिसमें या तो कपड़ोंका दोष है, या खुराकका दोष है, या यह किसी कुटेवका परिणाम है। रजोदर्शनके समय पीड़ा होनेका बड़ेसे बड़ा कारण तो अज्ञानवश की गअी कोअी भूल ही होती है। मासिक धर्मकी तैयारीके दिनोंमें असावधानीके कारण सर्दी लग जाने या ज़रूरतसे ज़्यादा मेहनत कर लेनेसे मासिक धर्मके समय कष्ट होता है। जिन लड़कियोंको कब्ज़की शिकायत रहती है, अुनका रजोदर्शन भी कष्टमय होता है। जिन्हें नियमित समयपर रोज़ पाखाना फिरनेकी आदत नहीं होती, अुनके मलाशयमें और बड़ी आँतोंमें मल भर जाता है, जिससे गर्भाशय और अण्डाशयपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है। मलावरोध रक्तकी गतिमें भी बाधक होता है। तंग कपड़े पहननेसे अथवा चड्डी या लहँगेकी नाड़ीको पेड़ूपर खूब कसकर बाँधनेसे पेड़ूके अन्दरवाले अवयवोंपर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जो लड़कियाँ स्वाभाविक विकासके खिलाफ़ अेक तरहका बनावटी जीवन बिताती हैं, चित्तको दूषित रूपसे अुत्तेजित रखनेवाले वातावरणमें रहती हैं, और जिन अुपन्यासोंमें भावनाओंको अुत्तेजित करनेवाली श्रृंगार-प्रधान घटनाओंकी या अैसे ही दूसरे सूक्ष्म वर्णनोंकी बहुतायत होती है, अुन्हें ज़्यादा पढ़ा करती हैं, अुनको अुचित समयसे पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है। कृत्रिम अुपायों द्वारा समयसे पहले खिलाये गये फूलों-जैसी अुनकी हालत होती है। अैसे फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं।

बेचैनी मालूम होना, जीका बार बार अलसाना, शरीर और खास कर सिरका भारी भारी मालूम होना, कमरमें साधारण-सा दर्द रहना, मासिक धर्मके पूर्व चिह्न हैं। अिन सब चिह्नोंके रहते हुअे भी मासिक

धर्म आरंभ न हो, तो समझना चाहिअे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अैसे समय किसी सुयोग्य व्यक्तिकी सलाहसे आवश्यक अिलाज करना चाहिअे। प्रथम रजोदर्शनके बाद कुछ महीनों तक रजोदर्शन न हो, और सब तरहसे स्वास्थ्य अच्छा मालूम होता हो, तो चिन्ता करनेकी कोअी ज़रूरत नहीं। अक्सर नियमित रूपसे मासिक धर्म शुरू होनेमें अेक-दो साल लग जाते हैं। थोड़े रजस्रावसे भी घबरानेकी कोअी ज़रूरत नहीं। अधिक रजस्राव भी हमारे कृत्रिम जीवनका ही परिणाम होता है। जो लोग अधिक प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, अुन्हें स्वभाव ही से रजस्राव कम होता है। यद्यपि कम या ज़्यादा रजस्रावका होना अेक सापेक्ष वस्तु है। आमतौर पर हमेशा जितना रजस्राव होता है, अुससे अधिक स्राव हो और रजस्रावके समय या अुसके बाद बहुत ही कमज़ोरी मालूम पड़े, तो समझना चाहिअे कि स्राव ज़रूरतसे ज़्यादा हुआ। अिसके दो कारण हो सकते हैं— शरीरकी अशक्ति अथवा रक्तका आवश्यकतासे अधिक संग्रह। अैसे मामलोंमें खुली हवा, सादा भोजन, और सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक आरामसे काफ़ी लाभ होता है। अैसे मौक़ेपर पेटको साफ़ और हलका रखनेका भी प्रयत्न करना चाहिअे।

चूँकि मासिक धर्म शुरू होनेसे कुछ दिन पहले और मासिक धर्मके दिनोंमें गर्भाशयके अन्दर रक्तकी मात्रा बढ़ जाती है, अिसलिअे वह भारी रहने लगता है। ध्यान रहे कि गर्भाशय पेड़ूके अन्दर, अुसकी गुफ़ामें, लटकता हुआ अेक अवयव है, अतअेव मासिक धर्मके दिनोंमें खूब चलने, दौड़ने-कूदने, और ज़्यादा मेहनतके या कड़ी मेहनतके कामोंसे बचना चाहिअे। हमारे यहाँ मासिक धर्मके समय स्त्री अस्पृश्य मानी जाती है, यानी घरके किसी काममें वह हाथ नहीं बँटा सकती। जिस समय स्त्रीको आरामकी आवश्यकता है, अुस समय अिस रिवाजके कारण अुसे सहज ही आराम मिल जाता है। अिस दृष्टिसे यह रिवाज अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल अिसे धार्मिक रूप दे दिया गया है, जिससे लोग प्रायः अिसके मूल हेतुको भूल जाते हैं। जब स्त्रियाँ घरमें पानी भरने, झाड़ने-बुहारने या रसोअी बनानेका काम नहीं कर सकतीं, तो वे घरकी सन्दूकोंमें रखे हुअे ढेरों बरतनोंको निकलवाकर

अुन्हें माँजने बैठ जाती हैं, या गठड़ियों कपड़े धोनेको निकाल लेती हैं, अथवा घरकी लिपाअी-छबाअीमें लग जाती हैं। अिस तरह कअी परिवारोंमें मासिक धर्मवाली स्त्रियोंको बिलकुल आराम नहीं दिया जाता। यह रिवाज स्त्रियोंके स्वास्थ्य और शरीरको बहुत नुकसान पहुँचाता है। जिस काममें पैरोंको बहुत देर तक गीलेमें रखना पड़ता है, या देर तक गीले कपड़े पहनकर रहना पड़ता है, अुसमें सर्दी खा जानेका डर रहता है। फिर बहुत वज़नदार चीज़ अुठाने या कड़ी मेहनत करनेसे गर्भाशयके स्थानभ्रष्ट हो जानेका डर बना रहता है।

मासिक धर्मके दिनोंमें मामूली तौर पर छोटे-मोटे हल्के काम किये जा सकते हैं। लेकिन जिस काममें देर तक अेक ही आसनसे बैठे रहना पड़े, वैसे काम न करना अच्छा है। मासिक धर्मके दिनोंमें मामूली दिनोंकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय तक सो लेना अच्छा रहता है। दुर्बल शरीरवाली कन्याओं और स्त्रियोंको तो अिन दिनोंमें पूरा पूरा आराम करना चाहिअे।

अिन दिनोंमें चित्तको अुत्तेजित करनेवाली पुस्तकें न पढ़नी चाहिअें। विकारोत्तेजक साहित्य तो किसी भी समय बुरा ही है। किन्तु अिस समय अुसका असर अधिक बुरा होता है।

हम लोगोंमें मासिक धर्मके पहले दो दिनोंमें स्त्रियाँ न नहाती हैं, न कपड़े बदलती हैं। यह रिवाज अच्छा नहीं। मासिक धर्मके दिनोंमें भी नहाना और कपड़े बदलना दोनों ज़रूरी है। अुलटे अिन दिनों तो शरीरको ज़्यादा साफ़ रखनेकी ज़रूरत है। लेकिन अिन दिनों ठण्डे पानीसे नहाने न नहानेके बारेमें ज़रा सोच-समझकर काम लेना चाहिअे। मुमकिन है कि कमज़ोर शरीरवाली स्त्रियाँ ठण्डे पानीसे नहाते समय सर्दी खा जायँ। मासिक धर्मके दिनोंमें पैर ज़्यादा देर तक गीलेमें न रहें, और पेड़ूवाले प्रदेशको सर्दी न लगे, अिसका खयाल तो अवश्य ही रखना चाहिअे।

पहने हुअे कपड़ोंको मासिक धर्मके खूनसे बचानेके लिअे लँगोटनुमा पट्टीका कच्छ बाँधने और अुसमें कपड़ेके टुकड़े तहाकर रखनेका तरीक़ा अच्छा है। ये टुकड़े बिलकुल साफ़ होने चाहिअें; अिनमें तनिक भी

मैले या गन्दे कपड़ोंका अुपयोग न करना चाहिअे। टुकड़ोंके अेक बार खराब हो जाने पर अुन्हें तुरन्त निकाल डालना चाहिअे, और अुनके स्थान पर दूसरे साफ़ धुले हुअे कपड़े रखने चाहिअें। खयाल रखना चाहिअे कि चड्डी, लँगोट या लहँगेकी नाड़ी तुंदीके अूपर हरगिज़ न बँधे। अिससे पेट दबता है, और पेडू पर दबाव पड़ता है। अिसलिअे बेहतर तो यह है कि ये कपड़े कमरके पास सहज लटकते हुअे पहने जायँ। कपड़े अिस तरह पहनने चाहिअें कि जिससे पेडू पर अुनका बोझ न पड़े। अिसी तरह यह भी ध्यान रखना चाहिअे कि रातमें सोते समय कपड़ोंकी गठरी पेडूके आसपास न बने। अगर चड्डी पहनी हो, तो वह बहुत तंग न होनी चाहिअे।

अिन दिनों न तो गरिष्ठ या भारी अन्न खाना चाहिअे, न बिलकुल भूखों ही रहना चाहिअे। अिसी तरह ठण्ढी, बासी, बहुत खट्टी या बहुत चटपटी चीजें भी न खानी चाहिअें। अिन दिनों सादा, हलका और पथ्य आहार ही लेना चाहिअे।

मासिक धर्मके दिनोंमें भरपूर नींद, खुली और ताज़ी हवा, दीर्घ श्वासोच्छ्वास, सादा और पोषक आहार, ढीले-ढाले कपड़े, शरीरकी शक्ति और स्थितिके अनुरूप काम, कसरत, आराम और मानसिक शान्ति आदिकी खास आवश्यकता रहती है।

१०

विवेक और संयम

अबतकके विवेचनसे अेक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि समूची सजीव सृष्टिमें — वनस्पति, मछली, जीव-जन्तु, पक्षी, पशु और मनुष्य वगैरा सभीमें — प्रजननके लिअे नर तत्त्वके साथ मादा तत्त्वका संयोग आवश्यक है। अिस संयोगको साध्य बनानेके लिअे प्रकृतिने अिन दो तत्त्वोंके बीच अेक प्रकारका आकर्षण रक्खा है, और नर व मादाके संयोगकी क्रियामें भी अेक तरहके आनंदकी सृष्टि की है। वनस्पतिमें और प्राणियोंमें नर और मादाके संयोगके लिअे खास खास ऋतुयें नियत हैं। अिनमें अुसी समय नर और मादाके बीच आकर्षण बढ़ता है। वसंत ऋतुमें समूची वनस्पति सृष्टि रंग-बिरंगे फूलों और बौर वगैरासे विकसित होकर बहुत ही सुहावनी बन जाती है। अुसकी अिस शोभासे आकर्षित होकर तितलियाँ, भौंरे और मधुमक्खियाँ अुसके आसपास गूँजने लगती हैं। फूलोंमें सुगन्धिके सिवा मीठा मधु भी अिन सबके आकर्षणके लिअे मौजूद रहता है। अिस मधुके लिअे तितलियाँ और मधुमक्खियाँ अेक फूलसे दूसरे फूलपर अुड़कर बैठती हैं। हम देख चुके हैं कि अिसी समय वे अपने पैर या शरीरपर अेक फूलके परागरजको चिपकाकर दूसरे फूलके स्त्रीकेसरके पास ले जाती हैं और अिस तरह फूलोंके स्त्रीकेसरका पुंकेसरके साथ संयोग करा देती हैं।

पक्षियोंमें संयोगकी ऋतुके दिनोंमें नर खास तौरपर बहुत ही आकर्षक बन जाता है। अुसे नये और चमकीले पंख आ जाते हैं। कुछ पक्षियोंके पंखोंमें रंग और प्रकारकी विविधता बहुत ही मनोहर पाअी जाती है। मुर्गे और मोरकी सुन्दरता तो बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। अिस समय पक्षियोंमें नाचनेकी प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। वह दृश्य कितना मनोहर होता है, जब मोरनीको रिझानेके लिअे मोर अपने पंख फैलाता और नाचता है! पक्षियोंमें अेक हदतक पारिवारिक भावना भी पाअी जाती है।

आँचलवाले अथवा स्तनी प्राणियोंमें अक्सर मादा आकर्षणका काम करती है। हर महीने रक्तस्रावके कारण अुसका गर्भाशय साफ़ हो जाता है और वह गर्भधारणके लायक बन जाती है। अिसी समय नर अुसके प्रति आकर्षित होता है। दूसरे प्राणियोंकी भाँति मनुष्योंमें भी सयाने स्त्री-पुरुष स्वभावतः अिसी प्रकार परस्पर अेक दूसरेसे आकर्षित होते हैं। लेकिन दूसरे प्राणियोंके साथ मनुष्यकी अिससे अधिक तुलना करना अपनेको धोखेमें डालना है। दूसरे प्राणियोंके मुकाबले मनुष्यकी विशेषता यह है कि वह अन्धा बनकर प्रकृतिका अनुसरण नहीं करता। दूसरे सभी प्राणी अपनी वृत्तियोंसे विवश होकर कार्य करते हैं। अुनमें रुचि या स्वतंत्रता नामकी वस्तु बहुत कम होती है। किन्तु मनुष्यमें सदसद् विवेकबुद्धि है। अुसमें चुनने और परखनेकी शक्ति है, और अपने निर्णयोंको कार्यरूपमें परिणत करनेका संकल्पबल है। किसी भी कामको करने या न करनेसे पहले, आवेगके वश होने या न होनेके विषयमें वह सोचता है — विवेकसे काम लेता है। प्रकृतिने स्त्री और पुरुषके बीच जो आकर्षण रक्खा है, अुसके वश होने न होनेके विषयमें वे स्वतंत्र हैं। दूसरे, वे केवल शारीरिक आकर्षणके वश नहीं होते। जहाँ वे विचारों, गुणों, और हृदयकी भावनाओंका सुमेल और साम्य देखते हैं, वहीं वे आकर्षित होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों अिस सम्बन्धमें बहुत सोच-विचार कर निर्णय करते हैं कि अुनके बालकोंका पिता या अुनकी माता कौन और कैसी हो। साथ ही, अेक बार सम्बन्ध जोड़नेके बाद वे अक्सर अुसे अखीर तक कायम रखते हैं। प्रकृतिने प्रजननकी वृत्ति तो प्राणिमात्रकी तरह मनुष्यमें भी पैदा कर रक्खी है, परन्तु मनुष्य चाहे जिस तरह अिसके अधीन नहीं होता। यही नहीं, बल्कि वह अिस वृत्तिको विशुद्ध बनाता और सदा अिस पर विजय पानेकी कोशिश करता रहता है। मनुष्य अपनी विवेकबुद्धि, धर्मबुद्धि और संकल्पशक्तिके कारण दूसरे सब प्राणियोंसे बहुत अलग पड़ जाता है। किन्तु यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्र अिच्छा-शक्तिका और पसन्द या चुनावकी शक्तिका दुरुपयोग करे, तो वह दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा हीन भी बन सकता है। जिस तरह वह अपनी बुद्धि और शक्तिके जरिये अपनी अुन्नति कर सकता

है, अुसी तरह अुनका दुरुपयोग करके वह अपनी अवनति भी कर सकता है। मनुष्य शुद्ध प्राकृत स्थितिमें रह नहीं सकता। वह प्रकृतिमें सुधार करके या तो संस्कृतिकी ओर अग्रसर होता है या बिगाड़ करके विकृतिकी ओर जाता है।

* * *

यहाँ अेक बहुत ही महत्त्वकी वस्तुकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। जीवनके धारण-पोषणकी — जैसे, खाने-पीने, घूमने-फिरनेकी — दूसरी सभी क्रियाओंके साथ जिस प्रकार आनंदकी अनुभूति जुड़ी हुअी है, अुसी तरह प्रजोत्पत्तिकी क्रियामें भी आनंद निहित है। किन्तु आनंदमय प्रतीत होते हुअे भी अिस क्रियाका आनंद क्षणिक होता है। वह सच्चा और स्थायी आनंद नहीं कहा जा सकता। अिस क्रियाके फलस्वरूप बड़ी थकावट मालूम होती है, और शरीर व मनको बहुत क्षति पहुँचती है। कअी प्राणी तो बच्चोंको जन्म देकर तुरन्त ही मर जाते हैं। मनुष्योंमें प्रजोत्पत्तिका काम अेकदम घातक तो नहीं होता, फिर भी थकानेवाला तो होता ही है। अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि अिस क्रियाके कारण मनुष्यकी जीवनशक्तिका ह्रास होता है।

संयोग-सुखके सिवा प्रकृतिने प्राणि-मात्रके अंदर वंशवर्द्धन और संतति-संरक्षणकी वासना भी प्रबल रूपसे अुत्पन्न कर रखी है। अिसलिअे सन्तानकी अिच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुष प्रायः अपनी शक्तिकी भी पर्वा नहीं करते, और प्रजोत्पादनकी क्रियामें प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चोंकी बेशुमार वृद्धि करते रहना भी अच्छा नहीं। माता-पिताको सिर्फ अुतने ही बालक अुत्पन्न करने चाहिअें, जितनोंको वे भलीभाँति पाल-पोसकर बड़ा कर सकें और पढ़ा-लिखाकर सुयोग्य मनुष्य बना सकें। जिस तरह बालकको पैदा करनेमें शक्तिका व्यय होता है, तन्दुरुस्तीपर अेक तरहका बोझ और तनाव पड़ता है, अुसी तरह बालकोंकी परवरिश करके अुन्हें लायक बनानेमें पैसा भी खर्च होता ही है। और परिवारमें बालकोंकी वृद्धिके साथ परिवारकी आय भी हमेशा बढ़ती ही है, अैसा कोअी नियम नहीं है। फिर जब अधिक बालकोंके लालन-पालनका काम आ पड़ता है, तो खासकर माँ पर कामका बोझ बहुत ही बढ़ जाता है। ज़रूरतसे

ज़्यादा बालकोंके त्राससे बहुतेरी मातायें हैरान और परेशान, त्रस्त और व्यस्त नज़र आती हैं।

साथ ही, जब बालक जल्दी जल्दी होने लगते हैं, यानी अेक बालकके पूरी तरह बड़े होनेसे पहले ही दूसरा बालक आ जाता है, तो माँका शरीर बिलकुल ही घिस जाता है, और बालकोंकी आवश्यक सार-सँभालका काम भी बहुत कठिन हो जाता है। स्त्रियोंमें मातृत्वकी जो स्वाभाविक भावना पाअी जाती है, और बालकोंसे अुन्हें जैसा बेहद प्रेम होता है, अुसके कारण मातायें यह सारा कष्ट बिना चूँ-चराके सह तो लेती हैं, लेकिन यह स्थिति किसी भी दशामें अिष्ट नहीं कही जा सकती। जो स्त्रियाँ सार्वजनिक कामोंमें भाग लेना चाहती हैं, वे किसी भी दशामें बच्चोंके लालन-पालन और घर-गृहस्थीके दूसरे बोझको अुठा नहीं सकतीं। अैसी स्त्रियोंका अविवाहित रहना ही अुचित है। दूसरी स्त्रियाँ भी संयमपूर्वक काफ़ी समयके बाद बालकोंको जन्म दें, और अपनी शारीरिक तथा आर्थिक स्थितिके अनुसार अेक, दो या तीन बालकोंको जन्म देकर वानप्रस्थ जीवन बिताना शुरू कर दें, तो वह हर तरह अिष्ट और आवश्यक ही है। लेकिन मनुष्यमें संयोगकी वासना अितनी प्रबल होती है कि अुसके लिअे अैसा करना कठिन हो जाता है। फिर भी मनुष्यता अिसीमें है कि वह अपनी अिस वासनाको सुसंस्कृत बनाकर अुसे दूसरा रूप दे और अपनी शक्तियोंको दूसरे अुपयोगी कामोंमें खर्च करे।

लेकिन आजकल तो सुधारक माने जानेवाले समाजोंमें अेक दल या पन्थ अैसे लोगोंका खड़ा हो गया है, जो वासनाओंको संयत और सुसंस्कृत बनानेके बदले संयोग करने पर भी गर्भ न रहने और सन्तान न होनेके अुपायोंकी हिमायत करता है। अिन लोगोंका खयाल है कि अिस विषयमें स्त्री-पुरुष अपने अूपर अंकुश रख ही नहीं सकते, अिसलिअे ये गर्भनिरोध और संतति नियमनके लिअे कृत्रिम अुपायोंकी सिफ़ारिश करते हैं।

गांधीजीने अपनी 'अनीतिकी राह पर' नामक पुस्तकमें अिस बारेमें बहुत-कुछ लिखा है। अिधर अिधर 'हरिजन' और 'हरिजन-बन्धु'में भी वे अिस सम्बन्धमें लिखने लगे हैं। अिन 'सुधारक' कहे जानेवाले

लोगोंकी दलीलोंका बड़ेसे बड़ा जवाब यही है कि ये अपने कामकी ज़िम्मेदारीसे बच जानेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं। अिस प्रकार ज़िम्मेदारीसे बच निकलनेका प्रयत्न मनुष्यके चरित्रको शिथिल बना देता है। और मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों न करे, तो भी आखिर वह अपने कृत कर्मोंके दायित्वसे बच तो सकता ही नहीं। यानी संभव है कि वह गर्भनिरोधके अपने प्रयत्नमें सफल हो जाय, फिर भी किसी न किसी रूपमें अुसका बुरा परिणाम निकले बिना रहता ही नहीं। आजकल अिंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रान्स जैसे देशोंमें अिन साधनोंका खूब प्रचार हो रहा है। वहाँ स्त्री-पुरुषसंबंधी चारित्र्यकी शिथिलता भी आजकल बहुत ही बढ़ गअी है; मुमकिन है कि अिसमें अिन साधनोंका प्रचार भी अेक बड़ी हदतक कारणीभूत हुआ हो। अिन साधनोंका अुपयोग करनेवाला आदमी संयमका विचार तक नहीं करता, और अपनी वृत्तियों तथा वासनाओंको बेलगाम खुली छोड़ देता है। अिस सबका परिणाम शरीर और मनकी क्षीणता और चरित्रकी भ्रष्टताके रूपमें प्रकट होता नज़र आता है।

अिन साधनोंके समर्थक स्त्रियोंको सन्तानोत्पत्तिके बढ़ते हुअे बोझसे मुक्त करनेका अुपाय सुझाते हैं, और स्त्रियोंके हिमायती होनेका दावा करते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि अिन साधनोंके कारण पुरुषकी निरंकुशताको ही बढ़ावा मिलता है। स्त्री पर यह अेक प्रकारका अत्याचार ही है। अिन साधनोंके अुपयोगसे स्त्रीका माताके नाते जो गौरवपूर्ण स्थान है, वह नष्ट हो जाता है, और वह पुरुषके भोगविलासका अेक साधन-मात्र बन जाती है। आज आवश्यकता अिस बातकी है कि स्त्रियाँ अिस सारी हलचलको अिस दृष्टिसे सोचने लगें और निरी निरंकुशताके प्रवाहमें बहनेसे बचें।

सयानी कन्यासे

खण्ड २

१

विद्यार्थी अवस्था

अूपर हम यह देख चुके हैं कि जब लड़कों और लड़कियोंमें तारुण्यका अुदय होता है, तो अुनकी रग-रगमें जोश अुछलने लगता है, मनमें तरह-तरहकी तरंगें अुठती हैं, और अनेक आकांक्षायें जन्म लेती हैं। लेकिन मनुष्य कितनी ही बड़ी बड़ी महत्त्वाकांक्षायें क्यों न रक्खे, वे सिद्ध तभी होती हैं, जब अुनके लिअे आवश्यक श्रम और अुचित साधना की जाती है। जो लोग मनमें बड़ी बड़ी महत्त्वाकांक्षायें रखते हैं, लेकिन अुनकी सिद्धिके लिअे भरपूर परिश्रम नहीं करते, वे मूर्ख साबित होते हैं। कुछ लोग परिश्रमसे घबराकर अपनी महत्त्वाकांक्षाओंको ही तिलाञ्जलि दे देते हैं, या अुन्हें भूल जाते हैं, और लकीरके फकीर बन जाते हैं। जीवन अुसीका यशस्वी और सफल बनता है, जो अपनी महत्त्वाकांक्षाओं या अपने ध्येयको सदा अपनी दृष्टिके सामने रखकर अुनकी सिद्धिके लिअे ठीक ठीक तैयारी करता है। मनुष्योंमें विद्यार्थीअवस्थाका समय अैसी तैयारीका समय है। जो आदमी अपने विद्यार्थीजीवनको आलस्यमें या निकम्मे कामोंमें बिता देता है, अुसका भावी जीवन निरर्थक ही सिद्ध होता है। जिन्हें अपनी समस्त शक्तियोंका समुचित विकास करनेका अवसर मिलता है, और जो अिस अवसरका अच्छा अुपयोग कर लेते हैं, अुनका जीवन समृद्ध, सफल और अुपयोगी साबित होता है।

पुराने जमानेमें विद्याध्ययनके अिस कालको लोग ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे। जीवनकी अेक खास अवस्थाको आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रमका अर्थ यह है कि अिस समयमें आदमी ब्रह्मचर्यका पालन करके, यानी अपनी सभी अिन्द्रियोंको संयममें रखकर, विद्याभ्यास करता है। विद्यार्थीका अर्थ ही ब्रह्मचारी है। लेकिन आज तो विद्यार्थीके लिअे ब्रह्मचारी और विद्यार्थिनीके लिअे ब्रह्मचारिणी शब्दोंका प्रयोग आर्यसमाजके गुरुकुलोंमें ही

होता है, और अिस शब्दके गौरवके अनुरूप विद्यार्थियोंका जीवन तो कहीं भी पाया नहीं जाता। आज तो हमारे विद्यार्थी अिस वस्तुको प्रायः भूल ही गये हैं कि शरीर और मन तभी सुदृढ़ होते हैं, और जीवन तभी सफल और अुपयोगी सिद्ध होता है, जब वह सादगीके साथ, कठोर यम-नियमपूर्वक, प्रवृत्तिमय, परिश्रमपूर्ण, पवित्र और संयत भावसे बिताया जाता है। आज तो जिधर देखिये, ज्यादातर विद्यार्थी और विद्यार्थिनियाँ अैशोआराम और मौजशौकमें ही मस्त नजर आती हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियोंमें जो तेजस्विता पाअी जानी चाहिअे, वह शायद ही कहीं नजर आती है।

क्या विद्यार्थीअवस्थामें, और क्या दूसरी किसी भी अवस्थामें, कामविकारको अुत्तेजित करनेवाले विषयोंमें चित्तका भटकते रहना बहुत ही हानिकारक है। लेकिन आज तो हमारे खान-पान, पोशाक, वाचन-विचार, आनन्द-विनोद आदि सभी प्रकारके वातावरणमें सर्वत्र अिसीकी प्रधानता पाअी जाती है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सात्त्विक आहार करनेवाला विकारोंसे मुक्त रहता है या अुन्हें बराबर अपने अंकुशमें रख ही सकता है, क्योंकि विकारोंको अंकुशमें रखनेका अधिकतर आधार मन पर है। लेकिन अिसके विपरीत यह तो निश्चित है कि जो आदमी खानेपीनेमें अनियमित और असंयत रहता है, बहुत ज्यादा मिर्च-मसालोंका और मुश्किलसे पचनेवाले पदार्थोंका सेवन करता है, वह अपने विकारों पर प्रभुत्व नहीं पा सकता। अिसलिअे जो अपने विकारोंको वशमें रखना चाहता है, अुसे सादा और सात्त्विक आहार ही लेना चाहिअे और आहारकी मात्रा भी अपने शरीरकी आवश्यकताके अनुकूल ही रखनी चाहिअे। अल्पाहार यानी भूखसे हमेशा कुछ कम खाना, शरीर और मनको शुद्ध और नीरोग रखनेमें बहुत ही सहायक होता है।

पोशाकके विषयमें तो आजकल हद हो गअी है। कला और सुन्दरताके नाम पर अुसमें न जाने कितनी कलाहीनता और अविचारने प्रवेश किया है। स्त्रियाँ आजकल अैसे कपड़े पहनने लगी हैं, जिनसे न तो पूरी तरह शरीर ही ढँकता है, न शरीरकी पूरी-पूरी रक्षा ही होती है। बस, देखा-देखीका बाजार गरम है — अिसने आज यह पहना है,

तो कल दूसरे और परसों तीसरे भी वैसा ही पहनने लगते हैं। यों सालमें कभी बार फैशन बदलती है। और जानती हो, ये फैशन चलानेवाले कौन लोग होते हैं? ज्यादातर नाटक और सिनेमाकी नटियाँ — अभिनेत्रियाँ! ये जितनी खूबसूरत होती हैं, अुससे अधिक दीखनेके लिअे और पुरुषोंका ध्यान अपनी तरफ खींचनेके लिअे पोशाकमें तरह-तरहकी तड़क-भड़कसे काम लेती हैं। लेकिन शिष्ट या सभ्य माने जानेवाले समाजकी स्त्रियाँ जब अुनका अनुकरण करती हैं, तो वह कितना भद्दा और अविचारपूर्ण मालूम होता है? जो लोग बिना सोचे-समझे किसी चलती फैशनको अपनानेका निश्चय करते हैं, वे शिष्ट और संस्कारी कैसे कहे जा सकते हैं?

वाचनके क्षेत्रमें भी पोशाककी-सी ही अराजकता पाअी जाती है। विद्यार्थिनियोंमें आजकल अुपन्यास और कहानी पढ़नेका शौक बहुत बढ़ गया है। फिर ज्यादातर अुपन्यासों और कहानियोंमें विकारोंको जाग्रत करनेवाले प्रसंगोंके विस्तृत वर्णन ही विशेष रूपसे पाये जाते हैं। अैसी किताबें बिकती भी बहुत हैं। किसी पुस्तककी बिक्रीके अंकोंसे हम समाजकी अभिरुचि और अवस्थाका माप निकाल सकते हैं। जिस समाजमें हलकी और गन्दी किताबें ही ज्यादा बिकती और ज्यादा पढ़ी जाती हैं, समझना चाहिअे कि अुस समाजकी मनोवृत्ति भी गन्दी और हलकी ही है। यही हाल नाटक और सिनेमाका है। नाटक और सिनेमावाले पैसा कमानेके विचारसे लोगोंकी हीन अभिरुचिको जँचनेवाली चीजें ही दिखाते हैं। वे जैसे गन्दे और कुरुचिपूर्ण खेल या फिल्में दिखाते हैं, अुनमें कहीं कहीं कभी कुछ अच्छा भी पाया जाता है। अिसी अच्छेको देखनेके लिअे हमारे शिष्ट और संस्कारी लोग सिनेमाओंमें जाते हैं, और अुनके बारेमें अपनी अच्छी राय देते हैं। लेकिन अिस थोड़ी-सी अच्छाअीके साथ जो ढेरों गन्दगी और सड़ाँध होती है, अुस पर न तो कोअी टीका करता है, न कोअी चेतावनी देता है। अच्छे माने जानेवाले समाचारपत्र भी अिन सिनेमावालोंके बड़े बड़े सचित्र विज्ञापन छापते हैं। हमारे विद्यार्थी वर्गके चारों तरफ आज अिसी तरहका वातावरण फैला हुआ है। वह विद्यार्थी सचमुच ही बड़ा बड़भागी है, जो अिस वातावरणसे अछूता रह सकता है, अिससे बच जाता है, और सदा सावधान रहता है।

हमारे देशमें राष्ट्रीय शिक्षाका जो प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, अुसमें सरकारी शिक्षाका त्याग तो अेक निमित्त मात्र था। राष्ट्रीय शिक्षाका मुख्य हेतु तो विद्यार्थियोंको आजकलकी गुलाम मनोवृत्तिसे मुक्त करने और अुन्हें स्वराज्यके सच्चे सेवक बनानेका था। अुसका दूसरा हेतु यह भी था कि विद्यार्थियोंको आजकलके गन्दे और दमघोंटू वातावरणके बदले शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्रतापूर्ण वातावरणमें रहनेका मौका मिले। राष्ट्रीय शिक्षाके सामने अिसके प्रबन्धका प्रश्न भी था। पहले हेतुको सिद्ध करनेके लिअे दूसरेका प्रबन्ध अनिवार्य है। आजकल बहुत ही थोड़ी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थायें रह गअी हैं; लेकिन जो हैं, अुनमें अिस प्रकारका शुद्ध और मुक्त वातावरण है, अथवा वैसा वातावरण रखनेका जी-जानसे प्रयत्न किया जाता है। हमारे यहाँ छात्रावासोंके सुधारका जो आन्दोलन चल रहा है, अुसकी तहमें भी यही हेतु है। लेकिन ये सारी कोशिशें समुद्रमें बूँदकी तरह हैं। अिसलिअे समझदार विद्यार्थियोंको तो अपने जीवनका निर्माण स्वयं ही करने लगना चाहिये। विद्यार्थीअवस्थामें मनुष्यको अपने भावी जीवनकी तैयारी करनेका जो अवसर मिलता है, अुससे पूरा पूरा लाभ अुठानेके लिअे यह जरूरी है कि विद्यार्थी अपने जीवनको शुद्ध, संयत और अुद्यमपरायण बनायें। विद्यार्थियोंको अपने ब्रह्मचारी नामको सार्थक करना चाहिये। अिन्द्रियोंको अुनके भोगके विषयोंकी ओर जानेसे रोकना ही ब्रह्मचर्य है। यह चीज मनुष्यके लिअे सभी अवस्थाओंमें लाभदायक है, लेकिन विद्यार्थीअवस्थामें तो अिसका अपना विशेष महत्त्व है। जो विद्यार्थी विषय-विकारों और भोग-विलासोंका विचार करता है, वह विद्यार्थी ही नहीं है। चित्तको ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रखने और अिन विचारोंसे बचनेके लिअे नीचे लिखे नियम खूब सहायक हो सकते हैं:

१. परिमित आहार करना चाहिये। हमेशा थोड़ी भूख रखकर थाली परसे अुठ जाना अच्छा है। दो, तीन या चार जितनी भी बार खानेका नियम हो, अुतनी बार थाली पर बैठकर ही खाना अुचित है। बीच बीचमें अगड़-बगड़ खाना मुनासिब नहीं।

२. मिर्च मसालेवाले, तीखे और चरपरे पदार्थोंसे बचना चाहिअे।

३. नियमित व्यायाम करना चाहिअे। शरीर और मनको सदा किसी न किसी अच्छे काममें लगाये रखना चाहिअे। कभी निठल्ले न बैठना चाहिअे।

४. सोते ही नींदका आ जाना अेक अुत्तम चीज है। बिछौने पर लेटनेके बाद जब नींद नहीं आती, तो मनमें तरह तरहके विचार आने लगते हैं। चूँकि अिन विचारों पर अंकुश नहीं रक्खा जा सकता, अिसलिअे मन बुरे विचारोंमें फँस जाता है। चुनाँचे दिनमें अितनी मेहनत कर लेनी चाहिअे और शरीर अितना थक जाना चाहिअे कि सोते ही नींद आ जाय। अिसी तरह सुबह जागते ही बिछौना छोड़ देना चाहिअे। तन्द्रामें पड़े पड़े करवटें बदलते रहनेसे तरह तरहके सपने आते हैं, जो मनको डावाँडोल कर डालते हैं। सारांश, जल्दी सोकर जल्दी अुठनेका नियम कठोरतापूर्वक पालना चाहिअे।

५. सच्चरित्र और सन्मार्गमें ले जानेवाले गुरुजनोंके सहवासमें रहना चाहिअे। अपने लिअे साथी भी निर्मल और सच्चरित्र ही पसन्द करने चाहिअें।

६. विषय-विकारोंको अुत्तेजित करने और अभिरुचिको भ्रष्ट करनेवाला किसी भी प्रकारका गन्दा और हीन साहित्य न पढ़ना चाहिअे।

७. नाटक, सिनेमा और हीन मनोविकारोंको जाग्रत करनेवाले खेल तमाशे न देखने चाहिअें।

८. अिसी प्रकार श्रृंगारप्रधान चेष्टाओं तथा मलिन भावोंवाले चित्र भी न देखने चाहिअें। अपने साथियोंके साथ गंदी बातें भी न करनी चाहिअें।

९. मनमें मलिन विचार न आने देने चाहिअें। अगर आयें, तो अुन्हें निकालनेका प्रयत्न करना चाहिअे। गन्दे विचारोंका सेवन करने अथवा अुनमें रमे रहनेसे बचना चाहिअे। मलिन विचारोंको मार भगानेका अुत्तम अुपाय यह है कि जब अैसे विचार आवें, तब मनको किसी अच्छे काममें लगा देना चाहिअे अथवा अुस समय किसी भले आदमीकी सोहबतमें जा बैठना चाहिअे।

१०. खुशबूदार तेलों और अिन जैसी विलास प्रेरक चीजोंका अुपभोग नहीं करना चाहिअे।

११. बाल सँवारने और कपड़े पहननेमें सादगीसे काम लेना चाहिअे। कपड़े और बाल अच्छी तरह साफ़ और सुव्यवस्थित रहने चाहिअें। खूबसूरत दीखने या दूसरोंका ध्यान अपनी ओर खींचनेके विचारसे कपड़ोंकी या बालोंकी टीमटाममें न फँसना चाहिअे। कपड़ोंकी या बालोंकी सजधज अैसी न होनी चाहिअे कि जिससे दूसरोंका ध्यान सहज ही हमारी तरफ़ आकर्षित हो जाय — फिर भले ही हमारा अपना अिरादा अिस तरह किसीका ध्यान आकर्षित करनेका न भी हो!

१२. भाअी-बहनका-सा नज़दीकी सम्बन्ध होने पर भी कन्याको किसी भी युवकके साथ अकेलेमें न रहना चाहिअे, बातचीत भी खुलेमें, सबके सामने, सबको सुनाअी पड़े, अिस ढंगसे करनी चाहिअे और आपसमें अेक दूसरेके शरीरका स्पर्श तो खेल खेलमें या वैसे भी हरगिज़ न करना चाहिअे।

अूपरके नियममें अेकान्तसेवन और स्पर्शका जो निषेध किया है, अुसके खिलाफ मैंने कअी युवक युवतियों और कअी बड़े बूढ़ोंको भी शिकायत करते सुना है। युवक युवती यह सोचते हैं कि अुन पर विश्वास न होनेके कारण यह नियम सुझाया गया है। लेकिन अिस सलाह और नियमकी तहमें अविश्वासका कोअी विचार नहीं है। जो युवक और युवती अपने अूपर अिस तरहका कोअी अंकुश नहीं रखते, और मनमानीसे काम लेते हैं, वे अेक तरहका घोर दुस्साहस ही करते हैं। शुरूमें मनके अन्दर किसी तरहका विकार नहीं होता, लेकिन अेकान्त सेवनका अवसर मिलते ही विकार कब और किस प्रकार मनमें प्रवेश कर जाता है, अिसका कोअी खयाल अनभिज्ञ (अनुभवहीन या अज्ञान) युवक युवतियोंको नहीं रहता। यही हाल स्पर्शका है। शुरूमें स्पर्श चाहे निर्दोष भावसे हुआ हो, लेकिन अुसमेंसे विकार कब जाग्रत हो अुठेगा, कहना कठिन है। अतअेव अेक महत्त्वपूर्ण सावधानीके रूपमें यह नियम सुझाया गया है। लड़के और लड़कियोंका अथवा लड़कियों लड़कियोंका भी आपसमें अेक दूसरेको छातीसे लगाना, परस्पर गलेमें हाथ डालकर घूमना, अेक-दूसरेकी गोदमें सिर रखकर सोना अच्छा नहीं है। अिन चेष्टाओं और

क्रीड़ाओंमें सुरुचि और शिष्टाचारका भंग तो होता ही है। अिन निर्दोष प्रतीत होनेवाली अैसी चेष्टाओंके परिणाम कभी कभी अनिष्ट भी सिद्ध हुअे हैं।

अूपरके सभी नियम युवकों और युवतियोंको निर्विकार रहने और ब्रह्मचर्यका पालन करनेमें ठीक ठीक सहायक हो सकते हैं, लेकिन अिनकी सफलताका मुख्य आधार तो आखिर अुनके अपने प्रयत्नों पर, मनोबल पर और दृढ़ निश्चय बल पर ही है।

२

कुँवारोंसे

विद्यार्थीजीवन समाप्त करनेके बाद बहुतेरी नवयुवतियाँ और नवयुवक विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं। विरले ही आजन्म अविवाहित रहते हैं। जो अिनेगिने अिस तरह जिन्दगीभर अविवाहित या ब्रह्मचारी रहते हैं, अुनमें ज्यादातर तो पुरुष ही होते हैं। जीवनभर कुँवारी रहनेवाली स्त्रियाँ बहुत ही थोड़ी, विरली ही पाअी जाती हैं, अिसीलिअे हमारे यहाँ यह कहावत चल पड़ी है कि 'बूढ़े तो कुँवारे देखे हैं, लेकिन कोअी बूढ़ी भी कुँवारी देखी है?' अिस कहावतका अेक अर्थ यह भी है कि स्त्री कुँवारी रहकर स्वतंत्र जीवन बिता ही नहीं सकती। हमारे समाजमें स्त्रियोंके लिअे तुच्छता और अविश्वासका जो वातावरण है, यह कहावत अुसका अेक सबूत है।

आजकल तो हमारे देशको अेक दो नहीं, बल्कि अनेक नौजवान ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियोंकी जरूरत है। देशमें जो ढेरों काम पड़ा हुआ है, वह तभी पूरा हो सकता है, जब अुसे करनेके लिअे सुगठित शरीर और सुदृढ़ मनवाले अनेक आजन्म कौमार व्रतधारी नौजवान और नवयुवतियाँ आगे आयें और अपने आपको काममें खपा दें। स्वामी विवेकानंदने अेक जगह लिखा है:

"मुझे तो आज फौलादकी तरह मज़बूत स्नायुओंवाले सेवकों और सेविकाओंकी आवश्यकता है। अुनके वज्र समान सुदृढ़ शरीरमें मन भी

वज्रवत् दृढ़ होना चाहिअे। अुनमें क्षत्रियोंका वीर्य और ब्राह्मणोंका तेज होना चाहिअे। किन्तु हाय! हमारे लाखों सुन्दर नवयुवकों और नवयुवतियोंका प्रतिवर्ष वध होता है। लोग अुस पशुताकी मोहिनीसे मुग्ध हैं, जो समाजमें विवाहके नामसे प्रसिद्ध है। हरसाल लाखों नौजवान और नवयुवतियाँ अपनेको अिस बन्धनमें जकड़बन्द पाती हैं।"

अिन वचनोंकी सचाअीका प्रमाण देखना हो तो हरसाल सहालगमें यानी अगहनसे चैत्र तकके महीनोंमें नगर नगर और गाँव गाँवमें जो बाने निकलते हैं और बारातें सजती हैं, वे देखनी चाहिअें। क़ानूनके अनुसार अठारह सालसे कम अुम्रके लड़के और चौदह सालसे कम अुम्रकी लड़कीका ब्याह करना अपराधमें शुमार है, मगर लोग अिस क़ानूनकी भी परवाह नहीं करते, और अपने पागलपनकी धुनमें क़ानून द्वारा निश्चित अुम्रसे कम अुम्रके लड़कों और लड़कियोंका ब्याह कर डालते हैं। माता पिताओंको अपने बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षाकी अुतनी चिन्ता नहीं रहती, जितनी लड़केके लिअे बहू अथवा लड़कीके लिअे लड़का ढूँढ़ देने और अुन्हें बेड़ियोंसे बाँध देनेकी चिन्ता रहती है।

फिर भी जो जातियाँ सुधरी हुअी और आगे बढ़ी हुअी मानी जाती हैं (हालाँकि अिनकी संख्या देशकी जनसंख्याकी तुलनामें बहुत ही थोड़ी है), अुनमें अब बाल-विवाह प्रायः बन्द हो चुके हैं। अिन जातियोंमें बड़ी अुम्र तक, कुछ अंशोंमें आवश्यकतासे अधिक बड़ी अुम्र तक, अविवाहित रहनेकी प्रवृत्ति बढ़ती पाअी जाती है। यह प्रवृत्ति तभी अच्छी मानी जा सकती है, जब अिसके गर्भमें कोअी अुच्च अुद्देश्य हो, निश्चित आदर्श हो, और अिस प्रकार अविवाहित रहनेवाले अपने आचरण और अपनी रहन-सहनको कुमारावस्थाके अनुरूप शुद्ध और पवित्र रखते हों। पवित्र और संयत जीवन बितानेके अुद्देश्यसे और जीवनको अधिक अुपयोगी व सेवापरायण बनानेके विचारसे अविवाहित रहनेवाले धन्य हैं: अुनके अिस व्रतसे बढ़कर भव्य दूसरा कोअी व्रत नहीं। दूसरी तरफ यह भी निश्चित है कि जो लोग — फिर वे स्त्री हों या पुरुष — केवल सुभीतेके खयालसे कुँवारे रहते हैं, या अधिकसे अधिक देरमें शादी करते हैं और साथ ही बिना किसी विशिष्ट शुभ अुद्देश्यके अनियमित और

अव्यवस्थित जीवन बिताते हैं, वे समाजके अन्दर नाना प्रकारके विघ्न खड़े करते हैं। अैसे लोग गृहस्थाश्रमके बोझ और अुसकी झंझटोंसे घबराकर अविवाहित रहना पसंद करते हैं। अपने विकारोंको वशमें रखनेके लिअे जिस सतत प्रयत्न और जाग्रतिकी आवश्यकता रहती है, अुसका अुनके जीवनमें कोअी स्थान नहीं होता, अिसलिअे वे कुँवारे नहीं रह सकते। मन विकारों और भोग-विलासोंमें रमा रहता हो, वासनायें अुद्दाम बनकर बाहर प्रकट होनेको छटपटाती हों, और अुन्हें समाज द्वारा मान्य रीतिसे मार्ग न मिलता हो, तो जीवनमें दम्भ और सड़ाँध प्रवेश कर जाती है। अतअेव जिन्हें आजीवन अविवाहित रहना हो या काफी बड़ी अुम्र तक विवाह न करना हो, अुन्हें अपने जीवनको किसी निश्चित आदर्शकी ओर प्रवृत्त करना चाहिअे, निरन्तर शुभ कार्योंमें लगे रहना चाहिअे, और अपनी रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदिमें पवित्रता, सचाअी, सादगी, कष्टसहिष्णुता, नियमितता, गांभीर्य, आदि गुणोंका विकास करना चाहिअे।

यह सब तो अविवाहित युवक और युवती दोनोंके लिअे है। अब विशेषकर कन्याओंके लिअे ध्यानमें रखने योग्य कुछ बातोंके विषयमें तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ। बड़ी अुम्रकी कुँवारी कन्याओंको विविध कारणोंसे अनेक नवयुवकोंके सम्पर्कमें आना ही होगा। कुछ नवयुवक, जिनमें हृदयकी शुद्धता और दृढ़ता नहीं होती, अपनी लच्छेदार बातोंसे और शरीरकी टीमटामसे भोलीभाली कन्याओंको भुलावेमे डालकर फँास लेते हैं। अिसका यह मतलब नहीं कि अिसमें कन्यओंका कोअी दोष ही नहीं होता। अपने शारीरिक सौन्दर्यके मिथ्याभिमानमें फँसकर कुछ कन्यायें यह सोचने लगती हैं कि किस तरह अनेक नवयुवक अुनकी ओर आकर्षित होते हैं! फलतः वे अैसे नवयुवकोंके साथ स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत करनेके अवसर खड़े करके अुन्हें अपनी ओर आकर्षित होनेको अुत्तेजित करती हैं। अिस प्रयत्नके सिलसिलेमें कअी भोली और अबोध युवतियाँ युवकोंके साथ शारीरिक सम्बन्धकी हद तक जा पहुँचती हैं; और जो अधिक चालाक या धूर्त होती हैं वे अिस खयालसे नवयुवकोंके साथ छेड़खानी करती रहती हैं कि अुन्हें आखिरी हद तक नहीं जाना है, बल्कि यों ही थोड़ा मनबहलाव

कर लेना है। यह भी मिथ्याभिमानका ही अेक प्रकार है। अिसमें भी अपनी वासनाओंको सूक्ष्म रूपसे तृप्त करनेकी वृत्ति ही मुख्य रहती है, जिससे अन्तमें शरीर, मन और चरित्रकी अतिशय हानि होती है।

कुछ नवयुवकों और नवयुवतियोंको परस्पर वादविवाद करनेका बड़ा शौक होता है। अैसे लोगोंकी चर्चाके मुख्य विषय प्रायः ये होते हैं: स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष; विवाह सम्बन्धी सामाजिक बन्धन अिष्ट हैं या अनिष्ट; स्त्रीको समान अधिकार होना चाहिअे या नहीं, आदि-आदि। चर्चाके दरम्यान वे अेक दूसरेकी दलीलोंका खण्डन करते हैं। अिन वाद-विवादों या चर्चाओंको रूप अैसा दिया जाता है, मानो ये बिलकुल निर्दोष भावसे केवल प्रश्नको स्पष्ट करनेके लिअे ही छेड़ी गअी हों। लेकिन असलमें अिनका हेतु अिस प्रकारकी चर्चाओंके बहाने अेक दूसरेके विशेष परिचयमें आनेका और अेक दूसरेको आकर्षित करनेका ही होता है। अिसलिअे अिस तरहकी चर्चाओंमें शामिल होनेसे पहले सोच-समझकर सावधानीके साथ अुनकी मर्यादा निश्चित कर लेनी चाहिअे।

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिअे कि कुछ नौजवान जिन लड़कियोंको चाहते हैं, अुन्हें फँसानेके लिअे कैसी कैसी तरकीबें रचते हैं। ये लोग अैसी लड़कियोंके छोटे-मोटे कामोंमें बड़ी तत्परतासे अुनकी मदद करते हैं, अुन्हें छोटी मोटी चीजें अुपहार स्वरूप भेंट करते हैं, अुनकी सहूलियतों और आवश्यकताओंका पहलेसे विचार करके तदनुकूल सारी तैयारी कर रखते हैं। अिस तरह वे अुन्हें अपने अुपकार तले ले आते हैं। फिर अपनी परिस्थिति और अपने सुख-दुःखके बारेमें करुणा-जनक चर्चा करके वे युवतियोंमें कृतज्ञताके साथ-साथ दया और सहानुभूतिकी भावना भी अुत्पन्न करते हैं। अिस प्रकार जब किसी युवतीके मनमें अुनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तब वे मौका पाकर अुसके साथ कभी थोड़ा अमर्याद व्यवहार भी कर लेते हैं। अैसे समय युवतीका ध्यान या तो अुस तरफ जाता नहीं, या वह अुसकी अुपेक्षा कर जाती है। अिस तरह बात बढ़ती रहती है। अिसी दरम्यान अगर युवक कोअी अनुचित प्रस्ताव करता है, तो युवती कृतज्ञता और दयाके वशीभूत होकर अुसके जालमें फँस जाती है। आम तौर पर स्त्रियाँ

अधिक भावनाप्रधान होती हैं। अिसलिअे जिन्हें ज्यादा अनुभव नहीं होता, वे अैसे प्रपंचोंमें जल्दी फँस जाती हैं। और सिर्फ कुँवारी युवतियाँ ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो अुनकी मातायें भी अिस भुलावेमें फँस जाती हैं। युवतीकी ओर ध्यान देनेसे पहले कुछ नौजवान युवतीकी माँ पर ध्यान देते हैं। वे अुसे अपने अुपकारोंसे अुपकृत करते हैं, अुसके मनमें अपने लिअे दया और सहानुभूतिकी भावना पैदा करते हैं, और अिस प्रकार अेक बार परिवारमें प्रवेश करनेके बाद समय पाकर विश्वासघात करते हैं।

यह तो छल और प्रपंचकी बात हुअी। लेकिन वैसे भी कन्याओंको हमेशा सावधान रहना चाहिअे। हो सकता है कि युवती या युवकके दिलमें कोअी पाप न हो, दोनों निर्दोष हों, तो भी यदि आगे चलकर अुन्हें विवाह बंधनसे बँधना न हो, या बँध सकनेकी अनुकूलता न हो, तो अुनके लिअे जीवनमें अैसे प्रसंग बढ़ाना अुचित नहीं, जिनके फलस्वरूप विवाह आवश्यक हो पड़े। सम्भव है कि शुरूमें किसीके दिलमें किसी तरहका अनुचित भाव अेक दूसरेके लिअे न हो, फिर भी जैसे जैसे सम्पर्कके अवसर बढ़ते जाते हैं, आकर्षण अुत्पन्न हुअे बिना नहीं रहता। अतअेव युवकों और युवतियोंको मर्यादामें रहकर ही अैसे अवसरोंका अुपयोग करना चाहिअे। युवकों और युवतियोंको अेक साथ पढ़ते हुअे और अेक साथ काम करते हुअे अेक दूसरेसे बोलने-बतलाने और हिलने-मिलनेके अनेक अवसर मिलते हैं। अब स्त्रियाँ सार्वजनिक कामोंमें भी आगे बढ़कर हाथ बँटाने लगी हैं। यह भी सच है कि अपनी वर्तमान दलित दशासे अूपर अुठनेके लिअे स्त्रियोंको चक्की-चूल्हेके दायरेसे आगे बढ़कर विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करना ही होगा, और अिस सिलसिलेमें अुन्हें तरह तरहके पुरुषोंके सम्पर्कमें भी आना पड़ेगा। अिसलिअे अुन्हें अपनी कुछ मर्यादायें तो निश्चित कर ही लेनी चाहिअें। विवाहित और अविवाहित सभी युवतियोंके लिअे मुझे तो यह आवश्यक मालूम होता है कि वे बातचीतमें और पहनने-ओढ़नेमें गांभीर्यका खयाल रक्खें, आँखों द्वारा या शरीरके किसी दूसरे अंग द्वारा शृंगारसूचक हावभाव या अिशारे न करें, और न पहनने-ओढ़नेमें या बाल वगैरा

सँवारनेमें अैसी टीमटामसे काम लें, जिससे दूसरोंका ध्यान अुनकी ओर खासतौरसे आकर्षित हो ।

स्त्री-पुरुषके बीचकी अतिरेकपूर्ण स्वतंत्रताके फलस्वरूप अभी अभी गुजरातमें कुछ अैसे अवांछनीय विवाह हुअे हैं, जिनके कारण हमारे समाजको जबरदस्त आघात पहुँचा है। कन्याओंने अैसे पुरुषोंके साथ विवाह किया है, जिनकी पहली स्त्री मौजूद है, और जिन्हें अुस स्त्रीसे बाल-बच्चे भी हैं। अिन स्त्री-पुरुषोंमेंसे कुछ तो समाजमें जिम्मेदारीके पदों पर काम करनेवाले थे। अेक दो मामलोंमें तो पुरुष कन्याके अभिभावक-से थे। अिन विवाहोंके कारण सामाजिक सुधारोंकी प्रगतिमें बड़े बड़े विघ्न खड़े हो गये हैं। और, विशेषकर स्त्रियोंकी मुक्तिके प्रश्नको तो अिनके कारण बहुत ही हानि पहुँची है। ये पुरुष पुरुषजातिके लिअे कलंकरूप और स्त्रीजातिके शत्रु सिद्ध हुअे हैं। और अिन कन्याओंने अपनी जातिका घोरसे घोर द्रोह किया है। अगर अुनमें नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करनेकी हिम्मत होती कि अपनी विषय-वासनाके वश होकर अुन्होंने यह कृत्य किया है, तब भी कोअी बात थी। लेकिन वे तो अपनी सफाअीमें प्रेम और विवाहके अुन विचारोंको अुदाहरणके रूपमें पेश करते हैं, जिनका अुल्लेख हमारे गुजराती साहित्यमें कलापीने और दूसरे अनेक कवियों और लेखकोंने बहुत ही विकृत रूपमें किया है। हमारे साहित्यमें प्रेम-विवाहोंकी अच्छीसे अच्छी और बुरीसे बुरी चर्चा मौजूद है। कहा जाता है कि समाजमें आजकल प्रायः प्रेमरहित विवाह ही होते हैं, अतअेव किसी योग्य प्रेमीके मिलने पर अुससे पुनर्विवाह करनेमें क्या हर्ज है? प्रेमको विवाहसे विलग रखना अिष्ट है क्या? लेकिन अिन विधानोंमें न तो प्रेम शब्द अपने सच्चे अर्थमें प्रयुक्त होता है, न विवाहके स्वरूपका ही किसीको समुचित खयाल होता है। विषय-वासनाको प्रेमका नाम दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि विवाह, अुससे सम्बद्ध होनेवाले दो व्यक्तियोंके बीचका अेक निजी प्रश्न है। लेकिन दर असल विवाह अेक सामाजिक संस्था है। अुसका जन्म भले ही मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिअे हुआ हो, लेकिन अुसका अन्तिम अुद्देश्य तो अपना और समाजका परम श्रेय और परम

मंगल ही है। विवाह विकारोंको बेलगाम या निरंकुश बनानेके लिअे नहीं, बल्कि विकारोंका नियमन और शमन करनेके लिअे है। जिस विवाहमें समाज-व्यवस्थाकी सुस्थितिका और विश्वकी नैतिक व्यवस्थाका विचार नहीं किया जाता, जिसमें केवल व्यक्तिगत सुखोपभोग और स्वार्थका ही विचार होता है, वह हीन विवाह है। अैसे विवाहका परिणाम चरित्रकी हीनता और सर्वनाश ही हो सकता है। जिन अनिष्ट विवाहोंकी चर्चा मैं अूपर कर चुका हूँ, वे दम्भ, झूठ और विश्वासघातसे परिपूर्ण थे। अैसे विवाह स्त्रीजातिके लिअे अपमान जनक हैं, अतअेव स्त्रियोंको अिनका खास तौरपर तीव्र विरोध करना चाहिअे।

कन्याओंको कुछ बाबतोंमें विशेष रूपसे सावधान रहनेकी जरूरत है, अिसकी चर्चा करते करते अिन आधुनिक अनिष्ट विवाहोंका अुल्लेख करना पड़ा और अुसके सिलसिलेमें विवाह सम्बन्धी कुछ चर्चा भी हो गअी। विवाहका कुछ विस्तृत विचार तो हम अगले पत्रोंमें करेंगे। यहाँ थोड़ेमें यही कहा चाहता हूँ कि पवित्रताका आग्रह, स्वाभिमानका तीव्र भान और विवेक अेवं मर्यादासे युक्त व्यवहार या आचरण किसी भी हालतमें हर किसी मनुष्यके लिअे आवश्यक है; किन्तु कुँवारी कन्याओं और युवतियोंके लिअे तो यह विशेष रूपसे भूषण रूप है।

विवाहकी अुचित वय

मनुष्यके जीवनमें विवाह अेक बड़े महत्त्वकी घटना है। क्योंकि अुसमें अपने साथीको चुनकर जीवनभर अुसके साथ रहनेका प्रश्न समाया हुआ है। अतअेव स्त्री-पुरुषोंका जीवन तभी सुखी हो सकता है, जब वे अुचित अुम्रमें सोच-समझकर विवाह करते हैं। पहले हम यह विचार करेंगे कि विवाह किस अुम्रमें करना अिष्ट है। बादमें साथीको चुनने या पसंद करनेके प्रश्न पर सोचेंगे।

हमारे हिन्दू समाजमें पुराने विचारके लोगोंका यह विश्वास है कि कन्याका ब्याह रजोदर्शनसे पहले कर देना चाहिये। कुछ लोगोंका यह खयाल है कि कुँवारी स्थितिमें कन्याको रजोदर्शन हो जानेसे कन्याके माता पिता महापापके भागी बनते हैं। तुमसे यह कहनेकी जरूरत तो न होनी चाहिअे कि लोगोंकी यह धारणा अुनके मूर्खतापूर्ण अन्धविश्वासका परिणाम है। मैं मानता हूँ कि यदि हममेंसे कोअी अिस समय तुम्हारे ब्याहकी चर्चा चलाने जितना मूर्ख बन भी जाय, तो भी तुम हमारी अिस मूर्खताका विरोध ही करोगी। अिस पुरानी मान्यताकी तहमें विचार तो यह रहा है कि रजोदर्शनके बाद तुरन्त ही कन्या गर्भधारणके योग्य बन जाती है। लेकिन मैं कह चुका हूँ कि यह अेक भयंकर भूल है। गर्भधारण करनेके और बालकको जन्म देनेके सभी अवयवोंको भली-भाँति विकसित और पुष्ट होनेमें रजोदर्शनके बाद भी कमसे कम चार-पाँच साल तो लगते ही हैं। अिसका यह मतलब नहीं कि अिससे पहले कन्या गर्भधारण कर नहीं सकती। आज हमारे सामाजमें लड़कियोंका ब्याह बहुत छोटी अुम्रमें कर दिया जाता है, और चौदह या पन्द्रह सालकी अुम्रमें तो वे मातायें बनती नजर आती हैं। यह अेक घोर अनर्थ है। अुनकी अपनी तन्दुरुस्तीके खयालसे भी यह चीज़ बहुत ही नुकसानदेह है। अिस अुम्रमें स्त्रीके अवयव अपरिपक्व और सुकुमार होते हैं। अपनी अिस सुकुमार अवस्थामें जब स्त्री पर गर्भधारण और प्रसवका बोझ पड़ता है, तो

अुसका शरीर कुम्हला जाता है। जवान लड़कियाँ बूढ़ी औरतों-सी नजर आती हैं। दूसरे, अपने सभी अवयवोंके परिपक्व और दृढ़ बननेसे पहले मातायें जिन बालकोंको जन्म देती हैं, वे बालक भी ताकतवर नहीं होते। चौदह-पंद्रह सालकी बालिकाका शरीर तो फूलकी कलीके समान होता है। हम कलीको तोड़कर अुसकी पँखुड़ियोंको फूलकी तरह खिली हुअी दिखा सकते हैं, लेकिन अिस तरह जबर्दस्ती खिलाया हुआ वह फूल जल्दी ही मुरझा जाता है। कलीका विकास स्वाभाविक रूपमें होना चाहिये; अुसकी पँखुड़ियाँ अपने आप चटकनी और खिलनी चाहियें। तभी फूलमें सौन्दर्य आ सकता है। चौदह-पंद्रह सालकी कन्या स्त्री-कली है। पूरी तरह विकसित होकर सुन्दर स्त्री-पुष्प बननेके लिअे अुसे थोड़ा समय चाहिअे। हमें प्रकृतिको अुसका काम अुसके अपने ढंगसे और अपने समयानुसार करने देना चाहिअे। केवल शरीरकी दृष्टिसे सोचें तब भी विवाहकी अुचित वय तो वही मानी जानी चाहिअे, जब कन्याका शरीर पूरी तरह विकसित हो चुका हो, और अुसके सभी अवयव सुदृढ़ बन चुके हों।

लेकिन अकेले शरीरका विचार करना काफी नहीं है। गर्भधारण करके बालकको जन्म देनेसे पहले कन्यामें बालककी सार-सँभाल और अुसका लालन पालन आदि करनेकी योग्यता भी आ जानी चाहिअे। माता बननेकी योग्यता अुत्पन्न होनेसे पहले कन्याका विवाह कर देना अेक प्रकारकी मूर्खता ही है। सोचनेकी बात है कि क्या पंद्रह-सोलह सालकी अेक लड़की, जिसका सारा ध्यान खेलकूद और लिखने-पढ़नेमें लगा हो, माता बननेकी जिम्मेदारी अुठा सकती है?

फिर शादीके बाद कन्यापर गृहस्थी चलानेका बोझ आ पड़ता है। स्पष्ट है कि अुस समय अुसको विद्याध्ययनके लिअे बिलकुल समय नहीं मिलता, या बहुत ही कम मिलता है। अिसलिअे हरअेक युवक और युवतीको शादीसे पहले ठीक ठीक विद्याध्ययन कर लेना चाहिये। अगर युवक और युवतियाँ बीस बरसकी अुम्र तक केवल विद्याभ्यासमें ही जुटी रहें, तो वे अपने भावी जीवनके लिअे अच्छी तरह तैयार हो सकती हैं।

विवाहकी वयका निश्चय करते समय अेक और विचार भी कर लेना आवश्यक है। सन्तान जबतक विद्याभ्यास करती है, अुसके भरण-पोषणका भार माता पिताके सिर रहता है। लेकिन अभ्यास समाप्त होनेके बाद अुसे अपना भरण-पोषण स्वयं कर लेना चाहिअे, और अुस समय तक यदि माता पिता वृद्ध हो गये हों, तो अुनका पोषण भी करना चाहिअे। अिसलिअे यह नियम सहज ही समझमें आने लायक है कि जबतक मनुष्य स्वयं अपना भरण-पोषण करने योग्य न हो जाय, अुसे ब्याह न करना चाहिअे। लेकिन कन्याओंके सम्बन्धमें आज समूची दुनियामें प्रायः सर्वत्र यही प्रथा प्रचलित है कि जबतक कन्या छोटी रहे, माता पिता अुसका पालन-पोषण करें, और जब बड़ी होकर ब्याह करे तो पति अुसका भरण-पोषण करे। तिस पर आज हमारे समाजकी हालत तो यह है कि लड़के अैसी अुम्र और अवस्थामें पति और पिता बन बैठते हैं, जब कि वे अपना निर्वाह खुद कर ही नहीं सकते। लेकिन यह तो हम लोगोंकी मूर्खता ही है। किसी भी नवयुवकको स्वावलम्बी बननेसे पहले ब्याह न करना चाहिअे। और मैं तो कन्याओंके लिअे भी यही कहता हूँ कि हरअेक कन्याको तबतक ब्याह न करना चाहिये जबतक अुसमें अपनी आजीविकाके अुपार्जनकी शक्ति न आ जाय। अिसका यह मतलब नहीं कि सभी स्त्रियोंको कमाने जाना चाहिअे। विवाहके बाद कमानेका काम पुरुषके और घर चलाने, बच्चोंका लालन-पालन करने और अुन्हें पढ़ाने-लिखानेका काम भले स्त्रीके जिम्मे रहे। लेकिन स्त्रीमें अितनी शक्ति तो आ ही जानी चाहिअे कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वतंत्र रूपसे अपनी आजीविकाका प्रबंध कर सके। जबतक यह शक्ति प्राप्त न हो जाय, किसी कन्याको ब्याहका विचार ही न करना चाहिअे।

अुस दिन अेक कन्याने बातचीतके सिलसिलेमें मुझसे कहा कि अगर अुसमें अपने आप अपनी आजीविकाका ठीक ठीक प्रबन्ध करनेकी योग्यता आ जाय, तो वह विवाहका नाम ही न ले। लेकिन अिस तरह माता पिता अथवा भाअीके सिरका बोझ बनकर रहना अुसे अच्छा नहीं लगता। अिसका साफ मतलब यही हुआ कि वह कन्या किसी प्रकारका आर्थिक आधार प्राप्त करनेके लिअे ही विवाह किया चाहती है। यद्यपि

अुस कन्याके सम्बन्धमें मेरा अपना विचार यह है कि अुसके सामने सिर्फ यही अेक सवाल न रहा होगा। अब तकके विवेचनसे यह बात तो तुम्हारे ध्यानमें आ ही चुकी होगी कि विवाह अेक शारीरिक आवश्यकता भी है। लेकिन अुक्त कन्याके मनमें आर्थिक अवलम्बका जो विचार पैदा हुआ सो अधिकांश कन्याओंके मनमें होता है सही। और हकीकत भी यही है कि आज सारी दुनियामें ज्यादातर स्त्रियाँ अपनी आजीविकाके लिअे पुरुषों पर निर्भर करती हैं। स्त्रियोंकी पराधीनता और दलितावस्थाके अनेकानेक कारणोंमें यह भी अेक बड़ा और महत्त्वका कारण है। अिसलिअे मैं तो हरअेक कन्याको यही सलाह दूँगा कि वह आर्थिक आधारकी दृष्टिसे हरगिज विवाह न करे। विवाहसे पहले अपना निर्वाह करनेकी शक्ति तो हरअेकको प्राप्त कर ही लेनी चाहिअे।

हमारे समाजमें जब कन्याके लिअे वरके चुनावका सवाल खड़ा होता है, तो वरकी अपनी योग्यताके सिवा अुसकी आर्थिक स्थितिका अर्थात् पारिवारिक सम्पत्तिका भी विचार किया जाता है। ब्याहके समय कन्याको आभूषणोंके सिवा दहेजमें नकद रुपये देनेकी प्रथा भी कअी जातियोंमें पाअी जाती है। अिन विचारों और रीत-रिवाजोंका मूल हेतु यही मालूम होता है कि अगर स्त्रीको पतिका आधार न रह जाय, तो वह पतिके परिवारकी सम्पत्तिसे अथवा अुसे दहेजमें मिले हुअे धनसे अपना भरण-पोषण भलिभाँति कर सके। अिसमें लड़कीको शुरूसे अपंग माना गया है। लड़कीकी यह दशा अतिशय शोचनीय है। जबतक हमारी लड़कियाँ अिससे मुक्त न होंगी, समाजसे स्त्रियोंकी पराधीनता भी न मिटेगी। अभी अुस दिन अेक कन्याके पिता अपनी कन्याके लिअे किसी सुयोग्य वरके बारेमें मुझसे कहते थे कि आपकी जानमें वैसा कोअी वर हो तो आप बतलाअिये। मैंने अुन्हें अेक नवयुवकका नाम सुझाया। यह युवक अच्छा काम करता है और विवाहके बाद अपनी कमाअीसे अपना और अपनी पत्नीका भरण-पोषण कर सकता है। लेकिन अुक्त सज्जनने तुरन्त ही मुझसे कहा कि लड़केके पास न तो निजकी जायदाद है और न निजका घर ही है। अगर दैवयोगसे वह न रहा, तो . . . बहनका क्या होगा। मैंने छूटते ही कहा कि जिस दिन वह न होगा, अुस

दिन बहनके अपने हाथ-पैर तो होंगे न? अितनी पढ़-लिखकर और सयानी होकर क्या वह अपना निर्वाह भी नहीं कर सकती? अगर अुसमें अितनी भी हिम्मत न हो, तो अुसका पढ़ा-लिखा सब व्यर्थ समझना चाहिये। विवाह आर्थिक आधारकी प्राप्तिके लिअे हरगिज न होना चाहिअे। यही नहीं, बल्कि जिस तरह आज हमारे समाजमें पुरुष कमाता और स्त्री तथा परिवारका भरण-पोषण करता है, अुसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर स्त्रीके अन्दर भी अितनी ताकत होनी चाहिअे कि वह खुद कमाकर पुरुषका और सारे परिवारका भरण-पोषण कर सके। मान लीजिये कि विवाहके बाद किसी कारणवश पुरुष अपंग या अशक्त हो जाय। अैसे समय स्त्रीको दीनता न दिखानी चाहिअे। अुसमें घर चलानेकी हिम्मत होनी चाहिअे। मैं तो अैसे दृष्टान्तकी भी कल्पना करता हूँ, जिसमें पुरुष और सब प्रकारसे सुयोग्य होनेपर भी कमानेकी योग्यता न रखता हो, अथवा किसी कारणवश धन कमानेकी ओर अुसकी रुचि या ध्यान न हो, और स्त्री स्वयं कमाकर घरका खर्च चलाती हो। लेकिन याद रहे कि मैंने अूपर जो अुदाहरण दिये हैं, वे प्रत्येक समाजमें अपवाद स्वरूप ही रहनेवाले हैं। अर्थोपार्जनके लिअे आज बाजारमें जो घोर संघर्ष चल रहा है, प्रकृतिने स्त्रीको अुसके लिअे बनाया ही नहीं है। कुदरतने पुरुषको चौड़े कन्धे और पुष्ट स्नायु अिसलिअे दिये हैं कि वह मेहनत मज़दूरी करे, सर्दी-गर्मीमें भटके और परिवारके भरण-पोषणका भार अुठावे। स्त्रीका पेड़ू और नितम्बवाला प्रदेश अधिक चौड़ा होता है। जननेन्द्रिय सम्बन्धी सभी अवयव अिसी भागमें हैं, और सन्तानोत्पादनका भार अुन्हींको अुठाना पड़ता है। बालकको अपने पेटमें धारण करके अुसके संगोपन और संवर्धनका काम प्रकृतिने स्त्रीको सौंपा है। पुरुष नया नया अुत्पन्न करता है और स्त्री अुसकी रक्षा करती है। यह कार्य विभाग केवल प्रजोत्पत्तिके क्षेत्रमें ही नहीं, बल्कि घर गृहस्थीके दूसरे कामोंमें भी दोनोंके बीच कायम रहता है। अिस दृष्टिसे विचार करने पर यह चर्चा ही निरर्थक मालूम होती है कि दोनोंमें श्रेष्ठ कौन — स्त्री या पुरुष? कुदरतने किसीको किसीसे घटिया नहीं बनाया। अपने अपने क्षेत्रमें दोनों श्रेष्ठ हैं। लेकिन अिसमें शक नहीं कि आज समाजने स्त्रीको

बहुत ही हलका पद दे रखा है। समाजके अिस अन्यायको नष्ट करके स्त्रीको अपना प्रकृत स्थान, जो पुरुषसे किसी भी प्रकार कम नहीं है, पुनः प्राप्त करना है। हरअेक कन्याको ब्याहसे पहले अिसके लिअे आवश्यक शक्ति प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रखना चाहिअे।

कोअी भी कन्या यह सारी तैयारी कमसे कम अठारह सालकी अुमरसे पहले तो शायद ही कर सकती है। अिसलिअे अिस अुम्रसे पहले तो अुसे विवाहका विचार भी न करना चाहिअे। अपने जीवनका यह समय अुसे विद्याध्ययनमें, भावी जीवनके लिअे तैयार होनेमें और योग्यता प्राप्त करनेमें बिताना चाहिअे। अठारह सालकी यह अुमर तो कमसे कम अुमर है। यदि कोअी लड़की ब्याहके लिअे बहुत ही अधीर मालूम पड़े, तो मैं अुसे अिस अुम्रमें विवाह कर लेनेकी सलाह देनेमें न हिचकूँगा। लेकिन मेरा आग्रह तो यह है कि कन्याओंके लिअे साधारणतः ब्याहकी अुम्र बीस या अिक्कीस वर्षकी मानी जानी चाहिअे।

हमारे यहाँ अेक अन्धविश्वास और भी प्रचलित है, और वह यह है कि चूंकि हमारे देशकी आबोहवा गरम है, हमारे लड़कों और लड़कियोंमें काम-वासना जल्दी जाग्रत होती है, और अिसीलिअे वे जल्दी ब्याह करने लायक बन जाती हैं। हमें अिस अन्धविश्वाससे तुरन्त मुक्त हो जाना चाहिअे। काम-वासनाका सम्बन्ध आबोहवाकी अपेक्षा आसपासकी सामाजिक परिस्थिति और मानसिक तथा नैतिक वातावरणके साथ अधिक होता है। अगर बचपनसे ही लड़कियोंके सामने ब्याहकी और ससुराल जानेकी बातें की जायँ, वे अुपन्यासों और नाटकोंमें प्रेमके शिकार स्त्री-पुरुषोंकी कहानियाँ पढ़ा करें और वैसे ही नाटक व सिनेमा देखा करें, तो अुनमें कामविकारके जल्दी अुत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती अवश्य है। मनमें गन्दे विचारोंको स्थान देने और मित्रों या सहेलियोंके साथ सदा गन्दी बातें करनेसे भी काम-विकार अुत्पन हो सकता है। अिसलिअे अिस विकारसे दूर रहनेका अुत्तम अुपाय यही है कि अिन सब बातोंसे ही बिलकुल दूर रहा जाय।

कुछ अंशोंमें काम-विकारका सम्बन्ध आहारके साथ भी है। जहाँकी आबोहवा गरम हो, वहाँ अुत्तेजक मिर्च मसालोंका सेवन करना अत्यन्त हानिकारक है। गरम प्रदेशोंमें मांसाहार और मदिराके सेवनसे तो बहुत ही नुकसान होता है। गरम हवामें मनुष्यको आलस्य भी अधिक आता है। आलस्यमें दिन बितानेवाले मनुष्योंको, फिर वे पुरुष हों या स्त्री, कामविकार अधिक सताते हैं। काम (विषयवासना) का बड़ेसे बड़ा शत्रु काम (अुद्योग) ही है। अितनी सावधानी रखनेके बाद हमारे देशका खुला और निर्मल आकाश तथा सूरजका प्रखर प्रकाश सबके लिअे कल्याणकारी ही है। खुली हवा भी कामविकारको वशमें करनेमें बहुत सहायक होती है।

विवाहके लिअे बीस-अिक्कीस सालकी जो अुम्र मैंने सुझाअी है, वह हमारे समाजकी दृष्टिसे काफी बड़ी अुम्र है। बड़ी अुम्रमें विवाह करनेका यह प्रयोग हमारे देशमें नया है। अिसलिअे अिसमें स्खलन या दोष होनेका डर है। अिसके लिअे जिस तरहका मर्यादापूर्ण आचरण होना चाहिअे, अुसके वैसे नियम अभी हमारे समाजमें अच्छी तरह बने नहीं हैं। अिसीलिअे 'कुँवारोंसे' शीर्षक प्रकरणमें मैंने अिस विषयकी थोड़ी चर्चा की है। यदि लड़के और लड़कियाँ अिस विषयमें अपना आचरण वैसा ही बनानेकी कोशिश करेंगे तो अुनका भी भला होगा और समाजका भी भला होगा। पतन या स्खलनके अिस जोखिमको अुठाकर भी बड़ी अुम्रमें ब्याह करनेकी सलाह मैंने अिसीलिअे दी है कि यदि स्त्री-पुरुष वैवाहिक जीवनकी सभी जिम्मेदारियोंको समझकर ही गृहस्थाश्रममें प्रवेश करें, तो अुससे व्यक्ति और समाज दोनोंके सुख, शान्ति और शक्तिमें वृद्धि हो सकती है।

४

साथीका चुनाव

विवाहकी वयके समान ही महत्त्वपूर्ण दूसरा विषय साथीके चुनावका है। अिस सम्बन्धमें हमारे समाजमें आमतौर पर विवाह करनेवालोंसे कुछ पूछनेका कोअी रिवाज नहीं है। माता पिता बचपनमें ही बालक बालिकाओंका विवाह कर डालते हैं। अपने बालकोंके लिअे साथीका चुनाव करते समय बहुतेरे माता पिता लड़कों या लड़कियोंकी रुचि-अरुचि अथवा हिताहितका विचार करते ही नहीं। वे प्रायः अपनी सहूलियतका और अपने माने हुअे लाभ-हानिका ही विचार करते हैं। कहना चाहिये कि यह प्रथा बहुत ही भद्दी और बेहूदी है। किन्तु सभी माता पिता अैसा नहीं करते। आज हमारे समाजमें अैसे माता पिता भी हैं, जो अपने पुत्र या पुत्रीके लिअे योग्य साथीकी खोज करके अुनसे पूछते और अुनकी स्वीकृति मिलने पर ही सम्बन्ध निश्चित करते हैं। पश्चिमी देशोंमें, वहाँकी प्रथाके अनुसार, जब कोअी युवक या युवती अेक दूसरेसे आकर्षित होते हैं, तो परस्पर अधिक परिचयमें आनेसे पहले वे अपने माता पिताकी स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। अिस प्रथामें चुनावकी जिम्मेदारी ज्यादातर युवक या युवतीके सिर रहती है। अिसलिअे हमारे सामने दो प्रथायें विचारने योग्य हैं: हमारे देशके कुछ विचारशील माता पिता अपने पुत्र या पुत्रीके लिअे साथी तलाश करके बादमें विवाहेच्छुक युवक या युवतीकी अुस सम्बन्धमें स्वीकृति ले लेते हैं — अेक यह प्रथा है; दूसरी पश्चिमी देशोंकी वह प्रथा है, जिसमें युवक-युवती स्वयं ही अेक दूसरेको पसन्द करके बादमें माता पिताकी स्वीकृति ले लेते हैं। अिन दोनोंमें अच्छी कौन मानी जाय? मेरी राय यह है कि अिनमेंसे किसी भी अेक पद्धतिको नियमके रूपमें स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं है। हमारे देशमें बहुतोंका यह खयाल है कि चूँकि विलायत वगैरामें प्रेम-विवाहका रिवाज है, अिसलिअे वहाँवालोंका दाम्पत्यजीवन बहुत सुखमय होता है। लेकिन वहाँ भी पति-पत्नीके आपसी सम्बन्ध सदैव सुखपूर्ण और सन्तोषजनक ही होते

हैं, अैसा नहीं कहा जा सकता । हमें यह समझ लेना चाहिअे कि घर-घर मिट्टीके ही चूल्हे होते हैं । वैसे दूरके डूँगर सुहावने जरूर दीखते हैं। लेकिन अिंग्लैण्ड और अमेरिकामें तलाककी संख्या जिस गतिसे बढ़ रही है, वह वहाँकी वस्तुस्थितिका अेक अचूक प्रमाण है । अपने देशकी प्रथाका अनुभव हमें है ही । हमारे यहाँ अक्सर अन्धेके साथ कानेका ब्याह कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पति-पत्नीमें अनबन पैदा हो जाती है, और गृहस्थी दुःखमय बन जाती है । यह भी हो सकता है कि ब्याहके समय कितनी ही चौकसाअी और सावधानी रखनेके बावजूद भी युवक और युवती परस्पर अेक दूसरेको अथवा अुनके माता पिता अुन दोनोंको ठीकसे पहचान न सकें । अतअेव सब प्रकारकी यथेष्ट सावधानीके बाद भी वैवाहिक जीवनकी सफलताका बड़ा आधार पति-पत्नीके अपने प्रयत्न पर ही है । लेकिन अिसका यह मतलब नहीं कि चुनावके समय कम सावधानी रखनी चाहिअे । मैं अूपर कह चुका हूँ कि तुम्हारा स्वयं अपने साथीको चुन लेना या माता पिताओंका चुन देना, दोनों अैसी प्रथायें हैं, जो नियमके रूपमें स्वीकारी नहीं जा सकती । फिर भी सब बातोंको सोचनेके बाद मेरी अपनी राय यह बनती है कि वर-वधूका गुरुजनों द्वारा चुना जाना अधिक अुचित है । पहली बात तो यह है कि हमारे समाजमें आज अिस बातकी न तो कोअी व्यवस्था है, न गुंजाअिश है कि जिससे युवक और युवती पूरी तरह अपनी मर्यादामें रहकर भी अेक दूसरेके गुणों और स्वभाव आदिका निकटसे परिचय प्राप्त कर सकें । हमारे यहाँ अिस प्रकारके सामाजिक जीवनका विकास ही नहीं हुआ है । दूसरे, जब चुनावकी सारी जिम्मेदारी युवक या युवती अपने सिर ले लेती है, तब अिस बातकी सम्भावना बढ़ जाती है कि दोनों हमेशा अेक दूसरेको अिसी दृष्टिसे देखा करें कि अुनमें कौन वर बनने लायक है और कौन वधू । अिससे भी कोअी हानि न हो, बशर्ते कि दोनों दलोंके दिलमें अेक-दूसरेके प्रति आदरभाव रहे, और समाजके प्रति अपनी जिम्मेदारीका पूरा खयाल हो । लेकिन डर तो यह मालूम होता है कि कहीं अिसके कारण युवक और युवती अेक दूसरेको विकारपूर्ण दृष्टिसे देखना न सीख जायँ, और अिस बातका खयाल भी न करें कि अुनका

अेक दूसरेके साथ किस प्रकारका सम्बन्ध है, और अुनकी अपनी परिस्थितियाँ कैसी हैं । अनुभवहीन युवकों और युवतियोंके बारेमें अेक डर यह भी रहता है कि वे चुनाव करते समय विवेकसे काम न लेकर व्यक्तिगत मोहसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं । अिसलिअे बेहतर तो यही है कि ब्याहका विचार आते ही वे अपने निर्णयकी कसौटीका खयाल अपने गुरुजनोंको करा दें । यानी अुन्हें यह बता दें कि वे अपने साथीमें किन किन गुणोंकी अपेक्षा रखते हैं, और विवाह सम्बन्धी मौजूदा सामाजिक रूढ़ियोंमें क्या क्या सुधार आदि करना चाहते हैं । और, तदनुसार सुयोग्य साथी ढूँढ़ देनेका भार अुन पर सौंप दें । गुरुजन भी युवक या युवतीके स्वभाव, गुण-दोष, विचार आदिको ध्यानमें रखकर अुसके लिअे वैसा साथी खोजनेका प्रयत्न करें । फिर दोनोंको अेक दूसरेके गुण-दोष समझा दें, दोनोंके जीवनकी जो बातें अेक-दूसरेको आवश्यक रूपसे बताने लायक हों वे अुन्हें बता दें, और यदि युवक और युवतीके परस्पर मिलने और अेक दूसरेसे परिचित होनेकी आवश्यकता मालूम पड़े, तो अुनके लिअे मर्यादापूर्वक हिलने-मिलनेकी सहूलियत कर दें ।

यदि किसी समय कन्याका दिल किसी नवयुवककी ओर सहज भावसे आकर्षित हो जाय, तो अुसके साथ सम्बन्ध बढ़ानेसे पहले कन्याको चाहिअे कि वह अिसकी सूचना अपने गुरुजनोंको कर दे और अुनकी सलाह ले ले । अगर लड़केलड़की अिस तरहकी चर्चा अपने मातापिताके साथ स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें, तो वे अनेक दुष्परिणामोंसे बच जायँ । मातापिताओंको घरमें अैसा वातावरण पैदा करना चाहिअे, जिससे बालक अुनके साथ खुले दिलसे बातचीत कर सकें ।

अब हम यह देखें कि चुनाव करते समय गुरुजनोंको और विवाहेच्छुक युवतीको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

पहले तो यह देखना चाहिअे कि युवक कौन है और कैसा है । अुसका स्वभाव, अुसकी आदतें, अुसकी बुद्धि, अुसका पुरुषार्थ, अुसे विरासतमें मिली हुअी वृत्तियाँ, अुसकी संस्कारिता, तेजस्विता, अुसका पराक्रम, अुसकी सच्चरित्रता और अुसका स्वास्थ्य आदि अुसके सभी

व्यक्तिगत गुणोंका विचार करना चाहिये। अिसके बाद यह देखना चाहिये कि अुसके माता-पिता कैसे हैं। माता और पिताके स्वभाव और गुणोंपरसे कुछ अंशोंमें अुसके अपने गुणोंका अनुमान किया जा सकता है। साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि अुसमें कोअी आनुवंशिक रोग या दूषण तो नहीं है।

चुनावके समय अेक और भी महत्वकी बात ध्यानमें रखने लायक है : आजकल बहुतेरे पुरुष, विशेषकर नवयुवक, स्त्री-स्वातंत्र्यकी दुहाअी देते पाये जाते हैं। किन्तु स्त्रियोंके प्रति समता या आदरका भाव बहुत कम लोगोंमें पाया जाता है। अिसलिये किसी भी नवयुवकको अपना साथी चुननेसे पहले अुसके पत्नीविषयक विचारोंको बहुत सावधानीके साथ जान लेना चाहिये। अिस बातकी ठीकठीक जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिये कि वह पत्नीको मित्र या साथी मानता है, अथवा सजीवजी गुड़ियाकी तरह अपने मनबहलावका साधन समझता है, या मुफ्तमें घरका काम करनेवाली नौकरानी मानता है।

हमारे समाजमें वरकी जाति और कुल देखनेका जो रिवाज है, अुसमें बहुत कुछ तथ्य है। लेकिन आज जाति-पाँतिके जो अनेक बन्धन प्रचलित हो गये हैं, (जैसे, विवाह किसी जाति विशेषमें ही हो सकता है, वर किसी खास गाँव और किसी खास बड़े माने जानेवाले कुलका ही हो सकता है, आदि-आदि) अुनके कारण लोग असल तथ्यको भूल गये हैं। अिसीलिअे आज ये बंधन हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। जातियों और कुलों या खानदानों सम्बन्धी हमारा तन्त्र आज बिलकुल सड़ गया है। जातियोंके संगठनका अब कोअी अर्थ नहीं रहा, और कुलीनता या खानदानियतके नामसे जो कुछ चल रहा है, अुसमें भी मिथ्याभिमान और दम्भका जोर बढ़ गया है; अिसलिअे आज अिन बन्धनोंको तोड़कर नअी व्यवस्था स्थापित करनेकी आवश्यकता है। अिस नअी व्यवस्थाका निर्माण करते समय हमें सुप्रजननविद्याका भी सहारा लेना चाहिये। जनन-व्यापारका विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि माता और पिताकी ओरसे प्राप्त होनेवाले जीवकण हमारे शरीरके जीवकोषोंको जाति और कुलकी विशेषतायें प्रदान करते हैं। परस्पर विरोधी जातियों और खानदानोंके

बीच ब्याह-सम्बन्धकी स्थापना प्रकृतिको अिष्ट नहीं है। जिन कुलों या खानदानोंके परम्परागत लक्षण अेक दूसरेसे मेल खाते हैं, अुनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होनेसे सन्तान सुधरती और अधिक संस्कारी बनती है। अिसके खिलाफ जिनमें किसी तरहका मेल नहीं होता, अुनके बीच ब्याह-सम्बन्ध स्थापित होनेसे प्रजा हीन बनती जाती है। अैसी प्रजाके लिअे वर्णसंकर शब्दका प्रयोग किया जा सकता है। चूँकि यह विषय थोड़ा अुलझन भरा और अटपटा है, यहाँ अिसका विस्तृत विवेचन करना ठीक नहीं मालूम होता। लेकिन आजकल हमारे यहाँ जातियों-अुपजातियों और अुनकी शाखा-प्रशाखाओं तथा 'अमुक कुलों और कुटुम्बोंमें ही शादी करनेका जो रिवाज प्रचलित है, अुसका विचार करनेकी आवश्यकता है।

यह चीज अिस हद तक बढ़ गयी है कि विवाहके लिअे चुनावका कोअी क्षेत्र ही नहीं रह जाता। अुपजातियोंके विषयमें श्री० काकासाहब कालेलकरका मत यह है कि अुनमें होनेवाले विवाह सम्बन्ध निषिद्ध माने जाने चाहिअें! अर्थात् हरअेक विवाहेच्छुक व्यक्तिको अुपजातियोंके बाहरका ही कोअी साथी अपने लिअे पसन्द करना चाहिअे। बापूजी (गांधीजी) भी कहते हैं कि जातियाँ मनुष्यकृत हैं, और वे नष्ट होनेवाली हैं। दिन-ब-दिन अुनकी ताकत घटती ही जाती है। ब्याह-शादीके बारेमें अुनका कथन यह है कि 'भोजन और विवाह सम्बन्धी नियमोंका जाति या वर्णके साथ कोअी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।'

अिसलिअे आजकलके अिन बेमानी बन्धनोंको नष्ट करना हो, तो युवकों और युवतियोंको जानबूझकर अपने साथीका चुनाव अपनी जातिको छोड़ किसी दूसरी जातिमेंसे करना चाहिअे।

कुछ माता पिता और कुछ युवतियाँ धन देखकर आकर्षित होती हैं। यह तो निरी हीनता है। धनकी प्रतिष्ठा पतित समाजमें ही बढ़ती है। अच्छे और सुधरे हुअे समाजोंमें तो धनकी अपेक्षा नीतिमान, सच्चरित्र और पुरुषार्थी मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। ज्यादातर धनवान तो गरीबोंका शोषण करके और अुन्हें सताकर ही धनपति बने होते हैं। अिसलिअे किसी भी तेजस्विनी और स्वाभिमानप्रिय युवतीको वरके चुनावमें मात्र धनको प्रमुखता न देनी चाहिअे।

सुयोग्य पतिके वरणकी अिस चर्चाके सिलसिलेमें हम अुन कुछ विवाह-सम्बन्धोंका भी विचार कर लें, जो निषिद्ध या न करने लायक माने गये हैं। भाअी-बहनका ब्याह तो अब सारी दुनियामें निन्दनीय माना जाता है। जिसमें रंचमात्र भी मनुष्यता मौजूद है, वह अैसे सम्बन्धका स्वप्नमें भी विचार नहीं कर सकता। लेकिन सगे भाअी बहनोंके ब्याहको छोड़कर अीसाअी, मुसलमान और पारसी समाजमें चाचा-ताअूके और मामा-फूफाके लड़के लड़की आपसमें ब्याह कर सकते हैं। हमारे समाजमें अैसे निकटके सम्बन्ध निषिद्ध माने गये हैं। जिन समाजोंमें ये सम्बन्ध निषिद्ध नहीं हैं, अुनमें भी समझदार लोग अब अिस तरहके नजदीकी रिश्तोंको बुरा मानने लगे हैं। बहुतेरे मनोवैज्ञानिकोंका यह विश्वास है कि जहाँ जरा भी रिश्ता न हो, और खूनका सम्बन्ध जितना ही दूरका हो, प्रकृतिके नियमकी दृष्टिसे वहाँ विवाहका आकर्षण अुतना ही प्रबल होता है। मनुके समान स्मृतिकारों और चरकके समान वैद्योंने सगोत्र विवाह निषिद्ध माने हैं। आजकलके डॉक्टरोंका भी यह मत है कि पासके रिश्तेमें शादी करनेवाले लोगोंके शरीर पर अुसका बुरा असर पड़ता है, और अैसे सम्बन्धोंसे अुत्पन्न होनेवाली सन्तान भी निचली श्रेणीकी होती है। मनोवैज्ञानिकोंके विवाहके लिअे प्राकृतिक आकर्षणका जो नियम निकटके सम्बन्धोंके लिअे सूचित किया है, वही नियम अुन लड़कों और लड़कियों पर भी लागू होता है, जो आपसमें रिश्तेदार न होते हुअे भी बचपनसे अेक दूसरेके निकट सहवासमें रहते और भाअी बहनकी तरह जीवन बिताते हैं। ब्याहके लिअे जो आकर्षण आवश्यक है, वह स्वभावतः बहुत ही निकटके सहवासमें रहनेवाले युवक युवतियोंके बीच कम होता है। कुछ लोगोंका यह खयाल है कि जो लड़के और लड़की बचपनसे ही अेक साथ पलपुसकर बड़े होते हैं, अुनमें पारस्परिक परिचय बहुत ज्यादा होनेके कारण प्रेम अुत्पन्न होनेकी अधिक सम्भावना रहती है, अिसलिअे बड़े होने पर अुनके पारस्परिक ब्याह-सम्बन्ध अधिक सुखी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञानकी दृष्टिसे यह विचार दोषपूर्ण है। बचपनसे अेक साथ पले हुअे बालकोंमें प्रेमकी सम्भावना रहती अवश्य है, लेकिन वह प्रेम भाअी-बहनका-सा प्रेम होता है। लेकिन अपने ही अेक अुदाहरण द्वारा

अिसको अधिक स्पष्ट करूँगा। कोअी पंद्रह साल पहले अेक दिन हम गांधीजीके साथ विवाहके सम्बन्धमें जाति और वर्णके विधि-निषेधोंकी चर्चा कर रहे थे। काकासाहबने कहा: "अुदाहरणके लिअे महादेव और नरहरिके बालक (यद्यपि अुन दिनों दोनोंमें किसीके सन्तान न थी) अेक दूसरेसे विवाह करें, तो ब्राह्मण बनियेका भेद होते हुअे भी अुनके संस्कार, जीवनके आदर्श और रहन-सहनका प्रकार समान होनेसे वैसे विवाह सिर्फ जातिभेदके कारण आपत्तिजनक न माने जाने चाहिये।" गांधीजीने काकासाहबसे कहा कि अुनके मनमें अैसा विचार ही न अुत्पन्न होना चाहिये था। महादेव और नरहरि यों सगे भाअी चाहे न हों, लेकिन अुनका सम्बन्ध तो सगे भाअीके समान या अुससे भी अधिक है। अिसलिअे अुनके बालकोंमें परस्पर भाअीचारे या बहनापेके सिवा और कोअी खयाल नहीं हो सकता। अुनके मनमें अेक दूसरेसे शादी करनेका विचार आ ही नहीं सकता। काकासाहबको यह दृष्टि मान्य थी ही।

वैसे, बालकोंके मनको निर्मल बनाये रखनेके लिअे भी अिस नियमकी आवश्यकता है। अेक साथ पलने, अेक साथ खेलने कूदने और अेक साथ पढ़नेवाले लड़कों और लड़कियोंमें परस्पर भाअी बहनका सम्बन्ध हो, और वे यह जानते हों कि अुनमें अेक दूसरेके साथ कभी विवाह हो ही नहीं सकता, तो सहज ही अुनके दिल निर्मल, निर्विकार और निर्दोष रहने लगते हैं। अगर अिस प्रकारकी कोअी मर्यादा न रहे, तो सम्भव है कि छोटे छोटे बालक भी अेक दूसरेको अपने भावी पति पत्नीकी दृष्टिसे देखने लगें, और यों अुनके मनमें विकारी वासनाओंका जन्म होने लगे। हमारे समाजमें अेक गोत्रके अन्दर विवाह न करने, और अगर गाँव छोटा है तो अेक ही गाँवमें शादी न करनेका जो रिवाज है, मालूम होता है कि अुसके मूलमें मनोविज्ञानके सिद्धान्तके अुपरान्त विकारोंको मौका न देनेकी यह दृष्टि भी रही है।

आजकल हमारी शिक्षण संस्थाओंमें लड़के लड़की अेक साथ पढ़ते हैं। सहशिक्षाकी यह प्रथा बहुत अच्छी है। अगर सहशिक्षावाली ये संस्थायें संगठित हों, और अिनमें पढ़नेवाले विद्यार्थी और विद्यार्थिनियोंके

बीच पारिवारिक भावनाका विस्तार हुआ हो, तो अैसी संस्थाओंके युवकों और युवतियोंके बीच वैवाहिक सम्बन्ध निषिद्ध माने जाने चाहिअें। हाँ, आजकलके बड़े-बड़े सरकारी या गैरसरकारी कॉलेजोंमें (जहाँ पारिवारिक वातावरण नामकी कोअी चीज नहीं होती) पढ़नेवाले युवक युवतियोंका अपनी पढ़ाअी समाप्त करके परस्पर विवाह करना अनुचित नहीं मालूम होता। लेकिन हमारे आश्रम या विद्यापीठ-जैसी संस्थाओंमें, जहाँ पारिवारिक भावना होती है, अिस तरहका निषेध आवश्यक है। यदि अैसा निषेध न हुआ, तो संभव है कि बालकोंके मन पर अुसका बुरा असर पड़े। साथ ही संस्थाके वातावरणको शुद्ध और पवित्र रखनेके लिअे भी ये नियम आवश्यक हैं।

आजकल कुछ अन्तर्प्रान्तीय और विधर्मी विवाह भी होते हैं, लेकिन ये कम और अपवादरूप ही हैं। अन्तर्प्रान्तीय विवाहोंमें भाषाकी कठिनाअी पेश आती है। अगर ब्याह बंगाली और पंजाबीके बीच या गुजराती और मद्रासीके बीच हुआ हो, तो बालककी अपनी भाषा क्या मानी जाय? वह माताकी भाषाको अपनी भाषा कहे या पिताकी भाषाको? अंग्रेजी 'मदरटङ्ग'का हिन्दी अनुवाद मातृभाषा किया जाता है, अुसको प्रमाण मानने पर बालक माँकी भाषाको स्वभाषाके रूपमें अपना सकता है। लेकिन अुसे रहना तो पिताके प्रान्तमें पड़ता है। यदि दोनों भाषायें अेक ही परिवारकी हुअीं, तो कठिनाअी कुछ कम हो जाती है। लेकिन जब बालकको तामिल और गुजराती-जैसी भिन्न परिवारकी भाषायें सीखनी पड़ती हैं, तब अुसकी कठिनाअी बढ़ जाती है, और मुझे तो डर लगता है कि वह दोमेंसे किसी भी अेक भाषा पर पूरा प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता। विधर्मी विवाहमें धर्मकी समस्या अुत्पन्न होती है। बालकका धर्म क्या हो? पिताका या माताका? यदि दोनों अपने अपने धर्ममें कट्टर हों, तो अुनका जीवन भी क्लेशमय हो सकता है। आम तौर पर जिन्हें धर्मका कोअी खास आग्रह नहीं होता, वे ही अैसे विधर्मी विवाह करते हैं। कभी कभी स्त्री या पुरुष विवाहके समय अपना धर्मपरिवर्तन कर लिया करते हैं। जो धर्मपरिवर्तन वास्तविक विचारपरिवर्तनके कारण होता है, वह तो अिष्ट है; लेकिन केवल ब्याहके

लिअे किया जानेवाला धर्मपरिवर्तन वास्तवमें धर्मका द्रोह है। अिसलिअे आम तौर पर अैसे विधर्मी विवाह अनिष्ट ही होते हैं। अैसे विवाहोंसे अुत्पन्न होनेवाली प्रजा धर्मकी बाबतमें या तो अुदासीन होती है, या धर्मान्ध निकलती है। फिर भी, सभी मिश्र विवाहोंको हानिकारक मानना भी ठीक नहीं। जब दोनों पक्ष अेक-सी कोटिके संस्कारशील होते हैं, तब मिश्र विवाह बहुत सफल भी हो सकते हैं। लेकिन मिश्र विवाह अपवादरूप ही माने जाने चाहियें। नियमतः तो समान संस्कार और गुणवाले स्त्री पुरुषोंके विवाह ही प्रोत्साहनके पात्र माने जायँगे।[1]

यहाँ यह भी सोच लेनेकी जरूरत है कि पति-पत्नीके चुनावमें दोनोंके बीच अुम्रका अन्तर कितना होना चाहिअे। आम तौर पर लड़केकी अपेक्षा लड़कीका शारीरिक और मानसिक विकास जल्दी होता है। चौदह-पंद्रह सालके लड़केके मुकाबले चौदह-पंद्रह बरसकी लड़की शरीर और मनसे अधिक विकसित रहती है। अिसलिअे विकास-भेदके कारण जितना अन्तर आवश्यक है, अुतना तो दोनोंके बीच रहना ही चाहिअे। मनुने युवकके लिअे २५ और कन्याके लिअे १६ वर्षकी अुम्र अत्यन्त अिष्ट मानी है। लेकिन मुझे कन्याके लिअे १६ वर्षकी अुम्र बहुत छोटी मालूम होती है। मैंने अपनी चर्चामें अूपर बीस-अिक्कीस वर्षकी अुम्र सुझाअी है। अिस दृष्टिसे दोनोंके दरम्यान चार-पाँच वर्षका अन्तर अिष्ट माना जा सकता है। यानी युवती युवककी अपेक्षा चार-पाँच वर्ष छोटी रह सकती है। लेकिन आजकल स्त्री-स्वातंत्र्यके कुछ हिमायती यह भी कहते सुने जाते हैं कि पति-पत्नीमें पुरुष अुम्रमें बड़ा होनेके कारण स्त्री पर अपनी सत्ता चलाता है और फलतः स्त्रीको पराधीन रहना पड़ता है। अिसलिअे दोनोंकी अुम्र समान होनी चाहिअे। अिस तरहकी दलील करनेवाले यह क्यों नहीं कहते कि स्त्रीकी अुम्र पुरुषसे ज्यादा होनी चाहिये? अगर स्त्री अुम्रमें बड़ी रहे, तो अुनकी दलीलके अनुसार सत्ता

---

१. अिस पैरेमें दिये गये विचारोंको सुधारा और बढ़ाया गया है। अिसके लिअे 'बापूजीके आजके विचार' नामका अध्याय देखिये।

स्त्रीकी चले। लेकिन जहाँ दम्पतीके बीच पत्नीकी अुम्र सचमुच ही बड़ी होती है, वहाँ स्त्रीकी सत्ता चलती नजर नहीं आती। अुल्टे अैसे बेजोड़ विवाहोंके कारण अुनकी गृहस्थी दुःखमय ही पाअी जाती है।

हमारे समाजमें जाति-पाँतिके रूढ़िगत बंधनोंके सिवा, वरविक्रय, कन्याविक्रय, दहेज, हुण्डा, मामेरा, जातिभोज और रिश्तेदारोंको खिलाने-पिलाने और दे-लेकर सन्तुष्ट करनेके अनेक रिवाज प्रचलित हैं। अिन रूढ़ियोंके कारण प्रायः वरपक्ष या कन्यापक्षके अूपर असह्य आर्थिक बोझ आ पड़ता है। फिर, ये रूढ़ियाँ सुयोग्य चुनावके मार्गमें भी बाधक होती हैं। हरअेक युवक और युवतीको अपने विवाहके समय अिस बातका आग्रह रखना ही चाहिअे कि ब्याहके दरम्यान अिनमेंसे किसी भी रूढ़िका व्यवहार न हो सकेगा।

साथीके चुनावकी अितनी चर्चा कर चुकनेके बाद मैं फिर कहता हूँ कि आखिर विवाहकी सफलताका आधार पति-पत्नीके पारस्परिक सद्भाव पर ही है। और अिस सद्भावका आधार अेक दूसरेके स्वभावको समझने तथा सहनेके अुनके निश्चय पर और दोनोंके विवेकयुक्त व्यवहार पर है। अिसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री या पुरुषका अपना कोअी स्वतंत्र व्यक्तित्व न होना चाहिअे। स्वतंत्र व्यक्तित्वका मतलब यह है कि यदि किन्हीं खास बातोंमें वे अेक दूसरेसे भिन्न विचार या स्वभाव रखें, तो रख सकते हैं; पति और पत्नी दोनों अपने अपने विचार और स्वभाव पर अवश्य कायम रह सकते हैं। किन्तु अिस प्रकारकी दृढ़ताके रहते हुअे भी लोगोंमें अेक दूसरेको निबाह लेनेकी जबर्दस्त शक्ति पड़ी हुअी है। यदि अिसी चीज़को अनुभवजन्य सूत्रके रूपमें कहना हो तो कहा जा सकता है कि : 'अेक-दूसरेके विचारों और स्वभावोंमें सामंजस्य स्थापित करने, और जहाँ सामंजस्य स्थापित न हो सके, वहाँ अेक दूसरेको निबाह लेनेके निश्चयका नाम ही विवाहकी योग्यता है'। जिसमें अिस प्रकारका निश्चय न हो, वह चाहे तो विवाह न करे, लेकिन विवाह करनेके बाद जरा जरासी अनबन या विरोधसे भड़ककर तलाक देने या आत्महत्या कर डालने पर अुतारू हो जाना अथवा हताश और दिङ्मूढ बन जाना

अुचित नहीं। विवाहके बाद तो अपने गृहस्थाश्रमको अुज्ज्वल बनानेका अेकमात्र सच्चा मार्ग यही है कि पति पत्नी दोनों अपने सम्बन्धको अविच्छेद्य मानें, दोनों निष्ठापूर्वक अेक दूसरेसे जुड़े रहें, धैर्यके साथ परस्पर सहयोग बढ़ानेका प्रयोग करें, और अेक दूसरेके स्वभावकी भिन्नताको समझकर अुसके अन्तरको मिटाने या अुसे निबाह लेनेका प्रयत्न करें।

गांधीजी और कस्तूरबाका अुदाहरण हमारे सामने है। बाके दिलमें गांधीजीके लिअे अनन्य श्रद्धा और भक्ति है। हमारे यहाँ धार्मिक वृत्तिवाले लोगोंमें व्रत अुपवास आदिके विषयमें जो दृढ़ता पाअी जाती है, वह बामें सम्पूर्णतया मौजूद है। लेकिन गांधीजीने मानवजीवनके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखनेवाली जो विविध प्रवृत्तियाँ शुरू की हैं, अुन सबके हेतु और विस्तारको बा बेचारी कहाँ भलीभाँति समझ पाती हैं! फिर भी गांधीजीकी हरअेक हलचलमें वे अच्छा सहयोग दे रही हैं। और, गांधीजीने अपना जो अेक विशाल कुटुम्ब निर्माण किया है, अुस कुटुम्बके प्रति बा जिस प्रकारकी वत्सलता प्रकट करती हैं, और गांधीजीके स्थानपर अतिथियोंका जो ताँता लगा रहता है, अुन अतिथियोंका जिस प्रेमके साथ वे स्वागत सत्कार करती हैं, वह सब तो अेक अद्भुत वस्तु है। अिस स्थिति तक पहुँचनेके लिअे गांधीजीने और कस्तूरबाने अेक दूसरेके स्वभाव, अेक दूसरेकी आदतों, और अेक दूसरेकी रुचि अरुचिको किस हद तक बर्दाश्त किया है, अिसका कुछ वर्णन गांधीजीने अपनी आत्मकथामें किया ही है। फिर भी अपने गृहस्थाश्रमको अिस अूँची हद तक पहुँचानेके लिअे अिन दोनोंने जो तपस्या और साधना की है, अुसका सही खयाल तो तभी आ सकता है, जब गांधीजी और बाके मुँहसे हम अुनके जीवनकी घटनाओंका वर्णन सुनें। गांधीजी और कस्तूरबाके अिस भव्य अुदाहरणके साथ यदि मैं अपने साधारण जीवनकी चर्चा करूँ, तो वह फबेगा नहीं। लेकिन अिस विचारसे कि तुम्हें अुसमें स्वभावतः कुछ दिलचस्पी हो सकती है, मैं यहाँ अुसका अुल्लेख करता हूँ। जब मैं चार सालका और मणि (तुम्हारी माँ) छह महीनेकी थी, हमारी सगाअी हो चुकी थी और जब मैं सोलहका और मणि साढ़े बारहकी हुअी, तो हमारी शादी हो चुकी थी। कोअी तीन साल

बाद हमारी गृहस्थी शुरू हुअी। मैं बहुत ही अूधमी, जिद्दी और रूठने रिसानेवाला था। लेकिन मणि चतुर और सयानी थी। अिसलिअे अगर मैं यह कहूँ कि अुसने मेरे अनेकानेक त्रासोंको सहकर भी मुझे निबाहा और सुधारा, तो वह झूठ न होगा। अिसके साथ ही मैंने अपने जीवनमें जो परिवर्तन किये और जिन हलचलोंमें हाथ बँटाया, अुनमें भी अुसने प्रसन्नतापूर्वक मेरा साथ दिया और मुझे मदद पहुँचाअी है। विवाहसे पहले हममेंसे किसीने किसीको पसंद नहीं किया था, फिर भी चूँकि हमने परस्पर सुमेल साधनेका यत्न किया और अेक दूसरे पर निष्ठा रक्खी, अिसलिअे हमारी गृहस्थी अच्छी चली।

अिसका मतलब यह नहीं कि मैं तलाकके कानूनका विरोधी हूँ। तलाकका कानून तो बनना ही चाहिअे। किसीको भी जबर्दस्ती किसीके साथ बाँध रखनेमें न व्यक्तिका हित है, न समाजका। लेकिन कानूनके रहते हुअे भी जिस समाजमें अुसका कमसे कम आश्रय लिया जाता है, वही समाज स्वस्थ और अधिक सुधरा हुआ माना जाता है। पारस्परिक सहयोगकी और अेक दूसरेको निबाह लेनेकी जो सामाजिक वृत्ति प्रत्येक प्राणीमें पाअी जाती है, वह जब किसी विकृतिके कारण नष्ट हो जाती या निर्बल पड़ जाती है, तभी तलाककी संख्या बहुत बढ़ने लगती है।

अिनके सिवा भी हमारे समाजमें बहुतसे परिवर्तन और सुधार करनेकी जरूरत है। यह कहना बहुत कठिन है कि आज हमारे हिन्दू समाजका दाम्पत्यजीवन अच्छा है। फिर भी दाम्पत्यजीवनका जो आदर्श हमारे शिष्ट साहित्यमें प्रस्तुत किया गया है, और जो हमारी संस्कृतिमें मौजूद है, वह हमारी अच्छीसे अच्छी विरासत है। अपनी अिस विरासत या अुत्तराधिकारकी रक्षा करते हुअे जो परिवर्तन हमें अुचित जँचें, करने चाहिअें। हमारे सामने आदर्श तो यह है कि पति पत्नी दोनों जीवनमें समरस होनेकी अखण्ड साधना करें; दोनों अपने जीवनोद्देश्यको अेक बनानेका प्रयत्न करें। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्ने अपनी 'हिन्दू जीवन दर्शन' नामकी पुस्तकमें बहुत अच्छी तरहसे यह बताया है कि विवाह-प्रथाके बारेमें हिन्दू आदर्श क्या है। वे लिखते हैं:

"विवाह प्रथाके अपने और सामाजिक दोनों स्वरूपोंको हिन्दू आदर्श महत्त्व देता है। न पुरुष मालिक है, न स्त्री दासी; लेकिन दोनों अेक अूँचे आदर्शकी सेवाके फर्जसे बँधे हुअे हैं और अुन्हें अपनी वैयक्तिक वृत्तियोंको अिस आदर्शके सामने गौण समझना है। विषयवासनाको अूँचा अुठाकर, शुद्ध करके अुसे आत्मविलोपनमय भक्तिमें बदल देना है। हिन्दू दम्पतीको अेक दूसरेका प्रेम विवाहके शुरूमें ही सिद्ध किया हुआ नहीं मिल जाता। अुन्हें यह प्रेमयोग तो जीवनभरकी साधनाके जरिये प्राप्त करना रहता है। अभिरुचि और स्वभाव, आदर्श और आस्वाद अिन सब बातोंमें अेक दूसरेसे अभिन्नतावाले स्त्री-पुरुषके जोड़े अुपन्यासोंके पृष्ठोंके सिवा और कहीं देखनेको नहीं मिलते। दोके बीचमें अैसे कुछ भेद तो हमेशा होते ही हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। अिन भेदोंके जरिये जीवनमें सुरीलापन, अेक लय पैदा करना ही विवाह पद्धतिका काम है। दोनोंको मनकी अलग अलग वृत्तियों और वासनाओंमेंसे प्रयत्नपूर्वक हृदयकी अेकता साधना है। अपने जीवन साथियोंके सम्बन्धमें कुछ पसन्दगीका तत्त्व तो जरूर होता है, पर अच्छेसे अच्छे विवाहमें भी संयोगकी मात्रा ही अधिक होती है। संयोगसे मिले साथीको जीवनसंगी बना सके, वही विवाह सफल कहा जा सकता है। विवाह कोअी मंथन या पुरुषार्थकी समाप्ति नहीं है, बल्कि यहाँसे तो कठिन जीवनके परिश्रमकी शुरूआत होती है। अिस जीवनमें हम अपने व्यक्तिगत हकों और वृत्तियोंको गौण बनाकर विशाल आदर्शकी सिद्धिके लिअे प्रयत्न करते हैं। चाहे जैसे जुदे-जुदे स्वभावके आदमियोंको भी अेक आदर्शकी साधना अेक जगह रख सकती है। प्रेम अुनका बलिदान तो माँगता ही है। संयम और सहनशीलतासे हम प्रेमको और अधिक अूँचा चढ़ाकर परब्रह्म रूप बना सकते हैं।"

(पृ. ८४-८५, हिन्दू जीवनदर्शन)

अुपसंहार

अपने पिछले पत्रोंमें मैं तुमसे आजीवन अविवाहित रहनेवालोंकी कुछ चर्चा कर चुका हूँ। अिस सम्बन्धमें अेक जगह स्वामी विवेकानन्दका अेक अवतरण भी दे चुका हूँ, जिसमें अुन्होंने देशके लिअे कौमारव्रतधारी युवकों और युवतियोंकी आवश्यकता पर जोर दिया है। गांधीजी भी कहते हैं कि देशके अिस विषम कालमें सन्तान अुत्पन्न करना गुलामोंकी तादाद बढ़ानेके समान है। हमारी बुद्धि अिन बातोंकी सचाअीका भलीभाँति अनुभव करती है। लेकिन जो जो कुछ बुद्धिको सच मालूम होता है, अुस सबको मनुष्य आचरणमें नहीं ला पाता। प्रकृतिने सृष्टिके क्रमको बनाये रखनेके लिअे प्राणी मात्रमें अेक जबर्दस्त विकार अुत्पन्न कर रक्खा है, जिसके वेगके सामने प्रायः बुद्धिकी दलीलें भी निकम्मी हो जाती हैं। अिन विकारोंका दृढ़ विरोध तो तभी किया जा सकता है, जब बचपनसे हमारे अन्दर पवित्रता और संयमके संस्कारोंका सिंचन हुआ हो, और अिन संस्कारोंके फलस्वरूप जिस प्रकारका आचरण हमारे लिअे स्वाभाविक बन गया हो, अुसके विरुद्ध आचरण करना हमें अच्छा ही न लगे। सारांश यह कि यदि हम अिस आवेगको अपने वशमें न रख सकें, तो विवाहका विचार करनेमें कोअी बुराअी नहीं।

टॉल्स्टॉय लिखते हैं: 'विषयवासनासे जूझना अतिशय कठिन है। . . . अिस युद्धमें मनुष्यको अेक क्षणकी भी गफलत न करके शत्रुको पराजित करनेवाले सभी साधनोंका सावधानीके साथ अुपयोग करना पड़ता है। शरीर या मनको चंचल या विक्षिप्त बनानेवाली सभी चीजोंसे दूर रहना पड़ता है। निरन्तर किसी न किसी काममें बझे रहना होता है। यह अेक मार्ग है। दूसरा मार्ग यह है कि यदि विषयवासनासे जूझते हुअे तुम अपने अिस शत्रुको पराजित न कर सको, तो विवाह कर लो। अर्थात् अपने लिअे अैसे किसी साथीको पसन्द कर लो, जो तुम्हारे साथ पति या पत्नीके रूपमें रहनेको राजी हो, और अुसके साथ रहकर भी जीवनमें ब्रह्मचर्यको सिद्ध करनेके अुद्देश्यको अपने सामने बनाये रहो। जितनी जल्दी वह सिद्ध होगा, अुतना ही अच्छा है।'

अिस अुपदेशमें हमारे लिअे विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि विवाहके बाद भी मनुष्यको अपने विकारोंपर प्रभुत्व पानेका यत्न करते रहना चाहिअे। मनुष्य अविवाहित रहे या विवाहित, बिना संयमके वह जी नहीं सकता।

आहार और निद्राकी शारीरिक आवश्यकताके साथ कुछ लोग कामवासनाको भी अुसी श्रेणीमें रखते हैं। लेकिन अिन दोमें बड़ा भेद है। आहार और निद्राके बिना तो मनुष्य शरीर टिक नहीं सकता — मनुष्य सदाके लिअे अिनका त्याग नहीं कर सकता। शरीरको स्वस्थ और सुदृढ़ बनाये रखनेके लिअे अुचित मात्रामें अिनका सेवन आवश्यक ही है। किन्तु काम अैसी वस्तु नहीं है। अुसका आवेग बलवान अवश्य होता है, लेकिन अिसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य अुसके बिना जी ही नहीं सकता। अुलटे, अिस आवेगको ज्ञानपूर्वक वशमें रखनेसे शरीर और मनकी शक्तियोंका प्रचुर विकास होता है। मनुष्य चाहे तो वह अिसे सदाके लिअे छोड़ भी सकता है। अतअेव प्रत्येक मनुष्यको अपने सामने आदर्श तो संयमका ही रखना चाहिअे। कामविकार विवाहका प्रेरक कारण हो सकता है, तथापि वैवाहिक जीवनमें भी मनुष्यका ध्येय तो अिस विकारका नियमन और शमन ही होना चाहिअे।

जैसा कि टॉल्स्टॉयने कहा है, अिसका अच्छेसे अच्छा अुपाय यही है कि मनुष्य रात और दिन किसी न किसी काममें लगा रहे। गांधीजी भी कहते हैं कि 'काम' का अिलाज काम ही है। जीवनकी सफलता अिसीमें है कि मनुष्य अपना कोअी शुभ ध्येय निश्चित कर ले और अुसकी सिद्धिके लिअे अपनी पूरी शक्तियोंके साथ निरन्तर खपता रहे।

महादेवकाकाके दो शब्द

१

जिन दिनों मैं बेलगाँव जेलमें था, नरहरिभाअीने अिस पुस्तककी अेक प्रति मेरे पास भेजी थी। मुझे पुस्तक पढ़कर सन्तोष हुआ था। लेकिन साथ ही मनमें यह विचार भी आया था कि अगर नरहरिभाअीने बहन वनमालाके और अपनी दूसरी पुत्री तुल्य कन्याओंके सामने विविध आदर्शोंकी चर्चा दृष्टान्तोंके साथ रक्खी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने नरहरिभाअीपर अपना यह विचार प्रकट भी किया। अुन्होंने मुझसे कहा: 'अिस सम्बन्धका अेक अध्याय आप ही क्यों न लिख दें?' मैंने प्रसन्नतापूर्वक लिखना स्वीकार तो किया, लेकिन अब लिखते समय सोचता हूँ कि जिन्होंने विकारोंका शमन करके अपनी शक्तियोंका विनियोग सेवाकार्यमें किया है, अुनका सन्देश बहुत अुपयोगी हो सकता है।

लेकिन अब अिसके अभावमें मैं ही अैसे कुछ लोगोंकी चर्चा यहाँ करूँगा। काम-विकार सबसे प्रबल और अजेय विकार चाहे हो, लेकिन जिसने अिस पर प्रभुत्व पाया है, अुसने संसारकी अधिकसे अधिक सेवा की है। सच पूछो तो दुनियामें त्याग नामकी कोअी चीज ही नहीं है। जो आदमी सोच-समझकर किसी चीज या किसी शौकका त्याग करता है, वह अुससे बेहतर किसी चीजको अपनानेके लिअे ही वैसा करता है। पहली वस्तु या शौकसे अुसे अरुचि या विरक्ति अुत्पन्न होती है, जब कि अुससे बेहतर मालूम होनेवाली चीज या शौकके लिअे मनमें अनुरक्ति अुत्पन्न होती है। 'त्याग न टके रे वैराग्य विना' अिस महासत्यका भी यही रहस्य है। क्षुद्र वस्तुओं, हलके शौकों और तुच्छ आवेगोंका त्याग करके अुनके स्थान पर महान् वस्तुओं, अुच्च अभिरुचियों और आवेगोंकी स्थापना करना शिक्षाका कर्तव्य है। अथवा यों कहिये कि यही सच्ची शिक्षा है। ढेरों किताबी ज्ञानका अुपार्जन करके भी जो अिस प्रकार शुद्ध

नहीं बने, शिक्षाके संस्कारोंने जिन्हें कुन्दन नहीं बनाया, अुनकी शिक्षा व्यर्थ है। अतअेव काम-विकार कुछ देरके लिअे कितना ही 'प्रेय' क्यों न प्रतीत हो, तो भी अुसकी अपेक्षा दूसरी बहुतेरी 'श्रेय' वस्तुयें हैं। अिस सचाअीको हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, अुतनी ही यह हमारे लिअे हितकर होगी। अिस हीन विकारका शमन करके दूसरे अुन्नत भावोंको जाग्रत करनेकी क्रियाको अंग्रेजीमें Sublimation कहते हैं। हम अिसे आत्मशुद्धिकी, सुसंस्कृत या कुन्दन बननेकी क्रिया कहेंगे।

पश्चिमी देशोंके विषयमें हमारे मनमें अनेक झूठे ख्याल भरे रहते हैं। अुनमें अेक यह भी है कि वहाँ स्वेच्छाचार बहुत है, और हमारे यहाँ संयम है। पश्चिममें नीति नामकी कोअी वस्तु नहीं, जब कि हम नीतिके टेकेदार हैं! यह भ्रम है। पश्चिममें संयमी जीवनके अनेक अनुपम दृष्टान्त मिलते हैं। कहीं कहीं स्वतंत्रताका परिपाक स्वच्छन्दतामें चाहे होता हो, लेकिन पश्चिममें अिस प्रकार कुन्दन बननेकी साधना करनेवाले अनेक स्त्री पुरुष पाये जाते हैं। महान् आदर्शके लिअे प्रतिज्ञापूर्वक आजीवन कुँवारे रहनेवाले तो वहाँ हैं ही; किन्तु छोटे छोटे आदर्शोंके लिअे अविवाहित रहनेवाले भी कम नहीं हैं। यहाँ मैंने 'कुँवारे' और 'अविवाहित' शब्दोंका अुपयोग किया है, 'ब्रह्मचारी' शब्दका नहीं। कारण अिसका यह है कि शुद्ध ब्रह्मचर्यका जो आदर्श हमारे सामने है, वह शायद अिन सब कुँवारोंके सामने न रहता हो। यानी अुसको ध्यानमें रखकर ये कुँवारे न रहते हों। लेकिन जो जीवनमें अुच्च आदर्शको अपनाते हैं, वे तो ब्रह्मचर्यपूर्वक ही वैसा कर सकते हैं। कार्डिनल न्यूमैनने छोटी अुम्रमें ही यह अनुभव किया कि शुद्ध धार्मिक जीवन बितानेके लिअे ब्रह्मचर्य ही अेक मात्र अुपाय है। अतअेव अुसने अखण्ड ब्रह्मचारी जीवन बिताया। कॅथोलिक सम्प्रदायकी अनेक बहनें सेवाकी दीक्षा लेते समय शुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञाके साथ ही दीक्षित होती हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि अुनमें कोअी पदभ्रष्ट होती ही नहीं, अनेक होती होंगी। लेकिन कहनेका तात्पर्य तो यह है कि जो सफलतापूर्वक शुद्ध जीवन बिताते हैं, अुनका त्याग वैराग्य पर आश्रित होता है। प्राचीन अुदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं। भगिनी थेरिसाने

अनेक चेतावनियोंके बावजूद भी अपना जीवन निवेदित किया और भरी जवानीमें साक्षात्कार करके चल बसी। यह तो अभी कलकी बात है। फ्लॉरेन्स नाअिटिंगेलने 'नर्सिंग' (शुश्रूषा) के व्यवसायको अुत्तम कोटि तक पहुँचा दिया, और अुसके लिअे अुसने अपना सारा जीवन फकीरीमें बिताया। वह ९० वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवित रही। आज हमारे बीच मीराबहन (मिस स्लेड्) मौजूद हैं। विचारपूर्वक वासनाओंका परित्याग करके ही वह आज कुन्दन बन सकी हैं। अुन्होंने जीवनमें क्षुद्र अभिलाषाओंके स्थानपर सेवाकी महान दीक्षा और अुच्च अभिलाषाओंको स्थापित किया है, और यही वजह है कि वह आज अितनी अूँची अुठ सकी हैं।

लेकिन यह तो महान् आदर्शोंकी बात हुअी। मैं अैसी अनेक बहनोंको जानता हूँ, जो अपने पिता, भाअी या माताकी सेवाके लिअे अविवाहित रही हैं। टॉल्स्टॉयकी अेक लड़की टॉल्स्टॉयकी सेवाके लिअे ही आग्रहपूर्वक कुमारी रही। टॉल्स्टॉयके बहुत कहने और समझाने तथा ब्याहके अनेक सँदेशोंके आने पर भी अुसने विवाहका विचार तक न किया। अन्तमें पिताकी मृत्युके बाद कोअी ४६ वर्षकी अुम्रमें अुसने विवाह किया। अिंग्लैण्डमें अनेक लड़कियाँ अपने मातापिताकी सेवाके लिअे अविवाहित और ब्रह्मचारी जीवन बिताती हैं। मैं अैसी कअी बहनोंको जानता हूँ। रोमे रोलाँकी बहन मैडलीन रोलाँ अपने भाअीकी सेवाके लिअे ही ब्रह्मचारिणी रही हैं। भाअीने तो अिधर ब्याह भी कर लिया है, लेकिन अुनके लिअे अब ब्याहका कोअी प्रश्न नहीं रहा। कवि वर्ड्सवर्थ और दूसरे अेक दो कवियोंकी बहनोंने अपने महान् भाअियोंकी सेवाके लिअे ही ब्रह्मचारिणी रहनेका निश्चय किया था।

अैसे अुदाहरण हमें अपने यहाँ क्यों नहीं मिलते? हमारे देशमें अनेक विधवायें मात्र सेवापरायण और निवेदित जीवन बितानेवाली पाअी जाती हैं। मेरे अपने निकटके सम्बन्धियोंमें तीन बाल-विधवायें अैसी हैं, जिनका प्रातःस्मरण करना पुण्यस्मरण करनेके समान है। तीनोंकी अुम्र आज करीब साठ साठ सालकी है, तीनोंने निष्कलंक जीवन बिताया है। अिन तीनोंके सामने यदि किसीने विवाहकी चर्चा तक चलाअी होती,

तो वह अुनके लिअे असह्य हो जाती। अुन्होंने अपने जीवनकी परिणति दूसरोंकी सेवामें ही समझी। अैसी अनेक शुद्ध विधवाओंके जीवन sublimated अर्थात् कुन्दन बने हुअे जीवन हैं। अगर विधवायें यह सब करती हैं, तो कुमारिकाओंके लिअे तो यह और भी शक्य होना चाहिअे। लेकिन हम तो कन्याका अविवाहित रहना ही पाप समझे बैठे हैं। सच है कि आज यह भ्रम बहुत कुछ दूर हुआ है। फिर भी पश्चिममें स्वेच्छासे संयमपूर्वक अविवाहित रहनेवाली बहनोंके जितने अुदाहरण मिलते हैं, अुतने हमें अपने यहाँ नहीं मिलते। हृदयसे यही पुकार अुठती है कि हमारे यहाँ भी अैसी अनेक निवेदितायें प्रकट हों।

२

पश्चिममें तो आजीविकाके लिअे अविवाहित रहनेवाली भी अनेक बहनें हैं। जीविकोपार्जनकी शक्ति प्राप्त करना अच्छी चीज है। केवल जीविकोपार्जनकी असमर्थताके कारण स्त्रीको विवाहके लिअे विवश होना पड़े और अपने मनको न रुचनेवाली पुरुषकी पराधीनता सहनी पड़े, यह तो अेक असह्य वस्तु है। यदि विवाहको परतन्त्रताका प्रतीक माना जाय और केवल भरण-पोषणके लिअे ही विवाह किया जाय, तो वह अिष्ट नहीं है। अुससे बेहतर तो यह है कि कन्यायें अपनी आजीविकाके लिअे कोअी भी अेक धन्धा पसन्द करके अुसे सीख लें और अुसे चलानेकी कुशलता प्राप्त कर लें।

लेकिन विवाहित जीवन कोरमकोर परतन्त्रता नहीं है। अुसे हमने परतन्त्रता युक्त बना रक्खा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। असलमें विवाहित जीवन अपूर्ण जीवनकी पूर्णता है, अथवा होना चाहिअे। अिसका कोअी यह अर्थ न करे कि अविवाहित जीवन मात्र अपूर्ण है। अुस दशामें मुझे अिस लेखका प्रथम भाग रद करना होगा। लेकिन जो विवाहित जीवन बिताना चाहते हैं,— और यह अुचित है कि अपनी मर्यादाको समझनेवाला हरअेक मनुष्य यह चाहे — अुन्हें विवाहित जीवनको पूर्णताका साधन बनाना चाहिअे। अगर लोग यह समझ लें कि विवाह स्त्री पुरुषके विकारोंका पोषक साधन नहीं, बल्कि अेक दूसरेके विकारोंको मर्यादामें

रखनेका साधन है, तो वह अेक दूसरेके आदर्शोंको सफल करनेमें सहायक होनेवाला अेक महा साधन भी बनाया जा सकता है।

पश्चिममें अिस दोहरे अुद्देश्यकी सिद्धिके विचारसे विवाह करनेवाले अनेक जोड़े पाये जाते हैं; और अुन्होंने अपने जीवनमें सुन्दर सफलता प्राप्त की है। यहाँ रॉबर्ट ब्राअुनिंग और अेलिजाबेथ ब्राअुनिंगका अुल्लेख करना शायद अनुचित न होगा। दोनों कवि थे। कवि जीवनके समान आदर्शको सन्मुख रखकर दोनों विवाह सूत्रमें बँधे थे; और यह जानते हुअे भी बँधे थे कि अेलिजाबेथ सदा बीमार रहा करती है। किन्तु चूँकि कवि-जीवन कोअी पुरुषार्थसाध्य वस्तु नहीं है, अिसलिअे सम्भव है कि यह अेक असाधारण दृष्टान्त माना जाय। लेकिन सिडनी और बीअेट्रीस वेब को लो। दोनोंका जीवन आदर्श रूपसे समर्पित या निवेदित जीवन था। दोनोंने श्रमजीवियोंके जीवनके अध्ययनको अपना जीवनकार्य बनाया, और जितनी पुस्तकें लिखीं, अेक दूसरेके सहयोगसे लिखीं। आज समाजशास्त्रका प्रत्येक विद्यार्थी अिनकी पुस्तकोंसे परिचित है। कोअी ७०–८० वर्षकी अुम्रमें ये दोनों पतिपत्नी रूस जैसे देशका नया और अद्भुत प्रयोग देखने गये और वहाँकी सामाजिक व्यवस्थाके विषयमें दो बहुमूल्य पुस्तकें लिखकर अिन्होंने अपने सफल जीवनकी पराकाष्ठा कर दी। श्री० जे० अेल० हेमण्ड और श्रीमती हेमण्डका किस्सा भी कुछ अैसा ही है। अिनकी लिखी हुअी श्रमजीवियों सम्बन्धी पुस्तकोंपर और दूसरी पुस्तकोंपर पति-पत्नी दोनोंके नाम छपे हैं। वेब दम्पतीकी पुस्तकोंके समान ही अिनकी पुस्तकोंके सम्बन्धमें भी यह कहना कठिन है कि अुनके लेखनमें दोनोंका कितना कितना हाथ था। यह तो हम तभी बता सकते हैं, जब या तो हम अिनकी आत्मकथा पढ़ें, या अिनके मुँहसे अिनके जीवनके संस्मरण सुनें। मि० ग्रीन और मिसेस ग्रीन दोनों अितिहास लेखक थे। मि० ऑस्टिन और मिसेस ऑस्टिन दोनों न्याय-शास्त्रप्रवीण थे। मि० क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनोंके जीवन विज्ञानके लिअे निवेदित; दोनोंने रेडियमका आविष्कार करके मानवजगत्की अपरम्पार सेवा की है; दोनों नोबल पुरस्कारके विजेता। अिनसे सहज निचली श्रेणीवालोंके भी मैं बहुतसे अुदाहरण दे सकता हूँ। निचली श्रेणीसे मेरा

मतलब है, कम प्रसिद्ध; अैसे जिनके जीवनकी अुच्चतामें कोअी फर्क नहीं, किन्तु जो दुनियामें ज्यादा मशहूर नहीं हो पाये। हमारे देशमें मजदूर वर्गके स्त्रीपुरुष तो बेचारे मिलकर काम करते ही हैं — हम जानते हैं कि मज़दूर और किसान स्त्री-पुरुष अेक साथ काम करते हैं, लेकिन वह केवल अुदरनिर्वाहकी दृष्टिसे होता है, किसी आदर्शकी सिद्धिके लिअे नहीं। यदि हम अिसीको आदर्शसिद्धिका साधन बना सकें, तो कितना अच्छा हो! स्कॉटलैण्डमें अेक अहिंसावादी सज्जन 'हरिजन'के पाठक हैं। स्वयं शाकाहारी हैं और शाकाहारका प्रचार करते हैं। अुन्हें पत्नी भी वैसी ही मिली है। दोनों लिख-पढ़कर और मजदूरी करके अपना प्रचार-कार्य करते हैं। हाल ही में अुनकी जो फोटू आअी है, अुसमें दोनों पति-पत्नी अेक मोटी सी लकड़ी चीरते नजर आते हैं। अिस साल अहमदाबादमें अखिल भारतवर्षीय महिला-परिषदकी सभानेत्री मिसेस कजिन्स थीं। मिसेस कजिन्स और मि० कजिन्स दोनों अेक आदर्शसे प्रेरित होकर विवाहसूत्रमें बँधे हैं, दोनों शिक्षाके शौकीन हैं, और दोनों अुस आदर्शके लिअे सेवामय जीवन बिताते हैं। यहाँ वर्धामें श्री० जमनालालजीने महिलाश्रमके लिअे श्री० आर्यनायकम् और श्रीमती आशादेवीके रूपमें अेक सुन्दर जोड़ा प्राप्त किया है। श्री० आर्यनायकम् लंकाके तामिल सज्जन हैं। यहाँ, विलायतमें और अमेरिकामें वर्षों रहकर अुन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अुनकी पत्नी हिन्दू विश्व-विद्यालयके प्रसिद्ध प्रोफेसर श्री० अधिकारीकी लड़की हैं; वह संस्कृतकी विदुषी और बनारसकी अेम० अे० हैं। दोनोंने अपने जीवनको पूर्ण बनाने और अपने शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शोंकी अुपासनाके लिअे विवाह किया है और दोनों सेवामय अेवं परम सुखी गृहजीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री० आर्यनायकम् नवभारत विद्यालयके आचार्य हैं, और श्री० आशादेवी महिलाश्रमकी अध्यापिका हैं। अिनके दो बालक हैं। पति-पत्नी दोनोंने आपसमें यह तय कर लिया है कि या तो वे दोनों अेक साथ बाहर जायँगे, और अगर अेक साथ जाना न हुआ, तो दोनों बारी बारीसे बालकोंके साथ रहेंगे। '**अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यत्**' यह युक्ति मुझे अिन दोनोंके जीवनमें चरितार्थ होती नजर आती है। चरितार्थ

तो वह अूपरके सभी दृष्टान्तोंमें होती है, पर यह तो आँखों देखा दृष्टान्त है।

३

स्त्रीपुरुषके समान अधिकारोंकी बातें आजकल बहुत सुनाअी पड़ती हैं। अूपर मैंने जो अुदाहरण दिये हैं, मैं नहीं समझता कि अुनके बीच कभी किसी दिन न्यूनाधिक अधिकारका प्रश्न खड़ा हुआ हो। क्योंकि अुनमें पत्नीको जिस वस्तुकी जरूरत थी, सो पत्नीनिष्ठ पतिने अुसे दी है, और पतिको जिसकी आवश्यकता थी, सो पतिनिष्ठ पत्नीसे अुसे मिला है, और यों दोनोंने अपने अपूर्ण जीवन पूर्ण बनाये हैं। स्त्री-पुरुष दोनोंको अेक दूसरेके जीवनको परिपूर्ण बनानेका आनंद अुठाना है। लेकिन पश्चिममें समान अधिकारकी बातें खूब हुअी हैं, और अुनकी गूँज यहाँ भी सुनाअी पड़ती है। आज पश्चिममें तो पूछा यह जाता है कि जीवनका अैसा कोअी अेक भी विभाग है. जिसमें स्त्री पुरुषके मुकाबले हलकी सिद्ध हुअी हो? और, अेक पुस्तकमें तो साहसके क्षेत्रमें स्त्रियों द्वारा किये गये पराक्रमोंकी सग्रह कथाओंका रोमांचकारी वर्णन दिया गया है। अिस पुस्तकमें अुन स्त्रियोंके वृत्तान्त दिये गये हैं, जिन्होंने चलने, दौड़ने, पहाड़ों पर चढ़ने, समुद्रके गर्भमें प्रवेश करने, आकाशमें अुड़ने, और अधिकसे अधिक वेगके साथ मोटर चलानेमें पुरुषोंको पराजित किया है। मेडम डेविड नील गुप्त वेशमें लासा (तिब्बतकी राजधानी) नगर पहुँची, दो महीने वहाँ रहीं, और अुन्होंने अपने अनुभवोंका वर्णन लिखा। अुनका यह साहस बर्टन और लॉरेन्सकी याद दिलानेवाला था। आअीसोबेल हचिन्सन नामक अेक स्कॉच युवतीने अलास्का, आअिसलेण्ड और ग्रीनलैण्डकी वनस्पतिके नमूनोंका संग्रह करनेके लिअे कठोर साहसके साथ असह्य सर्दीका सामना किया था। ग्लोरिया हेलिस्टर नामक अेक अमेरिकन युवतीने समुद्रके अन्दर हजारों फुट गहरी डुबकी मारकर अनेक वनस्पतियों और प्राणियोंके नमूने अेकत्र किये थे। अेक महिलाने अपने पतिके साथ जंगली पशुओंका शिकार करनेमें आनन्दका अनुभव किया है, तो दूसरीने बरसों पहाड़ों और जंगलोंमें भ्रमण करके भी बन्दूकका स्पर्श तक नहीं किया है। अेक घण्टेमें १२५ मीलसे भी

ज्यादाकी रफ्तारसे मोटरें चलानेवाली और पुरुष तैराकोंसे भी अधिक गतिके साथ तैरकर अिंग्लिश चैनलको पार करनेवाली स्त्रियोंके नाम मशहूर हो चुके हैं। मिस अेमी जॉनसनको आज सभी कोअी पहचानते हैं। अुसने अपने हवाअी जहाज द्वारा अकेले पहली बार ऑस्ट्रेलियाकी यात्रा की, और वह विलायतसे केप तक कमसे कम समयमें अुड़कर पहुँची। फ्रेया स्टार्क नामकी अेक अंग्रेज महिलाको किसी गंभीर दुर्घटनावश तीन साल तक बिस्तरकी शरण लेनी पड़ी। अिन तीन वर्षोंमें अुसने अरबी और फारसीका अध्ययन किया, और फिर जिन प्रदेशोंमें ये भाषायें बोली जाती हैं, अुन प्रदेशोंकी यात्रा करके अेक यात्रा-ग्रन्थ लिखा और अुस पर रिचर्ड बर्टन पदक प्राप्त किया। ये सभी शुद्ध साहसके अुदाहरण हैं। लेकिन मानवसेवाके लिअे अपने प्राणोंको संकटमें डालनेवाली बहनें अधिक स्तुतिपात्र हुअी हैं। नाअिटिंगेलको सभी कोअी जानते हैं। मिस अेन० बर्गसने ३५ वर्षों तक लूटपाट, मारकाट और अत्याचारवाले प्रदेशोंमें रहकर आर्मेनियन लोगोंकी सेवा की, अुनमें अुद्योग-धन्धोंका प्रचार करके अुन्हें प्राणवान बनाया, और प्लेगके अेवं दूसरे रोगोंसे पीड़ित रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा की। अिन सेविकाओंको छोड़ देने पर जो रह जाती हैं, अुनमें अधिकांश तो अैसी हैं, जिन्होंने अभिमानवश, यह सिद्ध करनेके लिअे कि स्त्री भी पुरुषके समान साहसके कार्य कर सकती है, अनेक साहसिक कार्य करके दिखाये हैं। हमारे देशमें राजपूत वीरांगनायें शौर्य और शीलके जो अनुपम दृष्टान्त छोड़ गअी हैं, सो पुरुषोंके साथ समान अधिकार सिद्ध करनेकी किसी भावनासे नहीं, बल्कि पवित्रताकी रक्षा करनेका जो सहज धर्म स्त्रियोंको प्राप्त है, अुसे सिद्ध करनेके विचारमात्रसे।

लेकिन यह सिद्ध करनेके लिअे कि स्त्रीको पुरुषके समान ही हक और शक्ति प्राप्त है, अूपरके अिन सब साहसिक कार्योंकी कोअी आवश्यकता नहीं है। आज हम अिन सब साहसोंकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिन माताओंने महापुरुषोंको — वीरों, भक्तों, और महात्माओंको — जन्म दिया है, अुनके बारेमें अितिहास प्रायः चुप है। अैसे पुत्रोंको जन्म देनेका साहस अूपरके सभी साहसपूर्ण कार्योंसे कहीं बढ़कर है, और अिस साहसमें पुरुष कभी स्त्रीकी बराबरी कर नहीं सकता। यह तो स्त्रीका ही विशेष

अधिकार और विशेष कर्त्तव्य है । माता बननेकी अिच्छा रखनेवाली प्रत्येक स्त्री अगर अितना भी समझ ले, तो वह मानवजातिकी बहुत बड़ी सेवा कर सकती है । अिसके लिअे न विकट साहसकी आवश्यकता है, न विशेष शिक्षाकी आवश्यकता है, और न विशेष अवसरोंकी आवश्यकता है : आवश्यकता केवल वीरता और पवित्रताकी है । गर्भाधानके बाद तुरन्त ही गर्भिणी अपने गर्भकी रक्षाके पवित्र कर्तव्यको समझ ले, तो वह अनन्त अपकार कर सकती है । गर्भकी रक्षाका अर्थ यह है कि गर्भिणी नौ महीनों तक सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे, खानपानमें सम्पूर्ण संयमसे काम ले, प्रसन्नचित्त रहे, सद्वाचन और सद्विचारमें समय बिताये, और अिस प्रकार गर्भका पोषण करके अपने पवित्र कर्तव्यका पालन करे । स्त्री और कुछ भी न कर सके, किन्तु अुसे जो असाधारण अधिकार प्राप्त है, अुसका अुपयोग करके वह अपने कर्तव्यका यथोचित पालन करे, तो पुरुष जगज्जननीकी जितनी पूजा आज करते हैं, अुससे कहीं अधिक करने लगें । जिन नररत्नोंकी माताओंके विषयमें हम कुछ भी नहीं जानते, अुनके बारेमें अितनी बात तो अलिखित होने पर भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिअे कि वे आदर्श जननियाँ थीं; अुन्होंने वीरता और पवित्रता पूर्वक अपने गर्भकी रक्षा की थी । स्त्रियोंके और सब अधिकार चाहे छीने या लूटे जा सकते हैं, लेकिन किसकी ताब है जो अुनका यह अधिकार अुनसे छीन सके । दूसरे साहस असाधारण स्त्रियोंके लिअे हो सकते हैं, साधारण स्त्रियाँ अुनकी ओर बढ़नेका या अुनमें पड़नेका विचार न करें तो कोअी हर्ज नहीं; किन्तु जो स्त्रीमात्रका सहज साहस है, और जो साधारण स्त्रीके लिअे भी सुसाध्य होना चाहिअे, अुसमें भी वे सफल हों तो बहुत है ।

तुम देखोगी कि अिस लेखके तीन हिस्सोंमें तीन अलग अलग दृष्टियोंसे लिखा गया है । आशा है, अिन तीनोंमें दी हुअी सामग्री भिन्न भिन्न रुचिको तृप्त कर सकेगी ।

४

[श्री० महादेवभाअीके अुक्त तीन पत्रोंको पढ़कर चि० वनमालाने यह टीका की कि महादेवकाकाने सभी अुदाहरण यूरोपके ही क्यों दिये

हैं? क्या हमारे देशमें अैसी स्त्रियाँ नहीं हैं? अिसके जवाबमें श्री० महादेवभाअीने जो पत्र लिखा था, अुसका आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है।]

मेरे लेखके तीन विभाग हैं। पहले विभागमें जिनके नाम दिये जा सकें, अैसी हिन्दुस्तानी बहनोंको मैं नहीं जानता। . . . के समान कुछ बहनें हैं सही, लेकिन अभीसे अुन्हें अितिहासकी वस्तु नहीं बनाया जा सकता। दूसरी जो जानी-पहचानी हैं, अुन्होंने अपनी कीर्तिको निष्कलंक नहीं रक्खा है। यूरोपके लिअे मैंने जो कुछ लिखा है, वह वहाँके लिअे बिलकुल स्वाभाविक है। यह कहनेवाली बीस-पचीस वर्षकी अनेक लड़कियाँ हमें वहाँ मिलेंगी कि I am keeping house for my father; और सिर्फ अिसी लिअे वे अविवाहित रहीं होंगी। यह चीज हमारे यहाँ व्यापक क्यों न बने? मैंने अपनी अेक बहन और दो फूफियोंकी बात तो अूपर लिखी ही है; तीनों बालविधवायें हैं, और तीनोंका चरित्र निष्कलंक रहा है। लेकिन अिस प्रकार अपने जीवनको कुटुम्ब या समाजकी सेवाके लिअे अर्पण करनेवाली कुमारिकायें हमारे यहाँ क्यों न हों? कारण अिसका यही है कि आज हमारे देशमें कुँवारे रहनेका आम रिवाज अभी नहीं पड़ा है। विलायतमें तो केवल आर्थिक परिस्थितिके कारण कुँवारी रहनेवाली और क्लर्क या टाअिपिस्टका काम करनेवाली हजारों कन्यायें पाअी जाती हैं। सच है कि वे सभी पवित्र नहीं होतीं। लेकिन अुनमें कअी बहुत बहादुर और सच्चरित्र होती हैं।

दूसरे विभागमें देने योग्य देशी अुदाहरण तो सचमुच मेरे पास हैं ही नहीं, जब कि पश्चिमके जितने मैंने दिये हैं, अुससे बहुत ज्यादा दे सकता हूँ।

तीसरे विभागमें तो Women in the Realm of Adventure नामक अेक पुस्तकका, जो मेरे पढ़नेमें आअी थी, सारांश देकर मैंने यह समझानेकी कोशिश की है कि हमें अिस प्रकारके साहस करके यह सिद्ध करनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है कि स्त्री पुरुषके समान अधिकारोंवाली या पुरुषके सदृश साहसिक कार्य करनेवाली है। पहले

दो विभागोंमें जिनका समावेश नहीं हो सकता — प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण जो वैसा जीवन नहीं बिता सकतीं — वे तीसरे या अन्तिम विभागमें तो शामिल हो ही सकती हैं। तात्पर्य यह कि जिन्हें जीवनमें बहुत अच्छे अवसर नहीं मिले हैं, जो अनपढ़ हैं, वे भी अुत्तम मातायें बन सकती हैं, बशर्ते कि अुनमें अुत्तम माता बननेकी महत्त्वाकांक्षा हो। हमें अुनके सामने यह महत्वकांक्षा (ambition) रखनी चाहिअे, और अिसके लिअे जिन शर्तोंका मैंने अुल्लेख किया है, वे शर्तें भी अुन्हें समझानी चाहिअें।

बापूजीकी सलाह

सन् १९३२में यरवदा जेलसे आश्रमकी अेक शिक्षिकाको लिखे गये पत्रका कुछ हिस्सा :

"बालकको जिन जिन बातोंके बारेमें कुतूहल पैदा हो, अुनके सम्बन्धकी जानकारी हम अुसे दे सकें, तो जरूर दें। जानकारी न हो, तो अपना अज्ञान कबूल कर लें। कोअी न कहने लायक बात हो, तो बालकोंको रोकना और अुन्हें समझाना चाहिअे कि वे दूसरोंसे भी अिसके बारेमें न पूछें। अुन्हें कभी अुड़ाअू और टालमटोल भरे जवाब न दिये जायँ। जितनी हम सोचते हैं, अुससे ज्यादा जानकारी बालकोंको अिन बातोंकी रहती है। जो कुछ वे नहीं जानते, अुसके बारेमें यदि हमने अुन्हें ज्ञान न दिया तो वे अनुचित रीतिसे अुसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तिसपर भी जो नहीं देने योग्य है, अुसे तो जोखम अुठाकर भी हम न दें। अैसा न देने योग्य कम ही होता है। यदि वे बीभत्स क्रियाका ज्ञान लेना चाहें, तो वह हम कभी न दें, फिर चाहे हमारी रोकके रहते वे अुसे गलत तरीकोंसे ही क्यों न पा लें।

"पक्षियोंमें होनेवाली क्रियाको बालक देखें और वे अुसे जानना चाहें, तो मैं जरूर अुनकी यह अिच्छा तृप्त करूँगा और अुसके द्वारा अुन्हें ब्रह्मचर्य सिखाअूँगा। पक्षी, पशु और मनुष्यके बीचका भेद समझाअूँगा। जो स्त्री-पुरुष पशु जैसा आचरण करते हैं, वे मनुष्याकृति

पानेके बाद भी अिस बारेमें पशु-पक्षी जैसे हैं। यह कोअी निन्दाकी बात नहीं, वस्तुस्थिति है। पशुतासे बचनेके लिअे हमें मनुष्यका आकार और बुद्धि मिली है।

"सयानी लड़कीको मासिक धर्मका सम्पूर्ण ज्ञान देना चाहिये। अुससे छोटी अुम्रकी लड़की यदि अिस बातको जाने और पूछे, तो अुसे भी अुतनी बात समझाअी जा सकती है जितनी वह समझ सके।

"हम कितनी ही कोशिश करें, फिर भी यह सम्भव नहीं कि लड़के और लड़कियाँ अन्त तक अिस विषयसे अनजान रह सकें। अिसलिअे अच्छा यही है कि अिसका खयाल रखकर सबको अमुक समयपर यह ज्ञान दे दिया जाय। अिस ज्ञानको पानेवालेका ब्रह्मचर्य अितना निर्बल हो कि वह अुसका पालन कर ही न सके, तो हमें अुससे कोअी वास्ता नहीं। असलमें तो अिस ज्ञानप्राप्तिके बाद ब्रह्मचर्य अधिक सबल होना चाहिये। मेरे अपने बारेमें तो यही हुआ है।

"ज्ञान देने-पानेमें बहुत भेद है। अेक अपने विकारका पोषण करनेके लिअे ज्ञान पाता है, दूसरेको वह अनायास मिलता है, तीसरा विकारोंका शमन करनेके लिअे या दूसरोंकी सहायता करनेके विचारसे वह ज्ञान प्राप्त करता है।

"यह ज्ञान देनेकी योग्यता हो, तो ही कोअी यह ज्ञान दे; और अैसे योग्य व्यक्तिको ही यह ज्ञान देना चाहिअे। तुझमें यह योग्यता होनी चाहिअे, आत्मविश्वास होना चाहिअे कि तेरे ज्ञान देनेसे लड़कियोंमें कभी विकार अुत्पन्न होगा ही नहीं। तुझे अिस बातका भान होना चाहिअे कि विकारोंकी शान्तिके लिअे तू यह ज्ञान दे रही है। अगर तुझमें विकार पैदा होनेकी सम्भावना हो, तो तुझे अिस बातका ध्यान रखना चाहिअे कि अिस विषयका ज्ञान देते समय तुझमें विकार अुत्पन्न न हों।

* * *

"पति-पत्नीके रूपमें स्त्री-पुरुषके सांसारिक जीवनकी जड़में भोग है। अुसमेंसे हिन्दू धर्मने त्याग पैदा करनेका प्रयास किया है, अथवा कहो कि सब धर्मोंने अैसा किया है। यदि पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर

है, तो पत्नी भी यह सब है ही। पत्नी दासी नहीं, समान अधिकारवाली मित्र है, सहचारिणी है। दोनों अेक दूसरेके गुरु हैं।

* * *

"लड़कीका हिस्सा लड़केके बराबर ही होना चाहिअे।

"जितना धन जो कमाते हैं, अुसके पति-पत्नी दोनों समान हकदार हैं। पति पत्नीकी मददसे कमाता है, फिर चाहे पत्नी रसोअी ही क्यों न बनाती हो। वह दासी नहीं, भागीदारिन है।

* * *

"जिस पत्नीके साथ पति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता हो, अुसे अुससे अलग रहनेका अधिकार है।

"बच्चोंपर दोनोंका समान हक है। बड़े होनेपर किसीका कुछ नहीं। पत्नी जब नालायक हो, तो अुसका हक नहीं रहता। यही पुरुषपर भी लागू होता है।

"संक्षेपमें स्त्री और पुरुषके बीच कुदरतने जो भेद रखे हैं और जो प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, अुनके सिवा और कोअी भेद मुझे मंजूर नहीं।"

बापूके आजके विचार

[आमतौर पर मैं अपनी रचनाओंको पढ़ जानेका बोझ बापूजी पर नहीं डालता। लेकिन महाबलेश्वरमें नवजीवन कार्यालयकी तरफसे अिस पुस्तककी चौथी आवृत्ति बापूजीको मिली। अुन्हें कुछ फुरसत थी, अिसलिअे वे अपनी अिच्छासे सारी पुस्तक पढ़ गये। और अपनी सूचनायें मुझे नीचे लिखे पत्रके रूपमें भेजीं।]

महाबलेश्वर, ६-५-'४८

चि० नरहरि,

तुम्हारे 'कन्याने पत्रो'* ध्यानपूर्वक पढ़ गया। सावधानी और परिश्रमपूर्वक लिखे गये हैं। पर अैसा लगता है, मानो कलम डरते डरते चली हो।

मिश्र विवाहके बारेमें तुम्हारे विचार व्यवस्थित नहीं लगे। चूँकि मेरी यह मान्यता है कि अैसे विवाह जितने हों अुतने कम हैं, अिसलिअे मैं तो अेक ही जातिके विवाहको किसी तरह स्वीकृति नहीं देता। तुम्हारे पत्रोंमें यह भी नहीं पाया कि अेक प्रान्तमें तो विजातीय विवाह बड़े पैमानेपर होने चाहिअें। प्रान्तोंको तो तुम अपवाद रूपमें स्वीकार करते हो। मैं तो अिसे अुत्तेजन दूँगा, और देना चाहिअे। सुधारवादी यानी धर्मके बारेमें अुदासीन लोगोंके अैसा करनेसे कोअी सार न निकलेगा। लेकिन तब यह होना चाहिअे कि हम जो धर्मको पहला स्थान देनेवाले हैं, वे कहाँ तक जायँ? अगर हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा बन जाय और जातपाँतको जिस रूपमें हम जानते हैं, अुसका वह रूप लुप्त हो जाय और होना भी चाहिअे, तो हमें निःशंक भावसे 'अतिशूद्र' और 'सवर्ण' के बीचके विवाहको बढ़ावा देना चाहिअे। अुस हालतमें प्रान्तका तो सवाल ही न रहेगा।

विधर्ममें भी जहाँ माता पिता समझदार हों, वहाँ कोअी हर्ज न होना चाहिअे। हम तो सब धर्मोंको समान मानते हैं न! प्रार्थनामें अन्य धर्मोंको जो स्थान दिया गया है, सो सोचविचार कर दिया गया है। बच्चे अपनी

* 'सयानी कन्यासे' का गुजराती नाम

मरजीके मुताबिक जिस धर्मका चाहें, पालन करें। हमारी कल्पनाकी जोड़ी अिस बारेमें शिक्षा भी अुदार ही देगी। मेरी दृष्टिमें यह चीज सहल ही होनी चाहिअे। कन्याको लिखे जानेवाले पत्रोंमें अैसी चीज बहुत दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रीतिसे लिखी जानी चाहिअे।

महादेवका लेख जरा घुमावदार बन गया है! वनमालाकी शंका ठीक है। हमारे यहाँ जैन साध्वियाँ क्या करती हैं? स्वामीनारायण (सम्प्रदाय)की साध्वियोंका क्या? अंग्रेजी साहित्यमेंसे बच्चोंको अितनी ज्यादा सामग्री देनेसे अपचन पैदा हो सकता है। तुलना बराबर वालोंकी होती है। हमारी सभ्यतामें पश्चिमकी अतिशयताके लिअे स्थान नहीं। बड़े होनेपर बच्चे अिसे समझें और तोलें। सुकुमार बालकोंको पहले तो अपनी सम्पत्ति अच्छी तरह पहचाननी और पचानी चाहिअे। अिसे बहुत नहीं बढ़ाअूँगा।

अेक चीज छूट रही थी। तुमने अपनी कोटिके अर्थात् तीन जातिके लोगोंको और अुनमें भी ब्राह्मणों और बनियोंको ही अपने सामने रखा है। राजपूतोंका क्या? शूद्रोंका क्या? अतिशूद्रका क्या? अुनमें तलाकका रिवाज है, घरमें बैठनेका रिवाज है। कहीं कहीं विवाह जैसी कोअी चीज है भी नहीं। फिर भी वहाँ शुद्धताकी रक्षा होती है। अिस चीजका अुल्लेख अवश्य ही होना चाहिअे।

अिसमेंसे जितना पचा सको, अुतना ही लेना। अिसमें मेरे आज तकके विचारोंकी झाँकी मिलती है। यह महत्त्वका पत्र है। नकल आफिसके लिअे रखना।

बापूके आशीर्वाद

बापूजीने खुद ही अिस पत्रको महत्त्वका माना है। अुनके आखिरीसे आखिरी विचारोंका अिसमें दर्शन होता है। साथ ही अुन्होंने सलाह भी दी है कि अिसमेंसे अुतना ही लेना जितना हजम हो सके। मैं समझता हूँ कि अन्तरप्रान्तीय और अन्तरधर्मीय विवाहोंके लिअे मैंने पृष्ठ ७९ पर अपने जो विचार जाहिर किये हैं, अुनमें कहीं कहीं सुधार करनेकी जरूरत है। अुसी तरह अधिक खुलासा करना भी जरूरी है। परन्तु अिस तरह पुस्तकमें हेरफेर करनेके बजाय, बापूजीने जिस बात पर टीका की है वह

पाठकोंके सामने रहे, अिसलिअे मैंने मूल पुस्तक जैसीकी तैसी रहने दी है। और अुसमें करने जैसे संशोधनोंकी चर्चा यहाँ की है।

खास तौरसे मिश्र विवाहोंके विषयमें जाहिर किअे हुअे मेरे विचारों पर बापूजीकी टीका है। मिश्र विवाह यानी अन्तरजातीय, अन्तरप्रान्तीय और अन्तरधर्मीय विवाह। अब हम सिलसिलेसे अिन पर विचार करेंगे।

हमारे समाजमें अभी जो जातिप्रथा चल रही है, अुसे कायम करनेमें अैतिहासिक कारण चाहे जो हों, फिर भी आज अुसमें अैसा कोअी तत्त्व नहीं रहा जो समाजकी प्रगतिमें सहायक हो। अितना ही नहीं, आजकी जातिप्रथा तो कअी तरहसे हमारी तरक्कीमें बाधक हो रही है। बापूजी अिस जातिप्रथाको मिटा देना चाहते हैं, यह बिलकुल ठीक है। आश्रमके बच्चे तो यह भी नहीं जान पाते कि वे किस जाति या अुपजातिके हैं। और न जाननेकी जरूरत ही है। समाजमें आज जातिप्रथाके प्रतिबन्ध दो ही बातोंमें दिखाअी देते हैं — अेक तो भोजन-व्यवहारमें और दूसरे शादी-ब्याहके काममें। अिनमें भोजन-व्यवहारके बन्धन तो बहुत कुछ ढीले हो गये हैं, लेकिन शादी-ब्याहके कामोंमें अुतनी ढील नहीं दिखाअी देती। ये बन्धन ढीले हो जायँ या मिट जायँ, तो जातिप्रथाके कायम रहनेका कोअी खास कारण नहीं रहता। अिस जाति-प्रथाको तुरन्त नेम्तनाबूद करनेकी दृष्टिसे ही बापूजी अेक-जाति विवाहको किसी तरहकी स्वीकृति नहीं देते और कअी सालोंसे अैसे विवाहोंमें भाग भी नहीं लेते। और अभी अभी तो अुन्होंने अपने लिअे यह नियम बना लिया है कि वर-वधू चाहे अलग अलग जातिके भी हों, फिर भी अुनमेंसे यदि अेक हरिजन न हो, तो अैसे विवाहमें भाग न लिया जाय।

युवक और युवतियोंको अपने साथीकी पसन्दगी जानबूझकर जातिके बाहर करनी चाहिअे, यह तो मैंने बतलाया ही है। (देखिये पृ. ७५) अिस बातका विशेष प्रचार होना जरूरी है। परन्तु अेक तरफ जहाँ हम अिन अनेक जातियों और अुपजातियोंको मिटाना चाहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ गुजरातमें तो अभी भी अेक अुपजातिमें भी नये नये जूथ बनते जा रहे हैं। यह बात विचार करने जैसी है। पाटीदार जातिमें अभी भी कुलवान माने जानेवालेको लड़की देनेमें बड़प्पन समझा जाता है। कुछ खास

गाँव और अुनमें भी कुछ खास कुटुम्ब कुलवान माने जाते हैं। छोटे माने जानेवाले गाँवके लोग बड़प्पन पानेके खातिर बड़ी बड़ी पहेरावनियाँ देकर अपनी लड़कियाँ अिन कुलवान माने जानेवाले कुटुम्बों या गाँवोंमें देनेके लिअे अुत्सुक रहते हैं। अिस तरह जब बहुतसे लोग अूँचे घरोंमें अपनी लड़कियाँ देने जाते हैं, तो अुनमें बराबरीवालोंमें लड़कियोंकी कमी रहती है। अिसका नतीजा यह होता है कि कितनों ही को अपनेसे नीच गिने जानेवाले गाँवोंसे कन्यायें लानी पड़ती हैं और अुसके लिअे पैसे भी देने पड़ते हैं। अिस कठिनाअीको दूर करनेके लिअे कुछ गाँव अिकट्ठे होकर जूथ बना लेते हैं और अैसी तजवीज करते हैं कि अुस जूथमें ही लड़कियोंका लेनदेन हो। बनियोंकी अेक ही अुपजातिमें अनेक जूथ होते हैं और वे भी अिसी कारणसे बनाये गये हैं। छोटे गाँवोंके लोग अपनी लड़कियोंको शहरों या बड़े गाँवोंमें देना पसन्द करते हैं। पर शहर या बड़े गाँववाले तो अपनी लड़कियाँ छोटे गाँवोंमें देते ही नहीं। नतीजा यह होता है कि छोटे गाँववालोंको लड़कियोंकी कमी रहती है। अिस आफतको दूर करनेके लिअे तरकीब यह की जाती है कि कुछ गाँवोंके लोग अपना अेक जूथ बनाते हैं और अुस जूथमें ही कन्याओंके लेनदेनका कड़ा बन्दोबस्त करते हैं। अिससे अिस जूथमें गरीब माने जानेवाले कुटुम्बोंको भी लड़की पानेमें मुश्किल नहीं होती। अिस तरह आत्मरक्षाके खातिर यह व्यवस्था पैदा हुअी है। लेकिन अैसी आत्मरक्षा करनेमें जूथोंके बाहरके लोगोंसे बिलकुल सम्बन्ध टूट जाता है। अिससे किसी अन्धे कुअें या पानीके किसी बन्द गड्हेमें घिर गये हों अैसा हो जाता है। और फिर अुसमें भी अनेक तरहकी सड़ाँध पैदा हो जाती है। विचार और विवेकका आश्रय लेकर अपनी गलतियाँ सुधारनेके बजाय अिस तरह कायर प्रतिबन्ध लगानेसे कभी भी आत्मरक्षा नहीं हो सकती। यह बात हमारी जातियोंपर ही नहीं, सारे हिन्दू समाजपर भी लागू होती है। हिन्दू समाज जब आत्मरक्षा करनेके लिअे, और अपनी मानी हुअी शुद्धता और अुच्चता कायम रखनेके लिअे अपने देशमें बाहरसे आनेवाली जातियोंके संसर्गमें आनेसे अिनकार करने लगा, अुसने नअी विद्यायें और नये विचार ग्रहण करना बन्द कर दिया तथा अपने आसपास

जातपाँत, साम्प्रदायिक परम्पराओं और प्रचलित रूढ़ियोंकी दीवालें खड़ी करके अुन्हींमें घिरे रहना शुरू कर दिया, तबसे हमारे समाजका विकास रुक गया है। अितना ही नहीं बल्कि हमारे समाजमें खूब ही सड़ाँध पैठ गयी है, खूब ही निर्बलता आ गयी है। अिन दीवालोंको हम जितनी जल्दी तोड़ेंगे, अुतनी ही जल्दी हमें स्वच्छ और स्वतंत्र हवा मिलने लगेगी, अुतनी जल्दी हम सशक्त बनेंगे और अुतनी ही जल्दी हम शुद्ध स्वतंत्रता भोगने लगेंगे। हमें अनेक तरहके बन्धनोंसे मुक्ति पाना है, अुसीके साथ विवाहके सम्बन्धमें जाति, प्रान्त और धर्मके बन्धन भी न रहने चाहिअें अैसा जो बापूने अपने पत्रमें लिखा है, अुसके पीछे यही दृष्टि है।

अब विवाहके सम्बन्धमें जातपाँत खतम कर देनेके साथ ही 'अतिशूद्रों' और 'सवर्णों'में जो भेद है अुसका विचार पैदा होता है। असलमें तो जातपाँतके भेद खतम करनेके साथ ही अिस तरहके भेदोंको भी खतम कर देना चाहिअे। लेकिन आज सवर्णोंकी अनेक जातियोंमें आपसमें जितने भेदभाव हैं, अुनसे भी 'सवर्णों' और 'अतिशूद्रों' या 'हरिजनों'के बीच हमने ज्यादा बड़े भेद और बाधायें खड़ी कर रखी हैं। और अिसमें तो कोअी शंका नहीं कि अिन भेदों और बाधाओंको मिटानेमें ही मुक्ति है। अिन्हें नाबूद करनेके अनेक अुपाय हैं। अुनमेंसे अेक बहुत ही प्रबल अुपायके रूपमें हमें 'अतिशूद्र' और 'सवर्णों'के बीच विवाह-सम्बन्धको पहला स्थान देना चाहिअे, अैसा बापूका कहना है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, अुतना ही अमलमें लाना मुश्किल है। आज तो अैसी हालत है कि सवर्ण समाजका बहुत बड़ा हिस्सा अैसे विवाहके लिअे तैयार नहीं होगा। अिसलिअे अिस कामको सबसे पहले शुरू करनेकी जिम्मेदारी या फर्ज अुन लोगोंका है, जिनके मनमें अिस भेदको नाबूद कर देनेकी तीव्र अिच्छा है। लेकिन अिस तरहका कदम अुठाना चाहनेवाले लोगोंको आजकी वस्तुस्थितिपर कुछ विचार कर लेना चाहिअे। अतिशूद्रों या हरिजनोंमें अब अच्छी जाग्रति हो रही है। लेकिन अिसीके साथ अिन लोगोंमें बहुतसी शंकायें भी घर कर गयी हैं। अिनके कअी नेता — करीब करीब सब ही — सवर्णोंकी ओर (अिनमें

जिन्होंने अस्पृश्यता मिटानेका काम अपने हाथमें लिया है वे सवर्ण भी शरीक हैं) शंकाकी नजरसे देखते हैं। अुन्हें लगता है कि सवर्णोंकी अिन प्रवृत्तियोंके पीछे कुछ तो भी मतलब है; वे हमें मिलनेवाले लाभमें हिस्सा बँटाना चाहते हैं या हमारी मारफत कुछ लाभ अुठा लेना चाहते हैं। अिससे यदि कोअी सवर्ण युवक किसी हरिजन कन्याके साथ विवाह करे तो हरिजन नेता यह शोर मचावें तो अिसमें कोअी आश्चर्य नहीं कि हमारी कन्याओंको ले जानेके लिअे ही ये लोग अस्पृश्यतानिवारण, हरिजन-सेवा और हमारी कन्याओंको शिक्षा देनेकी बातें करते हैं। कोअी सवर्ण कन्या हरिजनके साथ विवह करे, तो सम्भव है ये लोग अैसा शोर न मचावें और शायद अिसका स्वागत भी करें। फिर भी अिस बारेमें निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी जातिसे दूसरी जातिमें कन्या जानेके बजाय वह दूसरी जातिमेंसे अपनी जातिमें आवे तो जातिको कुछ फायदा हुआ या जातिने कुछ बहादुरी की, यह मान्यता चली आ रही है। अिसलिअे जब सवर्ण कन्या हरिजनके साथ विवाह करे, तो शायद है वह आवाज न अुठे। चूँकि यह मान्यता स्त्री पुरुषके बारेमें छोटे-बड़े होनेके झूठे खयालपर बनी हुअी है अिसलिअे हम अिसे महत्त्व न दें। लेकिन अिन विवाहोंके लिअे अितना तो कहना ही चाहिअे कि जब तक वातावरण सशंक है, तब तक अुन्हीं सवर्ण युवक-युवतियोंको हरिजनके साथ विवाह करना चाहिअे, जिनकी जिस कुटुम्बमें वे खुद विवाह करें अुस कुटुम्बको और अुसके सगे सम्बन्धियोंको अपना कर लेनेकी, हरिजन समाजको पूरी तरह अपना लेनेकी और अुस समाजके अंगरूप होकर तथा अुसके बीच रहकर अुसकी सेवा करनेकी तैयारी हो। हरिजनके साथ विवाह करके ये दम्पती यदि हरिजन समाजसे अलग रहने लगें, तो हरिजनोंके द्वेषपात्र बनेंगे और अस्पृश्यतानिवारणके कामको भी नुकसान पहुँचावेंगे।

अब हम अन्तरप्रान्तीय विवाहोंपर विचार करें। अैसे विवाहोंमें बच्चोंको भाषाकी कठिनाअी होगी, यह मानकर मैंने कहा है कि अन्तर-प्रान्तीय विवाहोंको अपवाद रूप समझना चाहिअे। विशेष विचार करने पर मुझे लगता है कि भाषाके प्रश्नसे घबरानेकी जरूरत नहीं। अलग अलग

प्रान्त और अलग अलग मातृभाषावाले होनेपर भी माँ-बाप घरमें आपसमें जो भाषा बोलते हैं, वही बालककी मातृभाषा होगी। अपने आसपास बोली जानेवाली भाषा सुनकर बालक अुसे सीख जाता है। यानी माँ-बापके अलावा आसपासवाले दूसरे लोग जो भाषा बोलते हैं, वह भी बालक सीख लेता है। बालक जिस प्रान्तमें पैदा होता है, परवरिश पाता है और पढ़ना-लिखना सीखता है, अुस प्रान्तकी भाषा माँ-बापकी भाषासे अलग होते हुअे भी बालक अुसे मातृभाषाकी तरह ही सीख लेता है। अुदाहरणके लिअे हमारे आश्रममें काका साहब और पण्डितजी महाराष्ट्रके रहनेवाले हैं। वे घरमें मराठी बोलते हैं फिर भी सतीश और बाळ तथा अुसी तरह रामभाअू और मथुरी मराठीकी अपेक्षा गुजराती ज्यादा अच्छी जानते हैं। मथुरी तो जन्मसे ही आश्रममें रही, अिसलिअे अुसके बोलनेमें गुजराती ढंग तथा गुजराती लहजा भी पूरी तरह आ गया है। देवदासभाअी और लक्ष्मीबहन गुजराती और तामिल हैं। फिर भी अेक दूसरेके साथ हिन्दुस्तानीमें बोलते हैं और दिल्लीमें रहते हैं, अिसलिअे अिनके बच्चोंने तो हिन्दुस्तानीको बिलकुल मातृभाषा बना ली है। प्रभुदासभाअी और अम्बादेवी गुजराती और हिन्दी बोलनेवाले हैं, फिर भी अेक दूसरेके साथ वे गुजरातीमें बोलते हैं और अिनके बच्चे घरमें गुजराती बोलते हैं, लेकिन संयुक्त प्रान्तमें रहनेकी वजहसे हिन्दुस्तानी अच्छी तरह जानते हैं। और यदि अिनका शिक्षण हिन्दुस्तानीमें हुआ, तो गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दुस्तानीपर अिनका विशेष अधिकार होगा। अिसलिअे अिस विषयमें ठीक ठीक नियम नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर सम्भव है कि माँ-बाप अेक दूसरेसे जिस भाषामें बोलते हों, वही भाषा बालक भी घरमें बोले; लेकिन जिस भाषाके वातावरणमें अुसकी परवरिश हो, अुसका शिक्षण हो अुस भाषा पर अुसका विशेष अधिकार हो और वही भाषा अुसकी साहित्यिक भाषा बने।

हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा है। अिसलिअे यह कहा जाता है कि अैसे अन्तरप्रान्तीय विवाहवाले कुटुम्बों और अुनके बच्चोंकी भाषा हिन्दुस्तानी रहे। लेकिन यह खयाल मुझे ठीक नहीं मालूम होता। कारण, किसी मनुष्यको, खासकर बालकको, भाषा सिखानेके लिअे अुस भाषाके वातावरणकी

जरूरत है। अिसलिअे आसपासके रहनेवाले लोग जहाँ हिन्दुस्तानी न बोलते हों, वहाँ मुख्य भाषा या स्वभाषा हिन्दुस्तानी नहीं बन सकती।

हम अन्तरप्रान्तीय विवाहोंका विचार करते करते भाषाके विचारमें अुतर गये। अन्तरप्रान्तीय विवाह ज्यादा तादादमें होने लगें, तो संकुचित प्रान्तीयता या झूठा प्रान्ताभिमान दूर करनेमें वे बहुत ही सहायक हो सकते हैं। अिसलिअे अैसे विवाहोंको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिअे। अलबत्ता अैसे विवाह अन्तरप्रान्तीय सम्बन्धवाले कुटुम्बोंमें ही अधिकतर होंगे और अिसलिअे अैसे विवाहोंकी सख्या बहुत ही कम रहेगी।

फिर, हर अन्तरप्रान्तीय विवाहमें प्रान्त बदलनेकी बात नहीं रहती। अेक प्रान्तके कितने ही परिवार दूसरे प्रान्तमें बसे हुअे देखनेमें आते हैं। वे चाहे घरमें अपनी भाषा बोलते हों, फिर भी जहाँ वे बसे हैं अुस प्रान्तकी भाषा वे अच्छी तरह जानते हैं। वहाँके लोगोंके साथ अुनके सम्बन्ध भी गाढ़े हो गये होते हैं। फिर भी ये कुटुम्ब विवाहसम्बन्ध अपने असल प्रान्तके साथ ही रखते हैं, जिसके साथ अुनके दूसरे सम्बन्ध बहुत कम हो गये होते हैं। यह बात ठीक नहीं है। अुदाहरणके लिअे गुजरातमें रहनेवाले महाराष्ट्रके कुटुम्ब गुजराती कुटुम्बोंके साथ विवाहसम्बन्ध करें और महाराष्ट्रमें रहनेवाले गुजराती कुटुम्ब महाराष्ट्री कुटुम्बोंके साथ सम्बन्ध करें यही अिष्ट है। विवाह सम्बन्ध करनेके लिअे अपने प्रान्तमें दूर जाना, जहाँ जानपहचान भी कम रह गयी हो, ठीक नहीं।

बापूजीने जुदे जुदे धर्मोंके बीचके विवाहोंको स्वागत योग्य समझा है। बापूजीके आदर्शके अनुसार जिन्हें सब धर्म समान समझनेका अुदार शिक्षण मिला है, सर्वधर्मसमभाव जिनके रगरगमें समा गया है तथा जो अपने धर्मका अिस तरह पालन करते हैं कि यदि कोअी दूसरे धर्मवाला भी अिनके साथ रहे तो अुसकी धर्मभावनाको भी पोषण मिले, बलवान होनेका मौका मिले, अैसे जुदे जुदे धर्मवालोंके बीच विवाहसम्बन्ध हों तो वे अिष्ट ही समझे जायँगे। आज धर्म और सम्प्रदायके नामसे जो मूर्खतापूर्ण झगड़े हो रहे हैं, अुन्हें मिटानेमें अैसे विवाह बहुत ही सहायक होंगे। लेकिन यह सच है कि यदि दोनों अपने अपने धर्मोंको संकुचित भावसे माननेवाले और पालनेवाले हों,

तो दोनोंके बीच मुसीबतें पैदा होना सम्भव है। गुजरातमें कितनी ही जातियाँ अैसी हैं, जिनके कुछ कुटुम्ब तो वैष्णव धर्म पालते हैं और कुछ जैन धर्म। और अुनमें बेटीव्यवहार चालू है। अैसे कुटुम्बोंमें अधिकतर होता यह है कि कन्या ससुराल जाकर अपने पतिका धर्म स्वीकार कर लेती है। जैन कन्या वैष्णव कुटुम्बमें विवाही गयी हो, तो वह वैष्णव महाराजकी कण्ठी बाँध लेती है और वैष्णव कन्या जैन कुटुम्बमें विवाही गअी हो तो वह देरासरमें पूजा करने लग जाती है और अपासरेमें 'वखाण' सुनने लग जाती है। परन्तु अैसे मामलोंमें धर्मके विषयमें या तो अज्ञान रहता है या अुदासीनता। धर्मके सिर्फ बाहरी आचारोंका पालन होता है। हमारी स्त्रियोंपर अैसे संस्कार पड़े हुअे होते हैं कि वे हर तरहसे अपने पतिके अनुकूल हो जाती हैं — अुसमें धर्मकी बात भी शामिल है। ये ही संस्कार अूपरके मामलेमें स्त्रीके धर्म बदलनेके सम्बन्धमें भी काम करते हैं। लेकिन जिस धर्ममें परवरिश हुअी हो, अुस धर्मका आग्रह रखनेवाली स्त्रियोंके लिअे दूसरे धर्मवाले कुटुम्बोंमें घुलमिल जानेमें और अुनके अनुकूल अपने आचार-विचार बना लेनेमें कठिनाअी होती है। कितनी ही बार अुनका जीवन क्लेशमय हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न वहीं पैदा होते हैं, जहाँ माँबाप विवाह करवाते हैं। बच्चे बड़े और समझदार हो जायँ और फिर अेक दूसरेको पसन्द करके विवाह करें, तो वहाँ कभी भी बनावटी प्रतिबन्ध लगानेका सवाल ही नहीं अुठना चाहिअे। जाति, प्रान्त और धर्मके किसी भी तरहके प्रतिबन्धके बिना वे विवाह कर सकते हैं और मातापिताओंको अैसे कामोंमें अुन्हें अुत्तेजन देना चाहिअे। जहाँ अुनकी भूल होती हो वहाँ अुनके मातापिता मार्गदर्शन जरूर करें, लेकिन अन्तिम निर्णय करनेका अधिकार तो विवाह करनेवाले युवक-युवती पर ही छोड़ा जाना चाहिअे। फिर, यह तो भूलना ही नहीं है कि पसन्द करके विवाह करनेके बाद विवाहकी सफलता तो दोनोंकी अेक दूसरेके अनुकूल होकर रहनेकी कुशलता और शक्ति पर निर्भर करती है।

बापूजीने अपने पत्रमें लिखा है कि अिन पत्रोंको लिखते समय मैंने ब्राह्मण-बनियोंको खयालमें रखकर लिखा है। यह बात बिलकुल सच है। कारण कि ये पत्र खासकर तुम सब साथमें रहनेवाली कन्याओंको

नजरमें रखकर ही लिखे थे। बापूजी जो कहते हैं कि जिन कौमोंमें तलाक और घरमें बैठनेका रिवाज हो और जिनमें विवाहकी प्रथा व्यवस्थित रूपसे अमलमें न आती हो, वहाँ भी चरित्रकी शुद्धता देखनेमें आती है, यह बात भी बिलकुल सच है। बात यह है कि शुद्धतामें सबसे बड़ा कारण है दिलकी सफाअी और दिलकी शुद्धता। सामाजिक प्रथायें तो जब तक अुन्हें पालन करनेमें विवेकसे काम लिया जाय, तभी तक शुद्धि कायम रखनेमें सहायक साधनोंका काम देती हैं।

मुझे बापूजीकी यह बात भी माननी ही चाहिअे कि मेरी कलम डरते डरते चली है। पहली बात तो यह है कि विषय नाजुक है, अिसलिअे मैंने डरते डरते लिखा है। दूसरे, अैसे विषयोंमें जितनी अधिक चित्तशुद्धि हुअी हो, अुतनी ही कलममें ताकत आती है। अिसलिअे मेरा जितना अधिकार है, अुतनी मेरी कलम चली है।

काकासाहबके दो शब्द

१

यह सुन्दर और हितकर पत्रमाला लिखे नरहरिभाअीको बारह बरस हो गये हैं। गुजराती पाठक अभी तक अिस पुस्तककी चार आवृत्ति हजम कर चुके हैं। ये जब पहली बार पुस्तक रूपमें छपे, तभी मेरे मनमें आया था कि मैं भी अिसमें अपने विचार जोड़ दूँ। अुस वक्त मुझे लगा था कि अलग अलग पुस्तकें लिखनेके बजाय अेक अच्छी तरह लिखी हुअी और प्रचार पाअी हुअी पुस्तकके साथ ही अपने विचार भी पेश कर दिये जायँ, तो वह अधिक सुविधाजनक है।

आज अिस पुस्तकको फिरसे पढ़ते हुअे लगता है कि अब अिसमें अधिक जोड़नेकी गुंजायश नहीं है। यह पुस्तक अितनी लोकप्रिय बनी है, अुसमें आश्चर्यकी बात नहीं। जो बातें स्त्री-पुरुषके बारेमें समझानेमें मुश्किल हैं, अुन्हींको वनस्पति, मछलियों, मधुमक्खी, पक्षी और दूसरे स्तन प्राणियोंके जननव्यापारके जरिये समझाकर बहुत ही आसान कर दिया गया है। मैं नहीं मानता कि अैसी साधारण पुस्तकमें अिस विषयमें कुछ जोड़ा जा सकता है। रजोदर्शनके समय और जननव्यापारके बारेमें स्वच्छता किस तरह रखी जाय और दूसरी कौन कौन सी सावधानी रखी जाय, अिस सम्बन्धमें कोअी माता अेक अलग स्वतन्त्र पुस्तक लिखकर सूचनायें दे दे, तो अधिक अच्छा हो। सयानी कन्यायें कहेंगी कि 'जीवनकी दृष्टिसे अैसी सूचनायें हमारे लिअे ज्यादा जरूरी हैं। वे कहीं नहीं मिलतीं, अिसलिअे हमें बहुत परेशानी होती है।'

अिस पुस्तकके दूसरे भागमें जिस विषयकी चर्चा की गयी है, मैं समझता हूँ अुसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती हैं। मैं अुन्हींपर कुछ लिखकर सन्तोष मान लूँगा।

जोखम भरा होते हुअे भी जरूरी

अेक जगह नरहरिभाअी लिखते हैं कि अिस विषयका अज्ञान जैसे नुकसानकारक है, वैसे ही अिस विषयकी चर्चामें गर्क रहना भी नुकसानकारक है ।

यह बात बिलकुल ठीक है । लेकिन तरुण पाठक अितने अिशारेसे आसानीसे नहीं समझ सकते । साधारणतः अिस सिद्धान्तको सब मानते हैं कि अज्ञानमें कुशल नहीं है । ज्ञान ही हमें बचा सकता है । अिसमें शंका नहीं कि हम अपने शरीर और अुसके व्यापारसे अनजान रहकर बड़ी भारी जोखम अुठाते हैं ।

लेकिन ज्ञान प्राप्त करते समय अगर अपना मन तटस्थ रह सके, तो ही हम निर्दोष रहकर अुसे प्राप्त कर सकते हैं और वह लाभदायक हो सकता है । किसी समय दंगा क्यों हुआ और लोग क्यों मारे गये, अिसे यदि हम अेक अैतिहासिक घटनाके तौरपर पढ़ें तो हम शान्तिसे अिस पर विचार कर सकते हैं । लेकिन हमारे दुश्मनने अिस दंगेसे फायदा अुठाकर हमारे बिलकुल नजदीकके प्रियजन या बुजुर्गका किस तरह खून किया, अिसका जब हमें ताजा वर्णन सुनना पड़े, तो हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । हम अुत्तेजित हो जाते हैं और परिस्थितिका तटस्थ रहकर विचार नहीं कर सकते ।

कोअी मनुष्य बीमार हो तब हम अिस बातकी सावधानी रखते हैं कि अुसके कान तक अैसे समाचार न जायँ जिनसे अुसका मन अुत्तेजित हो जाय । अिसका कारण यह है कि बीमारके कमजोर मनमें अैसे समाचार तटस्थ रहकर सुननेकी शक्ति नहीं रहती । और हम अैसे कितने ही अुदाहरण जानते हैं, जहाँ अैसी बातें सुनकर बीमारके मनपर बहुत असर हुआ और अुसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी ।

खराब समाचार सुनकर या पढ़कर ही मन बिगड़ता है, सो बात नहीं है । नेपोलियन बोनापार्टके मुख्य मंत्रीने अेक बार नेपोलियनसे रोजका सब काम पूरा कर लेनेके बाद अुसे यह खबर दी कि अेक लड़ाअीमें फरासीसी सेना जीत गअी है । अिसपर नेपोलियनने आश्चर्यसे

पूछा — ' अितने आनन्द और महत्त्वके समाचार कचहरीमें आते ही आपने क्यों नहीं कहे ?' मूँहफट मन्त्रीने जवाब दिया — "मुझे माफ कीजियेगा महाराज! लेकिन होता यह है कि जब आप खुशीके समाचार सुनते हैं, तो आपका सिर ठिकाने नहीं रहता और बहुतसा महत्त्वका काम यों ही रह जाता है। अिसलिअे अैसा करता हूँ।"

अिस बातमें कोअी मतभेद नहीं हो सकता कि अँधेरे तलघरमें जाते समय मोमबत्ती साथमें रखनेमें ही होशियारी है। लेकिन यदि अुस तलघरमें बारूदके थैले भरे हों, तो वहाँ बगैर अुजेलेके जाना भी मुश्किल है, और जलती मोमबत्ती ले जाना भी खतरनाक है। यदि बारूद चेत जाय, तो भड़ाकेसे सत्यानाश ही हो।

युवावस्थामें युवक-युवतीके मन कामविकारसे अुत्तेजित न हों, यही अिष्ट है। फिरभी यदि वे मनकी वासनायें, अुसमें पैदा होनेवाले विकार, स्त्रीपुरुषका आकर्षण और जननव्यापारका रहस्य वगैरा बातोंके बारेमें नहीं जान लेते, तो वे भारी खतरा अुठाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक ही अिन विकारों और भावनाओंका अुदय तो होना ही है। और पशुपक्षियोंके व्यापार देखकर, असभ्य लोगोंकी गालियोंवाली गन्दी भाषा सुनकर और बेजिम्मेदार लोगोंकी अेकान्त बातें सुनकर अुत्सुक मनको कल्पनाके लिअे काफी खुराक मिलेगी ही। अिसके बजाय यदि यह जरूरी ज्ञान योग्य व्यक्तिके मुँहसे या कलमसे, खास तौरसे लगाये गये वर्गोंमें या पवित्र खानगी वातावरणमें मिले, तो वह हर तरहसे अिष्ट है। लेकिन साथ ही ये सब बातें सुनकर यदि मन अुत्तेजित हो जाता हो और जहाँ नहीं होना चाहिअे वहाँ विकार पैदा होते हों और अेकान्त मिलते ही मनके विकारोंमें रमे रहनेकी आदत पड़ जाय, तो यह डर है कि जो ज्ञान सुरक्षित रहनेके लिअे दिया गया है वही विकारोंको भड़कानेका काम करेगा, और जहाँ जवाबदारीका खयाल पैदा होना चाहिअे वहाँ विकारोंकी अन्धता पैदा होगी।

अेक छोटासा किस्सा याद रखने जैसा है। अेक मनुष्य अेक साधुके पास गया और अुससे धन प्राप्त करनेका मंत्र माँगा। साधुने अुसे मन्त्र देकर कहा — 'अिस मंत्रके चौबीस लाख जप करेगा तो तेरी

अिच्छा हो अुतना धन तुझे मिलेगा। पर शर्त यह है कि जब जप चल रहा हो, तब बन्दरका विचार नहीं आना चाहिअे।' आठ दिनके बाद अुस धनलोभीने आकर कहा — 'धनके लिअे मेरे मनमें अितनी लगन थी कि यदि आपने बन्दरकी बात न कही होती, तो बारह महीनोंमें अेक क्षणके लिअे भी मुझे बन्दरका विचार न आता। लेकिन अुस दिन आपने बन्दरका खास नाम लेकर मुझे जो चेतावनी दी, अुससे जहाँ मैं जपके लिअे बैठता हूँ कि मेरे सिरमें बन्दर ही बन्दर कूदने लगता है। आठ दिन हो गये मुँहमें मंत्र और सिरमें वानरलीला — ये मेरे हाल हैं। मैं नहीं मानता कि यह मंत्र अब मुझसे सिद्ध हो सकेगा।'

हमारा मन भी कअी मर्तबा अिसी धनलोभीके मनकी तरह बन जाता है। जिस बातको टालना हो अुसकी ओर ध्यान खींचते ही वही बात भूतकी तरह मनमें पैठ जाती है। अिसलिअे मनको नीरोगी रखना और जरूरी बातें वर्गमें सबके साथ बैठकर स्पष्ट शब्दोंमें और स्वच्छ वातावरणमें सुनना जरूरी होता है। अिस अुम्रमें लिंग सम्बन्धी बातें आकर्षक होती ही हैं। अिस विषयका जितना अज्ञान रहता है, अुतनी ही कल्पना ज्यादा दौड़ती है। सुनी हुअी बातोंको अमलमें लेकर देखनेकी जिज्ञासा या चिकीर्षा भी तीव्र होगी ही। यह चिकीर्षा काबूमें रह सके अैसा मानसिक और सामाजिक वातावरण पैदा किये बिना यदि अैसी बातें की जायँ, तो वे खतरनाक होती हैं। अिसीलिअे कहना पड़ता है कि अिस विषयका ज्ञान जरूरी होने पर भी यदि वह विकारी वृत्तिसे मनमें घुटता रहे, तो अुसका बुरा परिणाम ही होगा।

युवक हो या युवती अुसे अितना विश्वास होना चाहिअे कि माँबाप, शिक्षक या श्रद्धेयकी ओरसे हमें जितना जरूरी है अुतना ही ज्ञान, अुतनी ही जानकारी, अुतनी ही तफसील दी जाती है। यदि ज्यादा पूछनेकी जरूरत हो तो हमें पूछनेकी स्वतंत्रता है। दूसरे, अुसे अिसका भी खयाल होना चाहिअे कि और जगह जानकारी लेने जानेमें गलत जानकारी मिलनेकी सम्भावना है। और अुसमें खतरेमें गिरनेका भी डर रहता है। अिस तरह अिस दोहरी जानकारीसे जितनी सुरक्षितता आ

सके अुतनी ही ठीक है । अैसे तो जीवन चीज ही खतरनाक है । हर खतरेका अिलाज रहता ही है, अैसा नहीं ।

* * *

चरित्रकी बुनियाद

कच्ची अुमरके युवक और युवतियोंको कामविकार और स्त्री-पुरुषके सम्बन्धके बारेमें सुरक्षित रखनेका अुपाय अुन्हें अज्ञान रखनेमें नहीं, बल्कि अुनके चरित्रकी जड़ें मजबूत करनेमें है ।

माँबापों और हितैषियोंको अितना जानना चाहिये कि सिर्फ अुपदेशसे चरित्रबल नहीं बढ़ता । चरित्रमें क्या क्या है और अुसे मजबूत करनेके लिअे किन किन बातोंको टालनेकी जरूरत है, यह सब अुपदेश या विवेचनसे सिखाया जा सकता है । लेकिन चरित्रका ज्ञान और चरित्रकी शक्ति ये दोनों अलग अलग बातें हैं । यह तो जानना ही चाहिये कि चरित्रका स्वरूप क्या है, लेकिन अुससे भी बढ़कर महत्त्वकी चीज है चरित्रबल । अिस बलके विकासके लिअे मातापिता और बालकोंके बीच आपसमें शुद्धता, विश्वास और प्रेमादरकी गहरी भावना होनी चाहिये । विश्वास, प्रेम और शुद्धता अिन तीनों तत्त्वोंमें ही चरित्रबल बढ़ानेकी योग्यता है ।

अैसा बल जहाँ विकसित हो चुका हो, वहाँ हर तरहका योग्य रीतिसे दिया हुआ ज्ञान हितकर ही होता है ।

चरित्रबल विकसानेकी यह जिम्मेदारी माँबाप अपनी अिच्छाके अनुसार चाहे जिस मनुष्यपर नहीं डाल सकते । जिन्होंने बालकको जन्म दिया है या तो अुन्हींकी यह जवाबदारी है, या फिर जो अुन बालकोंसे माँ-बाप जैसा ही प्रेम करते हों, अुनकी है ।

* * *

२

अपनी मान्यताका विकास

बुद्ध, महावीर, नानक अित्यादि पुराने समयमें जितने भी सुधारक हो गये हैं, अुन सबने जातपाँतका अनादर ही किया है । वर्णव्यवस्थाको वे पसन्द करते थे, यह नहीं कहा जा सकता ।

अिस जमानेके सुधारक भी वर्णव्यवस्था या जातपाँतको कुछ भी स्थान नहीं देते। वर्णव्यवस्थाका किसीने समर्थन किया है, तो दयानन्द सरस्वतीने। और किसीने अुसका बचाव किया है तो स्वामी विवेकानन्दने। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् तक कितने ही विद्वान वर्णव्यवस्थाके पीछे रहनेवाले समाजशास्त्रको पसन्द करते हैं। जातपाँतको न माननेवाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी अपनी पुरानी समाजव्यवस्थाकी किसी खास सुन्दरतापर मुग्ध ही थे।

पूज्य बापूजी ही अेक अैसे धर्मसुधारक हैं, जिन्होंने न सिर्फ वर्णव्यवस्थाको ही बल्कि जातपाँतको भी अपनी स्वीकृति सबसे पहले दी थी। अिनकी दलील यह थी कि जातिके बाहर शादी नहीं की जा सकती, अिस नियमसे होता यह है कि जातिके बाहरकी लड़कियोंके प्रति अपने आप ही हममें निर्विकारी भाव विकसित होता है, और अिसलिअे अिसमें संयमके लिअे अनुकूल वातावरण रहता है। आश्रमके शुरूके दिनोंमें अुन्होंने आश्रमवासियोंके लिअे अैसा विचित्र नियम भी बनाया था कि आश्रमवासी जब आश्रमके बाहर जायँ तो अपने हाथसे बनाकर खायँ; जो आश्रममें नहीं रहता अुसके हाथका बिलकुल न खायँ। अिस नियमका परिणाम यह हुआ था कि चि० प्रभुदास जब राजकोट जाते, तो अपने घरके लोगोंके हाथका खाना नहीं खाते थे, हाथसे बनाते और खाते थे। मामा साहब फड़के जब बड़ोदेके पास सयाजीपुरेमें मुझे मिलनेके लिअे आते, तो पूज्य श्री देशपांडे साहबके यहाँ नहीं खाते; अपने हाथसे बनाते और खाते और लकड़ीका धुआँ सहन न होनेके कारण हैरान होते। आखिर पूज्य बापूजीने फतवा दिया कि मामाजी काकाके घर खायें तो अुसमें कोअी आपत्ति नहीं। मैं अुस समय आश्रममें शरीक नहीं हुआ था। फिर भी चूँकि आश्रमके प्रति मेरे मनमें आकर्षण था, अिसलिअे बापूजीने मुझे आश्रमवासियोंमें ही गिना था। मैं जब आश्रममें रहने गया, तो पहले ही दिन बापूजीसे कह दिया कि मैं कोअी अैसे नियम नहीं पालूँगा। मुझे जहाँ पसन्द आयेगा, फिर वह किसी भी जाति या धर्मका मनुष्य हो, मैं वहाँ खाअूँगा। हम जहाँ शंकराचार्यकी समाजव्यवस्था मिटानेके लिअे बैठे हैं, वहाँ आप दूसरे शंकराचार्य बनकर अुस तरहकी संकुचितता हमपर क्यों लाद रहे हैं!

बापू खुद अुस वक्त फलाहारी थे। दूध भी नहीं पीते थे। अिसलिअे अुन्हें किसी तरहकी असुविधा नहीं होती थी। बादमें जब अुन्होंने अन्नाहार शुरू किया, तब किसीने अुनसे पूछा कि आप डबल रोटी क्यों खाते हैं, तो अुन्होंने अुसे जवाब दिया था — जैसे अग्नि प्रयोगके कारण चने मुरमुरे शुद्ध माने जाते हैं, वैसे ही डबल रोटीको भी मानना चाहिअे।

ये सब बाते अिसलिअे कही हैं कि आश्रमके शुरू शुरूके वातावरणकी कुछ कल्पना हो।

हिन्दू धर्म यानी वर्ण और जातपाँतकी व्यवस्था और खानपानकी मर्यादायें, यह सार्वत्रिक मान्यता होनेके कारण दूसरे हिन्दुओंकी तरह मैं भी स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी अिन दो सुधारकोंकी ओर आकर्षित हुआ था।

अुसमें बापूजीने समझाया कि वर्णव्यवस्थाके साथ खानपान या बेटीव्यवहारका भी कोअी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वर्णव्यवस्था तो आजीविका प्राप्त करनेमें अमर्यादित प्रतिस्पर्धा न हो, अिसलिअे अेक संयमरूप पैदा की गयी है। मनुष्य अपने बापका ही धन्धा करे, दूसरे धन्धेमें प्रतिस्पर्धाके लिअे न जाय और जितनी भी योग्यता प्राप्त करनी हो सब अपने ही धन्धेमें करे। अैसा करनेसे मनुष्यको परम्परासे चली आ रही कार्यकुशलता विरासतके रूपमें मिलती है और प्रतिस्पर्धा मर्यादित होती है। अुन्होंने अिस लाभको मुख्य माना है।

आगे जाकर अुन्हें कबूल करना पड़ा कि अैसी वर्णव्यवस्था आज मौजूद नहीं है। तो क्या यह सम्भव है कि भविष्यमें फिर पैदा हो सकेगी? और सम्भव हो तो अुसे कौन पैदा कर सकता है? शंकराचार्य? सरकार? या कोअी खास महात्मा लोग? अिस तरह मैंने अेक बार पूछा था। तब अुन्होंने जवाब दिया था कि यह सवाल कठिन है। अिसका जवाब मेरे पास नहीं है।

छूतछात मिटानेके बारेमें पहले तो समाजके लोगोंके सामने अुन्होंने अितनी ही बात रखी थी कि सामाजिक व्यवहारमें जितनी शूद्रको छूनेकी स्वतंत्रता है, अुतनी ही हरिजनोंको छूनेकी भी होनी चाहिअे। आश्रमवासी तो

अेक तरहसे संन्यास धर्म पालनेवाले ठहरे, अुन पर जातपाँतके नियम नहीं लागू होते, अिस तरह हम दलील करते थे। जिस तरह पुराने जमानेमें गुरुके घर पढ़नेवाले विद्यार्थी जातपाँतका भेद नहीं पालते थे, अुसी तरह हम भी आश्रममें नहीं पालते, यों कहकर हम लोगोंको सन्तोष देते थे।

अेक बार मुझे जाहिर करना पड़ा कि 'आश्रम और विद्यापीठमें हम पंक्तिभेदमें विश्वास नहीं करते। हर जाति और धर्मके आदमी अेक साथ बैठकर खाते हैं और खाते रहेंगे। सिर्फ रसोअिया ब्राह्मण ही रखा जाता है।' अिस पर पूज्य बापूजीने टीका करते हुअे कहा था कि 'काका डरते डरते सुधार करते हैं। रसोअिया हमेशा ब्राह्मण ही मिले, यह नहीं हो सकता। किसी भी जातिका आदमी रसोअी बना सकता है।'

आश्रमकी हरिजन लड़की लक्ष्मीका जब मारुतैयाके साथ विवाह हुआ, तब असे विवाहके सम्बन्धमें बापूजीने मेरी राय ली। मैंने कहा — 'यह तो कुछ भी नहीं है। अिसमें कौनसी बड़ी बात है! लेकिन जब कोअी ब्राह्मण लड़की किसी हरिजनके साथ विवाह करनेको तैयार हो जाय, तो अुस विवाहमें भी पुरोहितका काम करनेके लिअे मैं तैयार हूँ।'

जब देवदास गांधीकी शादी राजगोपालाचार्यजीकी लड़की लक्ष्मीके साथ हुअी तब अिस प्रतिलोम विवाहको वैदिक विधिसे पूरा करनेके लिअे मैं वाअीके तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशीको ले आया था।

वैदिक विधिसे संस्कार करना हो तो मनुष्यका यज्ञोपवीत यानी जनेअू होना चाहिअे। देवदासका जनेअू तो हुआ नहीं था। अिस असुविधाको दूर करनेके लिअे मैंने शास्त्रविधिसे प्रायश्चित्त रूपमें व्रात्यस्तोम कराया था।

यह व्रात्यस्तोम विधि किसी मनुष्यका वर्ण बदलनेके लिअे भी की जाती है। अिसलिअे मद्रासकी ओरके कितने ही लोग यह कहने लग गये थे कि व्रात्यस्तोम करके देवदासको ब्राह्मण बना लिया गया था। तब मुझे यह जाहिर करना पड़ा था कि व्रात्यस्तोम सिर्फ द्विजपनके संस्कारके अभावको दूर करनेके लिअे ही किया गया था। मैंने यह भी कहा था कि गांधीजी भले ही वैश्य वर्णके हों और राजाजी ब्राह्मण

वर्णके, लेकिन दोनोंके खानदानोंके संस्कार, सामाजिक दरजा, और समाजसेवामें सात्त्विक निष्ठा सभी, यानी रहनसहन, आचारविचारको देखते हुअे देवदास और लक्ष्मी दोनों अेक ही वर्णके हैं।

हमारे शंकरने (सतीशने) जब अेक गुजराती जैन महाजनकी लड़कीसे शादी करना तय किया, तब मेरी बहुत अिच्छा थी कि ब्राह्मण-जैन विवाह भी वैदिक विधिसे हो सकता है अिस बातका अेक अुदाहरण कायम किया जाय। लेकिन अिन दोनोंने सिव्हिल मेरेज अेक्टके अनुसार अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाकर ही सन्तोष माना।

ये सब विवाह हिन्दू समाजके भीतर ही थे। लेकिन जब पण्डित जवाहरलालजीकी लड़की अिन्दिराका विवाह फिरोज गांधीके साथ हुआ, तब समाजमें खूब चाब चख हुअी थी। जवाहरलालजी काश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण हैं और फिरोज गांधी पारसी। फिर भी जब दोनोंका वैदिक विधिसे विवाह हुआ, तब बापूजीने लिखा था कि अैसे विवाह होंगे ही। हिन्दू समाज अैसे विवाहोंका स्वागत न करेगा, तो वह मिट जायगा। फिर भी बापूजीका साधारण दृष्टिकोण अैसा था कि वर्ण वर्णके बीच तो विवाह होना ही चाहिअे, लेकिन अलग अलग धर्मवालोंके बीच विवाहसम्बन्ध न हो यही अिष्ट है।

हम लोगोंमें अेक और भिन्न धर्मी विवाह हुआ है। वह है श्री शंकरलाल बेंकरके भतीजे प्रबोधका श्री अब्बास साहब तैयबजीकी पौत्री हमीदाके साथ।

आजकल देशमें अैसे विवाह होने लगे हैं, और समाजको यह अच्छा लगे या न लगे, वह कुछ आपत्ति नहीं अुठाता। अैसे विवाह शुरू शुरूमें तो अपवादरूप ही होंगे। लेकिन जहाँ अेक मर्तबा रास्ता खुला कि फिर तो बेशुमार होने लगेंगे। मनुष्य कोअी सुधार करनेके लिअे विवाह नहीं करता। लेकिन अलग अलग जाति, वर्ण और धर्मके लोग जैसे जैसे आपसमें हिलमिल कर रहने लगेंगे, वैसे वैसे भिन्नधर्मी विवाहोंका होना किसीको नहीं अखरेगा।

यह दलील की जाती है कि अिस तरहके विवाहोंसे वर्णभेद और धर्मभेद नष्ट हो जायगा। मैंने हमेशा अिसका जवाब दिया है कि वर्णभेद

और धर्मभेदका नष्ट होना अिष्ट हो या न हो, सिर्फ वर्णान्तर या धर्मान्तर विवाहसे ये भेद मिटनेवाले नहीं हैं; लेकिन अूँचनीचका भाव मिट जायगा। मनुष्य अपने ही गोत्रमें विवाह न करे, अिस कड़े नियमके आजतक चले आनेकी वजहसे मनुष्य अपने गोत्रके बाहरकी ही लड़की ढूँढ़ता है और फिर भी गोत्रका नाश नहीं होता। आमतौरसे जो पतिका गोत्र, जाति, वर्ण और धर्म हो, वही पत्नीका भी कहा जा सकता है। या फिर पतिपत्नी अपने अपने धर्मपर कायम रहें और अुनके बच्चे बड़े होनेपर यह सब तय करें कि अुन्हें पिताके धर्मपर चलना है, या माताके धर्म चलना है, या फिर दोनोंमेंसे किसीके धर्मपर नहीं चलना है। सब धर्म सच्चे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, अितना मान लेनेके बाद यह तो मनमें अपने आप ही पैदा हो जायगा कि सब धर्म मेरे हैं।

धर्म यानी खास खास मान्यतायें, अुनके साथ विकसित होनेवाली जीवनदृष्टि और अुसी जीवनदृष्टिके आधारपर समाजके बनाये हुअे रहन-सहनके नियम, शिष्टाचार वगैरा। हरअेक कुटुम्बके कुलाचार भी धीमे धीमे धर्ममें ही मिल जाते हैं।

मनुष्य आज तक थोड़ी बहुत मात्रामें आग्रहपूर्वक यह सावधानी रखता आया है कि अपने अपने धर्मके नियमोंका पालन हो। अुसने अपने धर्म, अपने समाज, और अपने कुलाचार अिन्हींको महत्त्व दिया है। राम और कृष्णको अेक माननेवाले और प्रचार करनेवाले सन्त भी जब द्वारका जाते थे, तो कृष्णके आगे यह जिद् करनेमें विश्वास करते थे कि जब धनुषबाण हाथमें लिये हुअे तुम्हारे रूपका दर्शन करूँगा, तभी मेरा सिर तुम्हारे चरणोंमें झुकेगा। स्वधर्मपालन, अपने अिष्ट देवकी ही पूजा, यह सब पातिव्रत-जैसी ही अिष्ट वृत्ति समझी जाती थी।

अब यह सब बदल जाना चाहिअे और भक्तको कहना चाहिअे कि "भगवान, तुम चाहे जो रूप धारण करो, मैं अुसे मंजूर करूँगा। मैं तुम्हें सब रूपोंमें मानूँगा। भगवान, तुमने ही कहा है — 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते . . .'।" तब हम भी यही वृत्ति धारण करेंगे। भगवान और अुसके आदेश चाहें जिस धर्मके मारफत मिलें, हमारे लिअे अेक-से ग्राह्य हैं। स्वधर्मके सिद्धान्तके साथ ही साथ सर्व धर्मका सिद्धान्त हम नहीं मानेंगे,

तो हमारे जीवनमें अेकांगिता और संकुचितता आ जायगी। आज तक अिस तरहकी बहुतसी संकुचितता आ गयी है। अिस संकुचितताको कम करनेके लिअे हिन्दू धर्ममें पंचायतनकी पूजाका रिवाज दाखिल किया गया था। अिसी रिवाजको व्यापक बनाकर — 'सभी धर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं और मेरे हैं' अिस वृत्तिका विकास करके अपनी अुपासनामें हमें सब धर्मोंको मानना चाहिअे।

'सब धर्म मेरे हैं। सभी धर्मोंकी अुपासनामेंसे सारभूत तत्त्व मैं ग्रहण करता हूँ। सभी धर्मोंकी जीवनदृष्टिकी खूबियोंको मैं समझता हूँ। तर्ककी दृष्टिसे चाहे अिनमें विरोध दिखाअी दे, तो भी समन्वयकी दृष्टिसे मैं अिनमें सामंजस्य और अेकता कायम कर सकता हूँ।' मनुष्य जब अिस तरह समझने लगेगा, तब वह सभी धर्मोंके समाजोंमें हिलमिलकर आत्मीयताका भाव साध सकेगा। प्रेम, धीरज और सहिष्णुता अुसे अिस काममें खूब मदद करेंगे। कारण कि प्रेमकी अेकतासे, आस्तिकताकी धीरजसे और सबका आत्मा अेक है अिस भावसे मीठी बनी हुअी सहिष्णुता ही धर्मसर्वस्व है।

अिस तरहकी वृत्तिका विकास हो जानेके बाद भिन्न वर्णी और भिन्न धर्मी विवाह हमें नहीं अखरेंगे। अितना ही नहीं, हमें नये नये सामाजिक प्रयोग करनेसे वह आनन्द मिलेगा, जो अेक प्रयोगवीरको अपने प्रयोगोंमें मिलता है। और हमारा धर्मशास्त्र यानी हमारा आध्यात्मिक समाजशास्त्र अधिक गहरा, अधिक विस्तृत और अधिक समृद्ध बनेगा।

युगधर्म पुकार पुकार कर कहता है (अुसकी पुकार वाणीके जरिये जाहिर नहीं होती, बल्कि अद्भुत, भीषण घटनाके जरिये जाहिर होती है) कि "अब सबका समन्वय करो, सबको अेक प्राण, अेक जीव, अेक हृदय, अेक शरीर कर दो। यह युग महत् समन्वयका है।"

सामाजिक समन्वयके लिअे विवाहसम्बन्ध महत्त्वका कदम है। अिसलिअे अब हमारा काम है कि अिसके लिअे तेजीसे समाजको तैयार करें।